खण्ड-361, अंक-2
सोमवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(7 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	161—164
गणपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश	...	165
प्रश्नोत्तर	....	165—249
प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	...	249—250
जनपद चमोली में आलू बीज प्रमाणीकरण योजना को पुनः चालू करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	250—251
विद्युत परिषद् द्वारा अप्रेंटिस, डिप्लोमा इन्जीनियर्स के समायोजित न करने के फलस्वरूप उनके द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	251
कानपुर देहात के मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी अनुदान न दिये जाने से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	252
निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर (इलाहाबाद) में बैंक बर्ल्ड द्वारा नलकूप न लगाये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	252
बड़हलगंज (गोरखपुर) के कछार क्षेत्र में सड़कों एवं पुल के निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	252—253
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों को लिये जाने की माँग	...	253
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1883 (सदन के पटल पर रखा गया)	....	253
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	....	253
उत्तर प्रदेश अष्ठम विधान सभा की नियम समिति (1982-83) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	....	254
शासन तथा विद्युत कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की शर्तों का पालन न किये जाने के संबंध में वक्तव्य	....	254—257
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	...	257—263
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शंकर सिंह कतिपय सूचनाओं तथा अप्रकाशित कार्यवाहियों की प्रतिलिपियाँ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु माँग के विषय को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की सूचना	...	263
1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान-अनुदान-संख्या 81-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	....	263—314
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	....	314

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था की सभा/प्रबन्ध बोर्ड/प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन संबंधी पूर्व में की गयी कार्यवाही को निरस्त करने तथा नया निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत) .... 314—316

लखनऊ में प्राथमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .... 316—319

नत्थियाँ .... 320—328

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—330

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला,श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुवेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त,श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विववेदी,श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फरारे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रूखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाडेण्य, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उगर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रूखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रूखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रूखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निगम श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)

रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी श्री (मिर्जापुर)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्री वास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

गणपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश

श्री अध्यक्ष—

कृपया प्रश्नों के आह्वान होने से पहले मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से अपेक्षा करूँगा कि कोरम के लिये विशेष रूप से ध्यान रखें, समय नष्ट न करें। भविष्य में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 7 मार्च, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

अन्ध विश्वास को फैलाने वाले पाठों या अंशों को पाठ्यक्रम से पुस्तकों को हटाने की मांग

*1 **श्री रामस्वरुप वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार एक ऐसी समिति बनाएगी जो संविधान के अनुच्छेद 51-ए के अनुसार अन्ध विश्वास को फैलाने वाले पाठों या अंशों को पाठ्यक्रम की पुस्तकों से छानबीन करके हटा दें। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरुप कुमारी बखशी)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

"भारत का संविधान" के संदर्भित अनुच्छेद 51-ए में अन्ध विश्वास का कहीं उल्लेख नहीं है। जहाँ तक पाठ्यक्रम की पुस्तकों का सम्बन्ध है वे विद्वानों तथा शिक्षा विशारदों की देख-रेख में तैयार करायी जाती हैं और उनमें अन्ध-विश्वास को फैलाने वाले पाठों या अंशों का समावेश नहीं है।

श्री रामस्वरुप वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्राइमरी पाठशालाओं में जो -'हमारे पूर्वज' पढ़ायी जाती है, उसमें लिखा है कि गंगा, शंकर की जटा से निकली है। यह अंधविश्वास है कि "गंगा शंकर की जटा" से निकली है जबकि गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से पाठ हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हैं और इन्हीं विद्वानों ने ये लिखी हैं। मान्यवर, 51-ए का मतलब है "स्प्रिट आफ इन्कवायरी" इसमें कहाँ यह प्रारम्भ होती है ? और मानकर चलना पड़ता है कि गंगा शंकर की जटा से निकली है।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बखशी—

मान्यवर, यह तो एक प्रश्न है अंध-विश्वास के बारे में, इसमें अपने-अपने आउट-लुक की बात है। जहाँ तक शंकर जी की जटा से गंगाजी के निकलने का सम्बन्ध है, हमारे

धार्मिक ग्रन्थों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उनको आप हमेशा एक साहित्यकार के प्वाइन्ट आफ व्यू से देखने का प्रयत्न करें, वे सिम्बोलिक होती हैं। गंगा का अर्थ है कल्याण की धारा। एक ऐसे कल्याण की धारा, जिसके आंचल में अमीर, गरीब, कोढ़ी और राजा सभी का कल्याण होता है। और शिव हैं—सम्पूर्ण विश्व के एक आदमी जो कल्याण के प्रतीक हैं जो शक्ति के प्रतीक हैं, जो विश्व की मैत्री के प्रतीक हैं और जो विश्व की एकता के स्वरुप हैं और इस एकता से प्रवाहित होती है गंगारूपी कल्याण की धारा—शिवा।

श्री रामस्वरुप वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि इसी पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि राजा सगर के 60 हजार लड़के थे, तो ये किसी चीज के सिम्बोलिक हैं ? ये भी तो किसी चीज के सिम्बोलिक होंगे ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, दो करोड़ ही नहीं, 4 करोड़ बच्चे हैं जो हमारे बच्चे भी हैं और उनकी हम माँ हैं, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने बड़ा मौलिक सवाल उठाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह अंध-विश्वास क्या है, इसको डिफाइन करने की कृपा करें ? नम्बर दो माननीय रामस्वरुप वर्मा जी द्वारा लिखित "मनु स्मृति राष्ट्र का कलंक" "ब्राह्मण महिमा" और "ब्राह्मण शिव परीक्षा" इन सारी पुस्तकों को, जो कि श्री रामस्वरुप वर्मा द्वारा लिखी गई हैं और जहरीली हैं, जब्त करने का कष्ट करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी आज्ञा मैं, नहीं दे रहा हूँ। मैं इसके लिये ज्यादा प्रश्नों की आज्ञा नहीं दूँगा।

श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीया मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है "नहीं", यह "नहीं" भी ठीक नहीं है, यदि "हाँ" कहती तो वह भी ठीक नहीं था। विश्वास और अन्धविश्वास की परिधि बहुत लम्बी चौड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे देश के अच्छे-अच्छे शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों और दूसरे लोगों को मिलाकर कोई ऐसी समिति बनायेंगी जो विश्वास और अन्धविश्वास को डिफाइन करे ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

समिति बनाने का कोई विचार नहीं है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अन्ध-विश्वास के विषय में, तो शंकर भाष्य के अनुसार दो प्रकार का सत्य हैं, एक तो पारस्परिक सत्य और दूसरा वैज्ञानिक सत्य। रात के समय एक रज्जु को देखकर सर्प मान लेना अन्धविश्वास है, उसी को अगर दिन की रोशनी में देखें तो रस्सी नजर आयेगी। इसका कोई अन्त नहीं है। इसे तो ज्ञान का आलोक ही दूर कर सकता है।

श्री मोहनलाल—

मैं, माननीया शिक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि आपके संविधान में भले ही उल्लेख न हो लेकिन माननीया शिक्षा मंत्री जी क्या अपने विवेक से यह महसूस करती हैं

कि पाठ्य पुस्तकों में ऐसी चीजें लिखी हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण को आघात पहुँचाती हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का परीक्षण कराकर ऐसे अंशों को निकलवाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी —

हमारी पाठ्य पुस्तकें विद्वानों और वैज्ञानिकों के सहयोग से ही बनी हैं। आपने वैज्ञानिक दृष्किोण की बात कही, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को ध्यान में रखकर कई वर्षों के बाद आज 82-83 में हमने विज्ञान को 10+2 के हिसाब से कम्पलसरी कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान का आउटलुक, चाहे वह किसान हो या मजदूर हो, विज्ञान के रहस्यों को अपने जीवन के विकास में विज्ञान का प्रयोग करें, यह वैज्ञानिक आउटलुक का मतलब है।

श्री मुख्तार अनीस—

जो मा० वर्मा जी का प्रश्न है, उसी के सम्बन्ध में पूंछना चाहता हूँ कि एक तो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जिनके आधार पर भारतीय संविधान की रचना हुई और जिसके आधार पर हमें समाजवादी समाज बनाना है। जो वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिये समाज के बारे में, देश के बारे में, तो जो रूढ़ियां हैं और अन्धविश्वास है, धार्मिक कट्टरता है, यह बच्चों का मानस नहीं बनने देती हैं···

श्री अध्यक्ष —

आप प्रश्न करें।

श्री मुख्तार अनीस—

भारतीय संविधान के जो निश्चित मूल्य हैं, उनके आधार पर क्या देश के सभी स्कूलों में, कालेजों में क्या साहित्य उसके आधार पर बनाया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष —

मैं, इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ यह अत्यन्त काल्पनिक और व्यापक है।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर में असिस्टेन्ट प्रोफेसर व असोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त पद

*2—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में 1 अप्रैल, 81 से 30 सितम्बर, 1982 तक कुल कितने पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर व असोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त हैं ? उन्हें अब तक न भरे जाने का क्या कारण है ?

कृषि मन्क्षी (श्री यशपाल सिंह)—

गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में दिनाँक 1 अप्रैल, 81 से 30 सितम्बर, 1982 तक 29 पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स, 10 पद प्रोफेसर्स, एवं 22 पद असोसिएट प्रोफेसर्स के रिक्त रहे।

उक्त सभी पद विज्ञापित किये गये । किन्तु इन्हें निम्न कारणों से नहीं भरा जा सका :

(1) कुछ पदों के लिये वांछित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

(2) कुछ पदों के लिये कोई भी अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा योग्य नहीं पाया गया ।

(3) कुछ मामलों में विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सके ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ एक तो यह कि इन पदों की विज्ञप्ति कब हुयी और दूसरा प्रश्न यह है कि कौन-2 से वह पद हैं, जिनके लिए योग्य अभ्यर्थी चयन समिति को नहीं मिले ?

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपसे अनुमति लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में पदों के सृजन एवं तमाम अन्य प्रबन्धक पदोन्नतियाँ, तथा नियुक्तियों आदि के जितने भी मामलात हैं, वह सब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ का करता है और इसका चेयरमैन वहाँ का कुलपति होता है । माननीय सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेम्बर हैं । तो इस प्रकार की जवाब देही तो मा० सदस्य से होनी चाहिए । शासन को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन मान्यवर, प्रश्न आपने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसका उत्तर मैं दे रहा हूं । मान्यवर, यदि आप अनुमति दें तो पूरे विवरण के साथ दूँ काफी बड़ा उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप संक्षेप में उत्तर दें ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जितने भी पद रिक्त हैं, मैं उन सब का विवरण उनकी विज्ञप्ति के साथ दिये देता हूँ । असिस्टेंट प्रोफेसर के 29 पद रिक्त थे, जिन में से हम दो पदों के बारे में सूचना दे रहे हैं । यह पद विज्ञापन संख्या 1/81 द्वारा विज्ञापित किये गये किन्तु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण यह पद पुनः विज्ञप्ति सं० 4/82 द्वारा विज्ञप्ति किया गया, जिसके विशेषज्ञों का नामांकन दिनांक 22-9-82 को प्राप्त हुआ । अब दोनों पदों के भरने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

अब एक पद के बारे में आपको सूचना दे रहा हूँ । एक पद विज्ञाप्ति संख्या 10/81 द्वारा विज्ञापित किया गया जिसके विशेषज्ञों के नाम दिनांक 11/5/82 को प्राप्त हुए और साक्षात्कार की तिथि 23/11/82 को निश्चित की गयी, परन्तु विशेषज्ञों की सहमति नहीं मिल सकी । फिर 3 पद विज्ञप्ति सं० 4/82 द्वारा विज्ञापति किये गये, जिसके विशेषज्ञों के नाम दिनांक 29/9/82 को प्राप्त हुए तथा इन पदों को शीघ्र भरने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

मा० मन्त्री जी यह सारी डिटेल्ड सूचना मा० सदस्य को आप अलग से भिजवा दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननींय मन्त्री जी ने तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी, बल्कि इममें बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमारे अधिकारों से परे हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट केवल पद सृजित करते हैं और जो अभ्यर्थी चुन लिये जाते हैं, उन्हें सूचना भेजकर सूचित कर देते हैं तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति का कार्य कुलाधिपति करते हैं और विशेष कारण जो है योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने का, वह यह है कि चयनित सम्बन्धी सूचना यह बहुत देर से भेजते हैं कारण वश अभ्यर्थी किसी दूसरी जगह एप्लाई करके चला जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूचना दे रहे हैं, प्रश्न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, दूसरा कारण यह है कि जो अभ्यर्थी चयनित हो भी जाते हैं, उनका एप्रूवल एप्रूविंग अथारिटीज, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को समय से नहीं भेजते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रो जी से जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट ने प्रस्ताव किया है, इसमें जो चयन की प्रक्रिया है और विशेषज्ञों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है, उसमें सुधार किया जाय तो उसे शासन द्वारा कुलाधिपति से लागू कराने के लिये कि वहां पर जी अभ्यर्थियों का चयन हो, इन सब बातों के लिये बोर्ड आफ मैनेजमेंट से लागू कराने के लिये उच्चादेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

बोर्ड आफ मैनेजमेंट में कुछ संशोधन करने के लिये कुलाधिपति ने (महामहिम राज्यपाल) को प्रस्ताव भेजा है, उसके सम्बन्ध में अभी माननीय सदस्य ने भी कहा है कि शासन स्तर से उसका ध्यान आकर्षित कराने के लिये कि उसमें शीघ्रता करायेंगे, तो उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं है, करा देंगे।

[सोमवार, दिनाक 7 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच की कार्यवाही

*1—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—(अनुपस्थित)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ? जांच अधिकारी किस दिनांक को नियुक्त हुआ ? तथा जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जांच के आदेश शासनादेश संख्या ज.प्र. 236/15/1/10 (13)/81, दिनाँक 31 जुलाई, 1981 के द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को दे दिये गये थे जिसके अनुपालन में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 24 अगस्त, 1981 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच कार्य सौंप दिया। जांच की कार्यवाही अभी चल रही है। प्राथमिक जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

मै० रेलीज इण्डिया द्वारा कथित मिश्रण की बिक्री हेतु अनुमति न दिया जाना तथा विक्रय पर रोक

*2—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—(अनुपस्थित)

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मै० रेलीज इण्डिया ने कृषि निदेशालय में लिखित दिया था कि यदि नोटीफिकेशन नहीं होता है तो 12 : 32 : 0 मिश्रण वह बिक्री नहीं करेंगे ? यदि हां, तो फर्म ने बिक्री किसकी अनुमति से की है ? बिना अनुमति बिक्री करने पर फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। बल्कि विभाग द्वारा उर्वरक मिश्रण के ग्रेड के सम्बन्ध में यह शर्त लगायी गयी थी कि फर्म इस मिश्रण की बिक्री गजट नोटीफिकेशन के उपरान्त ही करेगी।

फर्म को उक्त मिश्रण की बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी गयी। फर्म द्वारा बिक्री की जाने की सूचना पर उक्त मिश्रण का विक्रय प्रदेश में रोक दिया गया और फर्म का निबन्धन प्रमाण पत्र 16/10/81 से निष्प्रभावी हो गया है।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज पटेल नगर, भटहट, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र

*3—**श्री केदारनाथ सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज पटेल नगर भटहट, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15/12/80 को तथा उक्त विद्यालय के अतिरिक्त स्पीपर, श्री राम करन ने दिनांक 4/12/80 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो मामला क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मंत्रीजी के उत्तर के सन्दर्भ में कि दिसम्बर, 1980 में शिकायती पत्र दिया गया था और मैंने यहाँ पर यह प्रश्न 15/10/82 को लगाया है। इसके पूर्व भी मैंने इसके बारे में प्रश्न लगाया था परन्तु माननीय मन्त्री जी अभी भी कह रही हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो इतने दिन हो गये अभी तक सूचना नहीं एकत्र हो सकी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अभी तक क्या वह शिकायती पत्र की भी जानकारी शासन को नहीं हो पायी है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, खेद है कि इसमें देर हो गयी है इसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब आगे शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

कोल्ड स्टोरेज में रखे गये किसानों के बीज के किराए की धनराशि

***4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शासन ने सन् 1982 में कोल्ड स्टोरेज में रखे गये किसानों के बीज के किराए की धनराशि निश्चित कर दी है ? यदि हां, तो कितना रुपया प्रति क्विंटल निश्चित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

17/- रुपये प्रति कुन्तल ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, मैंने जिस सन्दर्भ में सूचना दी थी, वह पुरानी हो गयी है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सही है कि 1982 में अपने 17 रुपये प्रति कुन्तल की दर निर्धारित की थी, उस समय भी शासन के पास शिकायती पत्र आये थे कि कोल्ड स्टोरेज जो प्राईवेट लोगों के हैं या सरकारी हैं, वह सब 17 रु० की दर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो शासन ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, तुरन्त इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये थे कि शीघ्र ही रेट्स तय होने वाले हैं । इससे पहिले कि रेट्स तय हों पूर्व निर्धारित रेट्स ही प्रीवेल करेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

यह जो 17 रु० प्रति कुन्तल की दर निर्धारित की गयी इसमें क्या-क्या शामिल हैं? जैसे किसान ट्राली पर गन्ना लेकर आता है तो ढुलाई वगैरह क्या इसमें शामिल है और अब 1983 में आपने क्या रेट निर्धारित किये हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

आज के रेट 18 रु० प्रति कुन्तल तय हुए हैं ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पिछले साल 17 रु० प्रति कुन्तल का रेट था वह अब 18 रु० कर दिया गया है । क्या मन्त्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में 18 रु० से ज्यादा पैसा किसानों से लेकर तब वे आलू रखवा रहे हैं और कहीं-कहीं पर तो एडवान्स में पैसा ले लेते हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

इस प्रकार की शिकायत तो नहीं आयी हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसे दिखवा लिया जायेगा ।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रकार की कई शिकायतें मैनपुरी और फतेहगढ़ से उनको मिली हैं कि वहां पर कोल्ड स्टोरेज तीन-तीन, चार-चार रुपये ज्यादा

पैसे प्रति कुन्तल पर लेते हैं और तब वे प्रायोरिटी देते हैं। यदि सीधे कोई काश्तकार जाता है तो वे नहीं रखते हैं। जिसका रिजर्वेशन पहले से होता है उसी का रखते हैं। इस तरह से वे लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लेते हैं। बाद में जब काश्तकार अपना आलू वापस लेते हैं तो वे मुजरा नहीं करते हैं। क्या यह सही है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है परन्तु यदि ऐसी कोई शिकायत मिली तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी और माननीय सदस्य की सूचना पर इस किस्म की जांच कर ली जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक सीमा होती है जिससे कि कोई व्यक्ति गरीबी और मजबूरी से न्याय को बर्दाश्त कर ले किन्तु हर समय ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सूचना को सही मानकर कि काश्तकार आपके पास शिकायत इसलिये नहीं करते क्योंकि जो पूंजीपति हैं, मालिकान हैं, वे लोग अपनी एक कमेटी बना लेते हैं और निश्चय करते हैं कि इससे कम कोई नहीं लेगा। इस तरह से काश्तकार का शोषण होता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने विभाग में कोई ऐसी व्यवस्था की है जो इस बात की जांच करे कि इन मालिकान ने इस तरह से जो गिल्ड बनाकर मानौपाली कर ली है, उसको रोका जा सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मानोपली का क्या अभिप्राय है ? यह मैं समझ नहीं पाया। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि वह अपने कृषकों का शोषण न होने दे किसी स्तर पर भी।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के साथ ही कतिपय अन्य सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कृपया बैठें। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्षमा कीजिये। मैं माननीय मंत्री जी को समझाना चाहता था किन्तु समझा नहीं पाया। मैं उदाहरण दे दूं। मान लीजिये किसी जनपद में 8 कोल्ड स्टोरेज हैं। उनके मालिकान बैठे और उन्होंने तय किया कि 25 रुपये से कम का कोई रेट नहीं लेगा। जब एक काश्तकार कोल्ड स्टोरेज के पास जाता है और आपने 18 रुपये तय किये हुये हैं तो इस तरह से जो उन्होंने एक गिल्ड बनाया हुआ है, जिसे हम सामूहिक एकाधिकार कहते हैं, उनसे उनका शोषण होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस तरह से कोई व्यवस्था अपने विभाग में की है जिससे काश्तकारों का शोषण न हो सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर इस तरह के निर्देश सरकार की ओर से सदैव ही रहते हैं कि जहां तक कृषकों का प्रश्न है वे ऐसी शिकायतों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को जो जिले में मौजूद रहते हैं, उन्हें रिपोर्ट करें। अगर कोई इस तरह की शिकायत होती है तो उस पर कार्यवाही होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अधिकारीगण हैं, यदि उनके संज्ञान में कोई चीज आती है तो उस पर प्रभावी कदम उठाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या

प्रभावी कदम उठाये जायं, सम्मानित सदस्य कोई चीज प्रस्तावित करें तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आधा घन्टा हो गया, अभी चार प्रश्न ही हुये हैं, कृपया बैठें।

जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक स्कूल माताओं को पारिश्रमिक का भुगतान

***5 —श्रीमती गौरी देवी**—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अल्प-वेतन भोगी स्कूल माताओं को आज भी केवल बीस रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है जबकि कन्या पाठशालाओं में दाइयों का वेतन तीन सौ दस रुपया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करके अल्प वेतन भोगी माताओं के वेतन में वृद्धि करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

जी नहीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक स्कूल माताओं 1-9-81 से 30 रुपये मासिक पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। कन्या पाठशालाओं में अंशकालिक स्कूल माता अथवा दाई नाम का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है, अतः दाइयों को 310 रु० प्रति माह वेतन भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिनमें सेविकाओं के पद भी सम्मिलित हैं, को रु० 305 नियत मासिक भुगतान किया जा रहा है।

चूंकि स्कूल माताओं के पद अंशकालिक हैं और उन्हें कोई नियमित वेतनमान न देकर नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, अतः किसी प्रकार की अनियमितता का या स्कूल माताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी –

क्या माननीय मंत्री बतायेंगी कि जब यह मातायें स्कूल में पूरे समय काम करती हैं तो उन्हें अंश कालिक मानने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, वह अंशकालिक हैं, पूर्णकालिक हैं ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, उनको 30 रुपया वेतन मिलता हैं जो बहुत कम है तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी कि उनका वेतन तुरंत बढ़ा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पहले तो उनका वेतन 5 रु० से 20 रु० थे लेकिन 1982 में हमने उसे 30 रु० कर दिया है यह ठीक है कि वह कम है। लेकिन हजारों प्राइमरी स्कूल हैं

जिसमें पूर्णकालिक व्यवस्था की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गयी है। इसलिए अभी 30 रु० ही रहेगा जो अभी बढ़ाया है भविष्य में क्या होगा, मैं कह नहीं सकती।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि इसी आदरणीय सदन में एक बार और यह प्रश्न आ चुका है जिसमें पूर्ण कालिक और अंश कालिक की व्याख्या कुछ और दी थी। उस समय माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि उनकी ड्यूटी डिफाइन नहीं हैं कि स्कूल मातायें क्या करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्कूल मातायें जब भारत सरकार की बालाहार योजना चलती थी उसमें बालाहार पकाकर बच्चों को खिलाना था जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद उन माताओं को बच्चों को स्कूल लाने और घर छोड़ने का भी काम दिया गया, इसके बाद भी उनको अंश कालिक कहा जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय काम करने के बाद उनको पूर्णकालिक मानेंगे? 6 घंटे बालाहार पकाने, खिलाने, और बच्चों को लाने ले जाने में लगते हैं तो उनको पूर्ण कालिक बनाकर वेतनवृद्धि करने पर विचार करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, दो प्रकार की मातायें या स्कूल सेविकायें होती थीं जब जिला परिषद के स्कूल लिये और बेसिक शिक्षा परिषद का गटन हुआ। एक तो अंश कालिक और दूसरी पूर्ण कालिक। जो पूर्णकालिक हैं उनको 1978 में 165 रुपया वेतन मिलता था जो 16-9-82 से 305 रु० कर दिया गया है और उनका नाम सेविका चौकीदार कर दिया गया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्रधान मंत्री महिला और हमारे प्रदेश की शिक्षा मंत्री महिला हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी में हमारे यहां एक स्कूल ख्यालदेह है जिसमें गुंटी देवी नाम की स्कूल माता है जिसको मैं 70 से देख रहा हूं उसको आप 30 रु० वेतन दे रहे हैं जब कि वह दिन भर काम करती है मेरी समझ में नहीं आता उसको अंशकालिक कैसे मानते हैं। तो जिनको काम करते हुए 12, 14 साल हो गये हैं काम करते हुए उनको आप चौकीदार के पद पर नियुक्त करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस समय ऐसी नीति नहीं है, शासन की।

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण निधि के संबंध में की गई व्यवस्था

***6—श्री मोहन सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश युवा कल्याण निधि में दो करोड़ रुपए का प्राविधान उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो यह निधि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज के रूप में दे दी गयी? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हां।

निधि के संबंध में की गई व्यवस्था के अनुसार निधि की राशि को किसी सार्वजनिक संस्था को ऋण के रूप में दे दिया जाना था अथवा उसे किसी मान्य प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाना था तथा उस पर प्राप्त ब्याज कर हो उपयोग युवाकल्याण परिषद के क्रिया-कलापों के लिये किया जाना है। तदनुसार निधि में उपलब्ध 2 करोड़ रुपये की राशि को ऋण के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दे दिया गया है जिनसे प्राप्त ब्याज का उपदेश निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ति हेतु किया जायगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक दिन ऐसा ही यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ था जब 10 करोड़ रुपया हिन्दी विकास निधि का बिजली बोर्ड को दे दिया था और आज 2 करोड़ रुपया युवा कल्याण निधि का, छात्र सम्मेलन में उ०प्र० के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी और युवा कल्याण परिषद के क्रियाकलापों हेतु दिया था, जिसको इन्होंने उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को दे दिया है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि यह दो करोड़ रु० किसी बैंक में जमा होता तो 6-7 सालों में दूना हो जाता, इसलिये बैंकों का और जो आपने परिवहन निगम को दिया है उसके ब्याज की दरों में क्या अन्तर है ? दूसरी बात निगम में कब से पैसा यह जमा है और कितना उनसे ब्याज पाना था और उन्होंने कितना युवा कल्याण के लिये दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, साढ़े 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को यह दो करोड़ रुपया दिया गया है लेकिन यदि समय से ब्याज की अदायगी निगम करता है तो उनको साढ़े 3 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इस प्रकार 12 प्रतिशत ब्याज निगम से युवा कल्याण परिषद को प्राप्त होगा। मान्यवर, 31 मार्च, 82 को यह धन उनको दिया गया है और 6 महीनों का ब्याज 12 लाख रुपये उनसे प्राप्त हो चुका है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, क्या युवा कल्याण परिषद की कोई रूपरेखा इस धन के व्यय करने के लिये आपके विभाग ने बनायी है, यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें जो गाँव का युवक है उनको खेल कूद में प्रोत्साहन देने के लिये, उनमें अनुशासन कायम रखने के लिये इसके उद्देश्य हैं और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस परिषद का गठन किया गया है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में स्पेसिफिक तरीके से कौन कौन खेलों में कितना कितना पैसा इसमें से दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह प्रश्न विस्तृत है, इसलिये इसका जवाब मैं अभी नही दे सकता हूँ।

***7—श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रसाराध्यापकों की योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति

*8—**श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रसार अध्यापक) सन् 1954 से जिस पद पर थे उसी वेतनक्रम पर अब भी सेवामुक्त हो रहे हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पदोन्नति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1954 से कार्यरत ऐसे प्रसाराध्यापक जो पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं हैं, जिस पद पर थे उसी के वेतनक्रम पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं किन्तु अग्रेतर प्रोन्नति हेतु अर्ह प्रसाराध्यापकों को वर्ष 1980 से निर्धारित कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों पर योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि 1980 से पदोन्नति की जा रही हैं, तो किस पद पर आपने पदोन्नति की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिस पद के अर्ह थे, उसी पर पदोन्नति कर दी । जो सब के सब प्रसार अध्यापक पदोन्नत किये गये, उनका विवरण इस प्रकार है—प्रवक्ता अर्थशास्त्र–29, प्रवक्ता इतिहास–8, प्रवक्ता नागरिकशास्त्र एक, प्रवक्ता वाणिज्य–4, प्रवक्ता भूगोल–7, प्रवक्ता समाजशास्त्र–1 प्रवक्ता गणित–1, प्रवक्ता अंग्रेजी–3, प्रवक्ता संस्कृत-3, प्रवक्ता हिन्दी-14, प्रवक्ता उर्दू–1, और प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र–1, यानी कुल 81 । इसी प्रकार सी०टी० के जो अर्ह लोग थे, जिन्होंने अर्हता अर्जित कर ली थी, वह इस प्रकार पदोन्नत किये गये :– प्रसार अध्यापक एल०टी० वेतनक्रम में 359, सामान्य वेतन क्रम में 208 तथा उप विद्यालय निरीक्षक में 38 ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब प्रसार अध्यापकों की सेवायें ली गई थीं, जो उस समय गांधी जी के जो आधारभूत सिद्धान्त थे– ग्रामीणों को शिक्षा देने का, उस पर आधारित थी, तो आज के परिपक्ष्य में क्या इन सेवाओं की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है ? और क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगी कि जो बहुत से प्रसार शिक्षक रिटायर होकर चले गये, उनको भी कोई सुविधा दी जाए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पदोन्नति तो उन्हीं की ही दी जाएगी, जो कार्यरत हों ।

*9—**श्री भीखा लाल**—

[दिनांक 14-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम करौरा, जनपद जौनपुर में कथित शिक्षा निकेतन दुलारीनगर, करौरा के नाम से विद्यालय

***10—श्री मित्रसेन—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र मछली शहर, ग्राम करौरा, जनपद जौनपुर में शिक्षा निकेतन, दुलारीनगर करौरा के नाम से कोई विद्यालय संचालित हो रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय वास्तविक रूप से संचालित न होकर मात्र कागज में ही चल रहा है ? यदि हां, तो इस फर्जी विद्यालय को चलाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

सम्पति विद्यालय संचालित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इस प्रश्न के सन्दर्भ में किस अधिकारी से जाँच करवाई गई थी ? उस जाँच में किन किन लोगों से पूछतांछ की गई थी कि यह विद्यालय है या नहीं ? और जाँच कहाँ पर करवाई गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया, उसको गौर करें—सम्प्रति विद्यालय संचालित नहीं हैं । इस विद्यालय को अस्थायी मान्यता अवश्य दी गई, लेकिन जो निरीक्षण हुआ···

श्री अध्यक्ष—

आप यह बताएँ कि किससे जाँच कराई गई और किससे, कब जानकारी प्राप्त की गई ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

वही बताती हूँ । 29-1-83 को यह जांच की गई और पाया गया कि भवन टूट गया है और कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं है । तो इस पर 30 जनवरी को उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई ।

श्री मित्रसेन —

इसका मतलब यह है कि इसके पहले इस नाम के विद्यालय को मान्यता दी गई थी और उसको पैसा दिया जा रहा था, तो जिसको मान्यता दी गई थी और संचालित नहीं था, तो क्या यह सही है कि उसके पहले भी वह नहीं चल रहा था और फर्जी तौर पर उसका पैसा लिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आपने पहले पूछा था कि किसने निरीक्षण किया, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर ने इसका निरीक्षण किया था। इसको अस्थायी मान्यता दी गई थी, तो अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी गई है। अस्थायी मान्यता वालों को कोई ग्रान्ट नहीं दी जाती है, क्षतिपूर्ति अवश्य दी जाती है। इसकी कोई सूचना नहीं है कि उसको कोई ग्रान्ट मिलती थी या नहीं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय —

यह समस्या केवल फैजाबाद की ही नहीं है, इस प्रकार के मामले बहुत से हैं। इस प्रकार का पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, तो क्या मंत्री जी इसके लिए कोई सर्वेक्षण कराकर जो फर्जी विद्यालय कागज पर चलते हैं, उनकी ग्रान्ट रोकने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमें तो जैसे ही सूचना मिली 29 तारीख को, जो इसका निरीक्षण हुआ, उसके दूसरे दिन 30 तारीख को हमने इसकी मान्यता समाप्त कर दी। अगर कोई भी इस प्रकार की सूचना आयेगी, तो उनके लिए भी तुरन्त दान महा कल्याण।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि एक आप ही के दल के भूतपूर्व विधायक इस विद्यालय को चलाते हैं, जिन्होंने स्थायी मान्यता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। आपने उनको मान्यता न दी हो, वह आप जानती होंगी। लेकिन क्षतिपूर्ति के रूप में उनको धन दिया गया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिसने सरकार को धोखा देकर क्षतिपूर्ति ली है और जिस अधिकारी ने क्षतिपूर्ति के लिए संस्तुति की है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 29 तारीख को जब इसका निरीक्षण हुआ, उस समय यह सम्प्रति स्कूल नहीं था, रहा क्षतिपूर्ति का सवाल, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि क्षतिपूर्ति दी गयी या नहीं दी गयी और यदि दी गयी और जाली तरीके से क्षतिपूर्ति ली गयी, तो इसके संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

*11—**श्री शिव नारायण सिंह नेगी**—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*12—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

[तारांकित प्रश्न सं० 2 होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 12 हटा दिया गया।]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार

*13—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के मुख्यालय में 240 दिन से अधिक दिनों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में दैनिक वेतन पर इस समय कर्मचारी नहीं रखे जाते । अपवाद रूप में मानवीय आधार पर जिन कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा गया था उन्होंने एक समय में 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की थी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर,यह प्रश्न 3-11-82 का है । 3-11-82 के बाद इस मुख्यालय में कार्यरत किस कर्मचारी को निकाला गया, क्योंकि जिन कर्मचारियों को 240 दिन कार्य करते हो गया था, मेरा सवाल पहुंचने के बाद ही उनको निकाल दिया गया ? आपके कृषि त्रिभाग में, हरदोई में, एग्रो में कार्यरत कर्मचारी जो थे, जिनको 240 दिन पूरे हो गये थे, उन्हें नियमित करने का शासन ने निर्णय लिया था । मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 5 वें सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में मान्यवर, नियमित करने के संबंध में माननीय मंत्री जी अवगत भी करा चुके थे । तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन कर्मचारियों को प्रश्न देने के बाद में निकाला गया ? मान्यवर, यह जो रेफरैंस दिया गया है, इसकी जानकारी करके, क्या ऐसे कर्मचारियों को जिनको 240 दिन पूरे हो जाते हैं, उनको नियमित करने पर विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मूल प्रश्न जो है, उसमें यह है कि जिन कर्मचारियों ने 240 दिन पूरा कर लिया है, क्या उनको नियमित करने पर विचार किया जायेगा ? मान्यवर, अगर सम्मानित सदस्य कोई शासनादेश या कोई ऐक्ट या बाई लाज वगैरह जो कुछ हो, अगर वह कोई इस प्रकार का देंगे कि 240 दिन की अवधि पूरी करने के पश्चात् नियमित करना जरूरी है, तो जरूर इस पर विचार कर लिया जायगा । मेरी जानकारी के अनुसार न कोई ऐक्ट और न ही कोई शासनादेश इस प्रकार का है, जिसमें नियमित करने का प्राविधान हो । दूसरी बात यह है कि 3-11-82 के बाद कितने कर्मचारियों को अलग किया गया, इसके बारे में तो मैं स्पेसिफिक जबाब नहीं दे सकता, लेकिन पूरा विवरण मेरे पास है, अगर आप इजाजत दें, तो मैं यह पूरा विवरण दे दूँ कि किन-किन कर्मचारियों को निकाला गया ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब सदन में प्रश्न आना था और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को लगी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जिन कर्मचारियों ने 240 दिन या उसके आस पास काम किया था उनको सेवा से हटा दिया गया । यह तो सदन की अवमानना का एक स्पष्ट सबूत है । मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि यदि उन कर्मचारियों को निकाला गया है तो उनकी जांच कराकर क्या पुनः उनको सेवा में लेने का आश्वासन देंगे ? मान्यवर, हरदोई में एग्रो में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में मैंने रेफरेंस दिया है, तो एग्रो भी कृषि विभाग से संबंधित है । वहाँ पर कर्मचारियों को नियमित किया गया है ।....

श्री अध्यक्ष—

एग्रो का कोई संबंध इससे नहीं है । मंत्री जी, आप पहले प्रश्न का उत्तर दे दें ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हरदोई में एग्रो के कर्मचारियों को नियमित किया गया है क्या उसी आधार पर इन कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि 3/11/82 के बाद कितने कर्मचारियों को अलग किया गया। मेरे पास जो सूचना है उसमें है कि एक कर्मचारी को 31-1-83 को, दूसरे कर्मचारी को 28-2-83 को और एक अन्य कर्मचारी को 31-12-82 को, तीन कर्मचारियों को अलग किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद इस बात को माना है कि 3 कर्मचारियों को मेरे प्रश्न के बाद हटाया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इन कर्मचारियों को जिनको निकाला गया है, प्रश्न करने के बाद में, उनके बारे में छानबीन कराकर पुनः सेवा में लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं तो छानबीन के बाद प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ।

कस्बा खानपुर, जनपद बुलन्दशहर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने हेतु दी गयी भूमि तथा निर्माण

*14—**श्री छत्तरसिंह** (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा खानपुर जनपद बुलन्दशहर में एक कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिए एक व्यक्ति ने भूमि दी है ? यदि हां, तो अब तक स्कूल खोलने तथा उसके भवन न बनने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय बालिका हाई स्कूल, कुमरियागंज, जनपद बस्ती में अध्यापिकाओं की नियुक्ति और सी० टी० तथा एल० टी० ग्रेड में रिक्त पदों की पूर्ति

*15—**श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ** (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका हाई स्कूल, डुमरियागंज, जनपद बस्ती में वर्ष 1979-80 व 1980-81 एवं 1982-83 के शिक्षा सत्र में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कुल कितनी अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह सत्य है कि सी० टी० ग्रेड में एक स्थान रिक्त है तथा एल० टी० ग्रेड में पांच स्थान रिक्त हैं तथा इसके अतिरिक्त विज्ञान, उर्दू तथा और अन्य विषयों के लिए उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापक ने कई पत्र आर० आई० जी० एस०, गोरखपुर तथा उप शिक्षा निर्देशक, इलाहाबाद को समय-समय पर दर्जनों पत्र लिखे हैं ? यदि हाँ, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1979-80 में 12, वर्ष 1980-81 में 8 तथा वर्ष 1982-83 में 4 अध्यापिकाओं की नियुक्तियाँ की गई हैं।

जी नहीं । सी० टी० ग्रेड में एक रिक्त पद पर व्यवस्था की जा चुकी है तथा एल० टी० वेतनक्रम के केवल 2 पद रिक्त हैं ।

जी हाँ । कला, उर्दू तथा विज्ञान की अध्यापिकाओं की व्यवस्था कर दी गई है । शेष रिक्त पदों में नियुक्ति/प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा व्यवस्था की गई किन्तु सम्बन्धित अभ्यर्थिनियों द्वारा कार्य भार ग्रहण न करने के कारण गणित तथा अंग्रेजी के पद रिक्त हैं ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज के परतावल बाजार से बैल व भैंस का कथित क्रय

*16—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज में वर्ष 1981 में काफी बैल व भैंस परतावल बाजार से खरीद कर ग्राम मुड़िला, मटिहनियाँ एवं कोटा मुकुन्दपुर के ग्रामवासियों को दिये गये परन्तु पशु डाक्टर द्वारा स्वस्थता प्रमाण-पत्र न दिये जाने के कारण अब तक इन किसानों को छूट का लाभ नहीं मिल पाया है ? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये दोषी बी० डी० ओ० के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज में वर्ष 1981 में कोई बैल व भैंस परतावल बाजार से खरीद कर ग्राम मुड़िला, मटिहनियाँ एवं कोटा मुकुन्दपुर के ग्रामवासियों को नहीं दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि प्रहलाद सिंह बी० डी० ओ० जो वर्तमान बी० डी० ओ० के पहले थे उनके समय में खरीदे गये । दो माह पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के लिये बी० डी० ओ० और सम्बन्धित डाक्टर को पाया गया कि स्वास्थता प्रमाण-पत्र दें ताकि किसानों को बैल खरीद पर छूट दी जा सके ।....

(श्री ऊदल के किसी से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी, इस तरह अध्यक्ष आसन को पीठ दिखाकर बात न करें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी सूचना को सही मानकर इस समय. इस विषय की पुनः जाँच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मेरे पास निश्चित सूचना है कि 8 व्यक्तियों को जिनको बैल दिये गये थे उनको अनुदान भी दिया जा चुका है । इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो मान्यवर, इस मामले की दोबारा जाँच किसी अधिकारी द्वारा करा ली जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं करता हूं । गाँव के लोगों ने बैल और भैंस खरीदी...

श्री अध्यक्ष—

वे तो स्वयं कह रहे हैं कि जाँच करा लेंगे ।

श्री ऊदल—

मैं जा रहा था, क्षमा चाहता हूँ ।

श्री राम कुंवर सिंह—

मान्यवर, इसमें तो और मौका दे दीजिये । लाखों रुपये का मामला है, किसानों से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला जनपद, हरदोई का भवन निर्माण

*17—**श्री रामलाल वर्मा**— (अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला, जनपद हरदोई के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1965 में साढ़े पांच लाख रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हाँ, तो प्रश्नगत धनराशि विद्यालय को शासन द्वारा कब व किन शर्तों के आधार पर दिया गया और अभी तक उक्त सन्दर्भित भवन 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? तथा उक्त धनराशि इस समय कहाँ व किसके पास है एवं उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

उक्त धनराशि विद्यालय को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भवन न बनाये जाने का कारण अभी तक भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरी का भुगतान

*18—**श्री धनीराम वर्मा**— (अनुपस्थित)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन 40 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी की अदायगी का होना बताया गया है उसमें से मनीराम पुत्र छक्की लाल, नाथूराम पुत्र परभू सल्हापुर की बकाया मजदूरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त प्रश्न से सम्बन्धित मार्ग का मस्टर रोल देखने से ज्ञात होता है कि सम्बन्धित मार्ग पर कथित 5 दिनों 11-2-80 से 15-2-80 तक कार्य नहीं कराया गया है । अतः उपरोक्त 5 दिनों की मजदूरी भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर की प्राचार्या द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र देकर अनुमोदन कराने के विरुद्ध कार्यवाही

*19—**श्री राधेश्याम पटेल,**
श्री अजहर ईमाम तथा
श्री कल्लूराम रत्नाकर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर की प्राचार्य ने दिनाँक 5-6-79 को फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को देकर दिनाँक 12-6-79 को उक्त पद हेतु गलत अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ? इस सन्दर्भ में जनपद के विधायकगण ने शासन एवं कुलपति महोदय को शिकायती-पत्र भेजा जिस पर विश्वविद्यालय ने जाँच करवाकर शासन एवं कुलाधिपति महोदय को पूरी आख्या सहित फर्जी अनुमोदन निरस्त करने हेतु पत्राँक 683-84/सम्बद्धता-82, दिनाँक 5-5-82 एवं स्मरण पत्र दिनाँक 30-7-82 को संस्तुति पत्र भेजा है ? उस पर क्या कार्यवाही हुई वह संस्तुति पत्र क्या है ? क्या अनुमोदन निरस्त करेंगे ?

श्रीमती स्वरू प कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जी हाँ । विश्वविद्यालय ने अपने पत्र सं 683-84/सम्बद्धता/82 दिनाँक 5-5-82 द्वारा आख्या भेजी है ।

मामला कुलधिपति महोदय को भेज दिया है । संस्तुति पत्र में उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत आवश्यक प्राविधान करने हेतु संस्तुति भेजी गई है ।

मामला कुलधिपति महोदय के विचाराधीन है ।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि संदर्भित मामले में जो आख्या कुलाधिपति को भेजी गयी है, वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, प्रधानाचार्या के सम्बन्ध में जो भी जांच हुई है कि उनकी नियुक्ति वैधानिक थी या नहीं, इसी सम्बन्ध में सारे परिपत्र कुलाधिपति को भेज दिये गये हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, प्रश्न साफ है कि एक प्राचार्या ने गलत सर्टिफिकेट देकर अपनी नियुक्ति करा ली, उसके सम्बन्ध में माननीय विधायकों की ओर से पत्र लिखे गये, माननीय शिक्षा मंत्री कह रही हैं कि पत्र में सत्यता है, आख्या कुलाधिपति को भेजी गयी है । तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आख्या भेजी गयी है ? जब यह मानती हैं, शासन को जानकारी है कि गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, तो उनकी बरखास्तगी के लिए संस्तुति की गयी है या उनकी प्रोन्नति की संस्तुति की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर मैंने यह तो कभी नहीं कहा कि बात सिद्ध हो चुकी है, मैंने यह निवेदन किया है जो हमारे पास शिकायतें आयी हैं, उनके सम्बन्ध में वाइस चांसलर ने श्री भार्गव

के माध्यम से जो जांच करायी थी, उस जांच की आख्या सहित सारे परिपत्र कुलाधिपति को भेज दिये गये हैं। कुलाधिपति सक्षम हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे न्याय करेंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को झुठलाने की कोशिश कृपया न करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि कुलपति ने अपने स्तर से जांच कराके जो आख्या भेजी है, उस जांच में क्या बात सिद्ध हुई है, आख्या में क्या लिखा हुआ है ? पढ़कर ही तो आपने संस्तुति की होगी, वैसे हो तो आपने दस्तखत कर नहीं दिये होंगे। क्या तथ्य सही पाये गये हैं, यह बताने का कष्ट करें ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो जांच की आख्या है, जांच करायी गयी श्री के०एस० भार्गव द्वारा, जांच रिपोर्ट आयी है 31-3-82 को। यह पूछा गया है कि जांच आख्या क्या है, तो, उन्होंने इस बात का संकेत अवश्य किया है, जहां तक उनकी समझ में आया, कि जो प्रमाण पत्र प्राचार्या द्वारा प्रस्तुत किये गये थे कि उनकी 9 प्लस 2 वर्षों का शैक्षिणक अनुभव है, यह अनुभव प्रमाण-पत्र से सिद्ध नहीं होता है। जांच आख्या में जो कुलपति ने लिखा है. उसे मैं पढ़े देती हूँ--

इट सीम्स क्लियर दैट शी हैज मिसलेड दि मैनेजिंग कमेटी आफ दि कालेज ऐज वैल ऐज दि युनिवर्सिटी इन गैटिंग ऐप्रूवल आफ हर एप्वाइंटमेंट ऐज प्रिन्सिपल

सब परिपत्र कुलाधिपति को भेज दिये गये हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने का मौका मिलना चाहिये और कुलाधिपति अवश्य इसमें नीरछीर करके न्याय करेंगे।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। जिस अधिकारी ने जांच किया उस जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को मौका देने के बाद ही जांच आख्या दी है। जिसने आरोप लगाया उसको भी और उस प्राचार्या को मौका देने के बाद आरोप सिद्ध पाया और उसी के आधार पर रिपोर्ट दी जब स्पष्ट रिपोर्ट जांच अधिकारी दे चुके हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किया तो ऐसी प्राचार्या को तुरन्त बरखास्त करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक उस प्राचार्या को बर्खास्त करके उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी सदन को देंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह सारा मामला इंक्वायरी का कुलाधिपति के सामने प्रस्तुत है। सब प्रपत्र स्टडी करने के बाद दोनों पक्षों को सुन कर फैसला देंगे। गलती साबित हुई तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी। इसमें कोई शक नहीं है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुवांपुर फैजाबाद को अस्थाई मान्यता, कथित गलत रिपोर्ट देने के संबंध में जांच

20—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

*क्या सरकार को जानकारी है कि सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुवांपुर (रानीपुर), फैजाबाद के स्थायी मान्यता कक्षा 8 तक के लिए प्रदान कर दी गयी है जबकि उक्त विद्यालय के पास न कोई भवन एवं पुस्तकालय है तथा न कोई साइन्स प्रयोगशाला ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करके गलत रिपोर्ट देने के लिए प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी । विद्यालय के पास भवन था । अस्थायी मान्यता के लिए पुस्तकालय एवं साइंस प्रयोगशाला होना आवश्यक नहीं है । विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है । प्रबन्धक द्वारा कथित गलत रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में जांच करने के बाद यदि आवश्यकता पाई गई तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

1—श्री सूबेदार सिंह—

**क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 नवम्बर, 1982 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कोई ज्ञापन सरकार को दिया था ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । ज्ञापन में उल्लिखित माँगों पर की गयी कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर)

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तरफ तो प्राइमरी शिक्षा फ्री कर दी है, शिक्षा निःशुल्क कर दी है । दूसरी तरफ जो अशासकीय प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें 15 रुपये फीस ली जाती है । इन स्कूलों में भी जनसामान्य के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं । मान्यवर, यह नियमानुकूल नहीं है और न न्यायसंगत ही है कि 15 रुपये फीस वह दें । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी पुनः विचार करेंगी कि 15 रुपये फीस को समाप्त किया जाय और शिक्षा में जो दोहरी नीति बन रही है उसको समाप्त कर 15 रुपये की फीस खत्म करदें ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, परिषदीय स्कूलों में फीस नहीं लगती । बिना फीस लिये शिक्षा देने की योजना जैसा आपको मालुम है राज्य सरकार ने 80 में नीति बनाई है । हम डेढ़ किलो-

मीटर के अन्दर परिषदीय स्कूलों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं और खोलते जा रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न आपने किया 15 रुपये फीस जो मान्ययता प्राप्त स्कूलों में है उस पर विचार करेगी, यह विचाराधीन नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षकों की जो तनख्वाह है वह सरकार स्वयं वहन करती है। बहुत थोड़े से अध्यापक हैं अशासकीय स्कूलों में बिगत 5-6 सालों से मांग कर रहे हैं कि उनका भी वेतन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के बराबर कर दिया जाय लेकिन सरकार ने उनको प्रबन्ध समिति के ऊपर छोड़ रखा है। जो आये दिन नियमित रूप से उनको वेतन नहीं देते हैं और उनकी सेवाओं के साथ अन्याय करते हैं। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगा कि वह कुछ कार्यवाही करना चाहती है, सिद्धान्त रूप में सहमत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में इन अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

आप कह रही हैं कि डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक परिषदीय विद्यालय प्राथमिक स्तर के खोल दिये जायेंगे जब दूर-दूर अभी विद्यालय हैं जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, लेकिन तनख्वाह की व्यवस्था न होने के कारण अधिक शुल्क लगा देते हैं। तो क्या मंत्री जी इसका सर्वे करा कर कि जो विद्यालय ठीक तरह से चल रहे हैं, उनके शिक्षकों को लाभान्वित करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

वेतन वितरण व्यवस्था को लेने के संबंध में व्यय भार के आंकड़े शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से मांगे गये हैं, इसका मतलब है कि सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। तो यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

इसे स्वीकार करने की स्थिति में हम अभी नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

इस प्रकार की प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता देते समय वेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकार की भी शर्त लगाते हैं कि इस योग्यता के अध्यापक संस्थाओं में नियुक्त हों, तभी उनकी मान्यता मिलेगी। तो मान्यता देते समय अपनी शर्तों के हिसाब से मान्यता देते हैं फिर उन अध्यापकों को शासन के नियमों के अनुसार वेतन भी मिलना चाहिए। क्या इस पर आप कार्यवाही करने का विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

इसी प्रश्न को कई बार, कई तरीके से पूछा जा रहा है लेकिन वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत उन अध्यापकों को वेतन देने का मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह विष्ट—

पर्वतीय अंचल में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से बहुत से विद्यालय जिनकी बिल्डिगें बन गई हैं, लेकिन भारत सरकार से इजाजत नहीं मिल रही है और उसी के आधार पर अर्घ मान्यता या पूर्ण मान्यता नहीं मिल रहीं है । इसलिए चूँकि भवन बन गये हैं और उस भूमि के लिए इजाजत नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसे विद्यालयों को मान्यता देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सुझाव आया है, उस पर हम विचार करेंगे । लेकिन स्पष्ट उत्तर अभी हम नहीं दे पायेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के अध्यापकों को वेतन और सुविधायें शासन के नियमों के अन्तर्गत अभी नहीं दिला पायेंगी, तो क्या मान्यता देते समय जो आपकी शर्तें हैं, उनको समाप्त करने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

अगर शर्तों को मानते हैं तो मान्यता दी जायेगी । मान्यता के लिए शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा । और वह इसलिए किया जाता है कि जो शैक्षिक संस्थायें हैं, जो स्कूल चलायें, उनका एक स्टैण्डर्ड हो और वहाँ सही तरीके से शिक्षा दी जाय ।

श्री मेंहदी अगसर—

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड, पुरकाजी के खादर क्षेत्र में 95 प्रतिशत हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अपने स्कूल बनाये हुए हैं । तो क्या मंत्री जी उन को मान्यता देने का कष्ट करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री भीखा लाल—

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से 5 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, किन्तु दूसरे प्राइमरी विद्यालयों में जो यह शिक्षा दी जाती है उसके लिये मनमाने ढंग से फीस ली जा रही है, तो क्या सरकार इसको रोकने का कोई उपाय करेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

15 रुपये माहवार जो वे फीस लेते हैं, वे मनमानी नहीं है, उसके लिये शासन की तरफ से स्वीकृति है क्योंकि इससे ही वे अपने टीचर्स को अच्छा वेतन आदि देते हैं । इस फीस को हटाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री रियासत हुसेन—

संविधान के आर्टिकिल 14 में जो कि कानून की निगाह में सब लोग बराबरी का अधिकार रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार अपने स्कूलों में निशुल्क 5 वें दर्जे तक शिक्षा देती है जबकि दूसरे स्कूल इसी शिक्षा के लिये 15 रुपये और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा वसूल कर रहे हैं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी गैर सरकारी इन स्कूलों द्वारा भी यह फीस न ली जाय ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

उसी को ध्यान में रखकर ही तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि डेढ़ किलोमीटर पर एक प्राइमरी पाठशाला हो और निःशुल्क शिक्षा सबको दी जाय।

श्री रियासत हुसैन—

जहां फीस ली जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जो शैक्षिक संस्थायें सेवा कार्य कह रही हैं, उन पर कोई और प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15 रुपये से अधिक कोई फीस न ले। मगर कहीं कहीं 15 रुपये से अधिक, 50-55 रुपये तक फीस ली जा रही है, जैसे लालबाग स्कूल में। तो जो विद्यालय अधिक फीस ले रहे हैं सरकार के निर्णय से उन पर कोई अंकुश सरकार लगायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लालबाग का आपने जिक्र किया, हमारी जो बालिका विद्यालय निरीक्षक हैं, उन्होंने उनको नोटिस दे रखा है और वे कार्यवाही कर रही हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शासकीय हाईस्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों को वेतन बैंक के द्वारा दिया जाता है तो क्या इसी प्रकार से शासकीय प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों को भी वेतन बैंक द्वारा दिये जाने का प्राविधान क्या माननीय मंत्री जी करेंगी।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि क्या लखनऊ में कुछ ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जहां शासन के निर्णय के विपरीत 15/- से अधिक फीस ली जाती है, इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है या नहीं ? अगर जानकारी नहीं है, तो क्या मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि लखनऊ के कुछ विद्यालयों में कक्षा एक से

कक्षा पॉच तक, 15/- से अधिक फीस ली जा रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन विद्यालयों की छान-बीन करके उन विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं अगर वहाँ नियमों के विपरीत फीस ली जाती है तो आप इस बारे में संकेत दें, उन पर अवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से मद संख्या 5 और 6 की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद् एवं अन्य शिक्षा समितियों ने मॉग की है कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा दूसरी मॉग की है कि विधान परिषद् में उनको स्थान दिया जाय, इस प्रकार उनको जहां पर स्थान दिया जा सकता है वहॉ तो माननीय मंत्री जी ने उनकी मॉग को अस्वीकार कर दिया और विधान परिषद् में जहॉ उनको नहीं दिया जा सकता है वहा कि विचाराधीन है । मान्यवर, इससे मालूम पड़ता है कि सरकार की बुद्धि का दिवाला निकल गया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विधान परिषद् में अध्यापकों को कब तक वह प्रतिनिधित्व दे देंगी । दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद् एवं अन्य शिक्षा समितियों में उनको प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है ।

जूनियर हाई स्कूलों को दी गई अस्थायी मान्यता

2—**श्री केदारनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों की अस्थायी मान्यता तीन वर्ष से ज्यादे समय के पश्चात नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां । अस्थायी मान्यता तीन वर्ष से अधिक अवधि तक चलना शिक्षा के हित में नहीं होगा ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आज प्रदेश में अस्थायी मान्यता प्राप्त लगभग हजारों स्कूल चल रहे हैं और उनके पास भूमि, सम्पदा और साज-सज्जा भी है परन्तु सीमित साधनों के कारण वे स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या शासन ने इस बात का निर्णय लिया या विचार कर रही है कि भवन, साज-सज्जा का सामान और भूमि के होते हुए भी अध्यापक बेकार हो जायेंगे और उनको बेकार न होने दिया जाय ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पहले तो यह नियम था ही कि 5 वर्ष तक उनको अस्थायी मान्यता दी जाय । उसके पश्चात् अगर स्थायी मान्यता प्राप्त की शर्तें पूरी न हों तो उसके बढ़ाने के

ऊपर विचार हुआ करता था । लेकिन मान्यवर, यह देखा गया कि मैनेजिंग कमेटी स्थायीकरण की शर्तों को पूरा नहीं कर सकती है, और जिससे हमारे छात्रों को असुविधा होती है । इसलिये यह रखा गया है कि 3 वर्ष तक मैनेजिंग कमेटी का बन्धन रहे और इसको शीघ्रातिशीघ्र अपने सारे शर्तों को पूरा करने का प्रयास करें और उनको एक इन्सेंटिव मिले ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न-2 के बारे में यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने जूनियर हाई स्कूल हैं तथा साथ ही साथ हमारे कान्सटीट्यूशन में यह सुविधा दी गई है कि शिक्षा सभी को समान रूप से दी जायेगी ? हमारे सरकार की यह नीति है कि सब को शिक्षा देंगे । लेकिन इस सुविधा के अन्तर्गत मान्यता रोक देने से अनेकों बच्चे वंचित रह जाते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इसको देखते हुए जनहित में कोई ऐसा आदेश निर्गत करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अगर उनकी अस्थाई मान्यता समाप्त हो जाती है तो इसकी सूचना अभी नहीं है, एकत्रित कराकर आपके माध्यम से मा० सदस्य को पहुँचवा दूंगी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज एक सामान्य पद्धति यह हो गयी है कि एक विद्यालय को स्थायी तौर पर 3-3 चक्रों में मान्यता दी जाती है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है जिन विद्यालयों को कार्यरत रहते 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं, क्या प्रदेश के ऐसे सम्पूर्ण जूनियर हाई स्कूलों को सरकार मान्यता दे देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो कमी को पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मैंने अभी निवेदन किया कि मामला टलता ही चला जाता हैं, वे शर्तें पूरी नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी भ्रष्टाचार था, इसी को कम करने के लिये 3 साल की सीमा कर दी गयी । अपनी शर्तें पूरी कर लें, स्थायी मान्यता ले लें । इसके अलावा हर जिले में इतने ऐक्टिव एम०एल०एज० और एम० एल०सीज० हैं, क्या वजह है कि वे अपनी शर्तें पूरी करने में असमर्थ रहे और उनको स्थायी मान्यता न मिले ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

[व्यवधान]

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

जिला परिषद के एकीकृत चिकित्सालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों का कार्यकाल तथा स्थायीकरण

1—**श्री उदयवीर सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को विदित है कि जिला परिषद् एकीकृत चिकित्सालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जो लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हा, तो शासन उनके स्थायीकरण की क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पूर्व में एम०बी०बी०एस० योग्यता के चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण जिला परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों में एकीकृत व्यवस्था लागू करके उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति करने के आदेश जिला परिषदों को दिये गये थे। उनके नियुक्ति प्राधिकारी जिला परिषदें ही थीं, फिर भी शासन द्वारा दिनांक 11 मई, 1981 को इस आशय के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि दिनांक 1 जनवरी, 1977 के पूर्व सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त इन गैर एम०बी०बी०एस० चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही स्वयं करें।

जनपद बरेली में ग्राम सभाओं द्वारा स्थायी निर्माण कार्य हेतु ग्रान्ट

2—**श्री जयदीप सिंह बरार** –

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में उन सभी ग्राम सभाओं जो अपने धन से जनहित का कोई स्थायी निर्माण कार्य करवाना चाहें, को उनके द्वारा एकत्रित धनराशि के बराबर मैचिंग ग्रान्ट शासन से प्राप्त हो सके ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

धनाभाव के कारण फिलहाल ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बरेली में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन

3—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को वर्ष 1982-83 के लिए सड़कों एवं पुलियों के निर्माण हेतु कम धनराशि और वह भी देर से क्यों भेजी गयी जबकि वर्ष 1982-83 का बजट समय से पास हो गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बरेली को वर्ष 1982-83 में सड़कों एवं पुलिया निर्माण हेतु कोई धनराशि आबंटित नही की गई। कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का

अपना कोई बजट प्राविधान उपलब्ध नहीं है। बाढ़ एवं अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए भारत सरकार से मिली सहायता में से रुपया 20.00 लाख जनपद बरेली को आबंटित किया गया है।

4—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली को वर्ष 1982-83 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा इससे पूर्व निर्मित की गयी सड़कों इत्यादि के रख-रखाव के लिए कोई धनराशि आबंटित की गयी ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बरेली को निर्मित मार्गों के रख रखाव हेतु वर्ष 82-83 में कोई धनराशि आबंटित नहीं है किन्तु बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत के लिए भारत सरकार से उपलब्ध कराई गयी 7 करोड़ सहायता में से 20.00 लाख रुपये बरेली जनपद को आबंटित किया गया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिये आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है।

गाँव सभा सिधौरा बाजार, जिला वाराणसी की सड़क व नाली बनवाने की कथित योजना

5—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव सभा सिधौरा बाजार ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी का ठेका (तहबाजारी) जिला परिषद् वाराणसी ने नीलाम बोलवा कर किया है ? यदि हाँ, तो उक्त बाजार की सड़क व नाली न बनवाने का कारण क्या है ? क्या सरकार बाजार की सड़क व नाली बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

जिला परिषद धनाभाव के कारण बाजार की सड़क व नाली बनवाने में असमर्थ है। इस कार्य हेतु सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के ब्लाकों में ग्राम प्रधानों को दिया गया चार्ज

6—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नये ग्राम प्रधानों को अब तक पुराने रजिस्टरों एवं आय-व्यय तथा पूरा चार्ज प्रदेश के सभी ब्लाकों में नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

54 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 68462 ग्राम प्रधानों में से 67845 को चार्ज दिलाया जा चुका है। 617 प्रधानों को अपरिहार्य कारणों, यथासम्बन्धित पूर्व प्रधानों की मृत्यु लम्बी बीमारी, लापता या कारावास में होने अथवा मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण चार्ज नहीं दिलाया जा सका है।

ब्लाक पिंडरा व बड़ागांव, जिला वाराणसी के प्रधानों को दिया गया चार्ज

7—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत पंचायत सिंधोरा, ब्लाक पिंडरा व बड़ागाँव, जिला वाराणसी के प्रधानों को अब तक चार्ज नहीं दिया गया है और कहीं-कहीं सादे कागज पर गांव सभा की मुहर चार्ज में दी गयी है ? सभी प्रकार के कागजात रजिस्टर आदि अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड-पिन्डरा की एक गाँवसभा को छोड़कर जिसके प्रधान ने त्यागपत्र दिया है, सभी गाँव सभाओं को चार्ज दे दिया गया है। विकास खण्ड, बड़ागाँव के सभी प्रधानों को चार्ज दे दिया गया है। यह सही नहीं है कि सादे कागज पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करा लिया गया है।

जनपद चमोली में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के रिक्त पद

8—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में 1 नवम्बर, 1982 तक कितने प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

1 नवम्बर, 1982 को प्रधानाचार्य के 19 प्रधानाध्यापक के 5 तथा अध्यापकों के 91 पद रिक्त थे। इनमें से प्रधानाध्यापकों के 4 पदों तथा अध्यापकों के 44 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए जा चुके हैं।

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण सम्प्रति भरना सम्भव नहीं है। शेष रिक्त पदों पर शीघ्र व्यवस्था हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 1982 की इन्टरमीडिएट (संस्थागत) परीक्षा के परीक्षा-फल की घोषणा

9—गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1982 का जो परीक्षा-फल विगत 14 जून, 1982 को घोषित किया गया है उसमें कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल विचारधीन हैं ? वे विचाराधीन परीक्षाफल कब घोषित किये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 14 जून, 1982 को घोषित माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 1982 की इण्टरमीडिएट (संस्थागत) के परीक्षाफलों में से 2.14 प्रतिशत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण उस समय विचाराधीन थे। अब कोई परीक्षाफल अपूर्ण नहीं है।

जनपद फैजाबाद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

10—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का जून, 1982 के बकाया वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ संलग्न आवेदन-पत्र दिनांक 14-9-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो जनपद फैजाबाद के समस्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का माह जून, 1982 से अब तक का बकाया वेतन भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन विद्यालयों के वेतन भुगतान न होने में कोई अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । जनपद के 16 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों के अध्यापकों का मास नवम्बर 1982 तक के वेतन का भुगतान कर दिया है । शेष चार विद्यालयों से वेतन बिल तथा वेतन निर्धारण प्रपत्र तथा विकल्प पत्र आदि अभी नहीं प्राप्त हुए हैं जिसके कारण उन विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भुल्लन सिंह, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, हरिजन केला प्राइमरी पाठशाला नगरपालिका, गाजियाबाद को पेंशन का भुगतान

11—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-7-78 को भुल्लन सिंह, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, हरिजन केला प्राइमरी पाठशाला (बालक) नगरपालिका, गाजियाबाद का पत्र जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें रिटायर होने के बाद पेंशन न दिये जाने की शिकायत की गई है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? उन्हें पेंशन कब तक दे दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भुल्लन सिंह, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक हरिजन केला प्राइमरी पाठशाला, नगरपालिका, गाजियाबाद को पेंशन दिनाँक 8-9-1982 को स्वीकृत की जा चुकी है ।

विकास खन्ड स्याना, जनपद बुलन्दशहर में आम के पेड़ों की मांग की पूर्ति हेतु नर्सरी, मलिहाबाद को आवंटन

12—**श्री छत्तर सिंह**—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1982 में विकास खंड स्याना, जनपद बुलन्दशहर की आम के पेड़ों की मांग के लिये किस नर्सरी को आवंटित किया गया था ? उस नर्सरी के मालिक ने आम के पेड़ क्यों नहीं दिये ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ। विकास खंड स्याना जनपद बुलन्दशहर के लिये आम के पेड़ों की माँग की पूर्ति के लिये मेसर्स राम नर्सरी, मलिहाबाद को आवंटित किया गया था, किन्तु नर्सरी के मालिक ने पूर्ति नहीं की।

इस प्रकार के मामलों में नर्सरी मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्राविधान पौधशाला अधिनियम में नहीं है।

विकास खंड स्याना जनपद बुलन्दशहर में ग्राम पंचायत कर की ग्राम्य विकास अधिकारियों द्वारा वसूली

13—**श्री छत्तर सिंह—**

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि विकास खंड स्याना, जनपद बुलन्दशहर में पंचायत चुनाव के नामांकन के समय जो जून 1982 में हुये थे प्रत्येक सदस्य एवं प्रधान पद के उम्मीदवार से ग्राम पंचायत कर के रूप में ग्राम विकास अधिकारियों ने जो धन वसूल किया था उसे ग्राम पंचायत के खातों में जमा क्यों नहीं किया गया ? धन जमा न करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम पंचायत कर ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा नहीं वसूला गया अतः उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानाचार्य गणेश स्मारक इण्टर कालेज नरसेना, जनपद बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार की जाँच

14—**श्री छत्तर सिंह—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र जो उन्हें 1-9-82 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा प्रधानाचार्य गणेश स्मारक इन्टर कालेज नरसेना जनपद बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार की जाँच कराई गई थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम धौखरिया, जिला बाराबंकी के ग्राम प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जाँच

15—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि ग्राम धौखरिया, परगना रामनगर, जिला बाराबंकी के निवासियों की ओर से सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध बिना प्रधान पद की शपथ ग्रहण किये तथा बिना चार्ज लिये ही ग्राम के तालाब की अवैध व अनियमित नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में एक संयुक्त प्रार्थना पत्र जाँच व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित परगना अधिकारी, तहसील फतेहपुर को जुलाई 1982 से अक्तूबर, 1982 की अवधि में दिया गया था ? इस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ । आरोप निराधार पाये गये । कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फजले रहमनिया हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोंडा को संस्कृत तथा कला विषयों पर मान्यता दिये जाने पर विचार

16—**श्री अकबाल हुसैन—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फजले रहमनिया हाईस्कूल पचपेड़वा जनपद गोंडा को संस्कृत तथा कला विषयों को किन कारणों से 15 जुलाई, 1982 के सूची में मान्यता नहीं दी गई ? क्या यह सही हैं कि अन्य विद्यालयों को कमरे बनवाने के शर्त पर मान्यता दी गई है ? क्या पुनः विचार करके मान्यता देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मुख्यतः प्राभूत कोष में कमी के कारण प्रश्नगत विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर संस्कृत तथा कला विषयों में मान्यता देने का माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रस्ताव शासनादेश दिनाँक 15 जुलाई, 1982 द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

प्रश्नगत विद्यालय को उक्त विषयों की मान्यता देने में भवन की कमी बाधक नहीं थी । किन्तु यह सही है कि विद्यालयों को भवन में थोड़ी सी कमी पर कमरा/कमरे बनाने के प्रतिबन्ध के साथ मान्यता दी जाती है । प्रश्नगत विद्यालय को उक्त विषयों की मान्यता देने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है ।

जिला परिषद् गाजीपुर द्वारा ढ़ढनी ताजपुर मार्ग का निर्माण तथा व्यय की गयी धनराशि

17—**श्री सत्यपाल सिंह—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में जमानियां तहसील के अन्तर्गत ढढ़नी से ताजपुर मार्ग के अवशेष 3 कि० मी० मार्ग का निर्माण जिला परिषद् द्वारा कराया जाना है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कितना कार्य हो चुका है तथा कितना अवशेष है तथा इसे कब तक पूरा किया जावेगा ? अभी तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी धनराशि खर्च करना शेष है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद्, गाजीपुर द्वारा ढ़ढनी (महेब) ताजपुर मार्ग, जिसकी लम्बाई 2.4 कि०मी० राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कंकड़ की सड़क बनाई जा रही है । इसके निर्माण पर 1,20,270 रुपये का व्यय अनुमानित है । स्वीकृत लम्बाई 2.4 कि०मी० में से 0.3 कि०मी० में कंकड़ की आपूर्ति हो चुकी है तथा 1.4 कि०मी० की पटरी बना दी गई है । 2.1 कि०मी० पर कंकड़ आपूर्ति का कार्य एवं 1 कि०मी० पटरी का कार्य बाकी है । अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा । मार्ग के निर्माण पर अभी तक 19,316 रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा 1,00,954 रुपये का कार्य शेष है ।

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन परिवारों को सहायता

18—**श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि अन्त्योदय के कार्यक्रम में वर्ष 1980-81

में कितने हरिजन परिवारों की सहायता की गयी ? इस कार्यक्रम के लिए शासन ने कितना धन आवंटित किया था तथा कितना बांटा गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अन्त्योदय कार्यक्रम में वर्ष 1980-81 में 30,344 हरिजन परिवारों को सहायता दी गयी। इस कार्यक्रम के लिए शासन ने रु० 13,96,06,216-43 आवंटित किया था तथा उक्त वर्ष में रु० 8,06,95,846 बाँटा गया।

19—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुकुन्दलाल तिवारी उ०मा०वि० महोबा जिला हमीरपुर के बी०टी०सी० वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापकों को वेतन का भुगतान

20—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकुन्दलाल तिवारी उ०मा०वि० महोबा, जिला हमीरपुर जिसे पहले नगर पालिका महोबा चला रही थी और अब इसी विद्यालय को राज्य सरकार ने 1 मार्च, 1981 से अपने संरक्षण में लेकर राजकीय विद्यालय घोषित कर दिया है लेकिन इस विद्यालय में बी०टी०सी० वेतन-क्रम में कार्यरत 6 अध्यापकों को राजकीय विद्यालय घोषित होने से आज तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उन्हें वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। पद सृजित का न होने के कारण। पद सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री बालकृष्ण भू०पू० ग्राम सेवक के समस्त अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में पत्र

21—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनीस अन्सारी, उप विकास आयुक्त, झाँसी के एक पत्र संख्या 479394, दिनांक 2-2-82 द्वारा अपर जिलाधिकारी (विकास) बांदा को तथा एक पत्र संख्या 82-83 कलमे बांदा को दिनांक 14-4-82 द्वारा जिलाधिकारी बांदा को श्री बालकृष्ण वझे भू०पू० ग्रामसेवक के समस्त अवशेष देयकों के भुगतान कराने के सम्बन्ध में लिखे हैं ? यदि हाँ, तो अब तक श्री वझे के भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ ! अवशेष देयकों के बिलों की पूर्व समीक्षा तथा प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है, जिसे प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

22—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

[दिनांक 14-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित।]

जनपद गोंडा, ग्राम सभा रामनगर के निर्वाचित ग्राम प्रधान को हटा दिया गया चार्ज

23—**श्रीमती कमला साहनी**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास क्षेत्र हरैया सतधरवा ग्राम सभा रामनगर के निर्वाचित प्रधान को आज तक चार्ज क्यों नहीं दिया गया ? क्या इस सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी को कोई पत्र निर्वाचित प्रधान ने दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नव निर्वाचित प्रधान को दिनांक 12-12-83 को चार्ज दिया जा चुका है। प्रधान ने एक प्रार्थना पत्र खण्ड विकास अधिकारी हरैया सतधरवा को दिनांक 10-6-82 को दिया था।

चार्ज के विलम्ब होने में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की शिथिलता पायी गयी। इनकी सेवायें पहले ही समाप्त कर दी गई थी, इसलिये किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई।

बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालय, झांसी में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं की जांच

24—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि उन्हें दिनांक 9-9-82 को दि शेडयूल्ड कास्ट आपलिस्ट यूनियन, जिला शाखा झांसी के अध्यक्ष द्वारा बुन्देलखण्ड विश्व-विद्यालय, झांसी में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु उन्हें पत्र दिया गया था, मिला ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति से आख्या माँगी गयी है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः, सम्प्रति, जाँच के परिणाम बता पाना सम्भव नहीं है।

रबी की फसल में पैदावार बढ़ाने हेतु कृषकों को खाद, पानी, बिजली और बीज देने में विशेष छूट

25—**श्री हरगोविन्द वर्मा**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 और 1983 की रबी की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किसानों को खाद, पानी, बिजली और बीज देने में विशेष छूट देने की कोई व्यवस्था की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता से प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिलों के लघु तथा सीमान्त कृषकों को फास्फेटिक तथा पोटास रसायनिक उर्वरकों तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों के क्रय

पर क्रमशः 25% तथा $33\frac{1}{3}\%$ की दर से अनुदान की सुविधा हेतु 4.32 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है ।

प्रदेश में ओलावृष्टि तथा बाढ़ से फसल को क्षति, तकावी का वितरण

26—श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कृषि स्थिति जो बाढ़, सूखा, और ओले से बिगड़ गयी है उसको सम्भालने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ । प्रदेश में बाढ़ तथा ओलावृष्टि से खरीफ फसल को हुई भंयकर क्षति को ध्यान में रखकर आर्थिक रूप से विपन्न कृषकों को रबी में बीज तथा उर्वरकों के क्रय हेतु 2.50 करोड़ की धनराशि तकावी वितरण हेतु स्वीकृत की गयी है ।

27—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद गोरखपुर में एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण तथा व्यय की गई धनराशि

28—**श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद**—

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के प्रत्येक ब्लाक की सीमा के अन्दर एन०आर०ई०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 व वर्ष 1982-83 के माह नवम्बर 11, 1982 तक कितनी-कितनी मात्रा में कहां से कहां तक सड़कें, पुलिया, खड़ंजा आदि का कार्य किया गया है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? इस कार्य के सही मूल्यांकन हेतु किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद गोरखपुर में एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 तथा 81-82 में स्वीकृत कार्यों का विवरण काफी विस्तृत है जिसे मा० सदस्य मेरे कक्ष में देखना चाहें । वर्ष 1982-83 के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर प्रेषित की जायेगी ।

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर कार्यों का मूल्यांकन तथा उस की जाच कराई जाती है ।

श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल पपेरदा, बांदा का अवशेष वेतन का भुगतान

29—**श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के अर्धशासकीय पत्रांक/शि०मु०/एक (33) 77-72, दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 के अनुसार श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल, इन्चार्ज प्रधानाध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल पपरेंदा,

जनपद बांदा का अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा में जे० टी० सी० वेतनक्रम में नियुक्त सहायक शिक्षकों की पदोन्नति

30— **श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या शिक्षा मंन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुरा में जुलाई, 196[illegible] में जे० टी० सी० वेननक्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी होने के बाद की तिथि से सुमोटो पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी ? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे० टी० सी० वेतनक्रम में किये गये कार्य पर सी० टी० वेतनक्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्टूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पटर्यन निदेशालय के मुख्यालय पर उपनिदेशक, श्री एच० डी० मिश्र की नियुक्ति तथा वेतन का आहरण

31—**श्री हरगोविन्द वर्मा,**
श्री राम आसरे वर्मा तथा
श्री रियासत हुसैन—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन निदेशालय के मुख्यालय पर पी० सी० एस० संवर्ग के उप निदेशक प्रशासन का कोई पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो तंमान समय में इस पद पर श्री एच० डी० मिश्र किस आधार पर कार्यरत हैं और इनका वेतन किस प्रकार आहारित किया जाता है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

"जी नहीं"

श्री एच० डी० मिश्र, निदेशालय में स्वीकृत उप निदेशक पर्यटन के एक रिक्त संवर्गीय पद के विरूद्ध कार्यरत हैं और इसी पद के विरुद्ध इनका वेतन आहारित किया जा रहा है ।

नवाबगंज आसवी में पूर्णकालिक अधीक्षक की नियुक्ति की मांग तथा प्रपत्र पी० डी० 8 में कथित घपले की जांच

32—**श्री ऊदल**—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज, जिला गोण्डा की डिस्टीलरी में कोई अधीक्षक आज तक नहीं है और सारा कार्य जिला आवकारी अधिकारी को सुपुर्द किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्रीविद्या भूषण)—

जी हां ।

विभाग में आबकारी अधीक्षकों के कई पद रिक्त होने के कारण नबाबगंज आसवनी में पूर्णकालिक अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

33—श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में स्प्रिट रजिस्टर पी० डी० 8 में जिसमें देशी शराब, विदेशी शराब आदि का लेखा जोखा रखा जाता है, उसमें बहुत घपला किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं पी०डी०8 कोई रजिस्टर नहीं है । केवल प्रपत्र है, नबाबगंज आसवनी/गोंडा/ के प्रपत्र पी०डी० 8 में जिसमें वाश में प्रयुक्त शीरे की मात्रा, कितने टैंकों में वाश स्थापित किया व वाश की मात्रा लीटरों में कितनी है, आदि के सम्बध में घोषणात्मक अंकन किया जाता है, कोई घपला नहीं किया गया है । अतएव किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

34—श्री ऊदल—

क्या आवकारी मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि स्प्रिट रजिस्टर पी० डी०-8 का पृष्ट संख्या4 गायब है और पूरे रजिस्टर में कटिंग की गयी है ? क्या उसी पी० डी०-8 से पी० डी०-9 तैयार किया जा रहा है ? क्या सरकार को पता है कि इस कटिंग एवं अन्य घपलों से लाखों रुपए का गबन घोटाला किया गया है ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं, आसवनी अथवा जिला कार्यालय में पी० डी० 8 कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है । अदएव इसके पृष्ठ सं० 4 के गायब होने का अथवा पूरे रजिस्टर में कटिंग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । आबकारी मैनुअल खंड-1 के पैरा 822 की व्यवस्था के अनुसार प्रपत्र पी० डी० 8 में प्राप्त घोषणा और प्रपत्र पी० डी० 5 की आबकारी निरीक्षक की डायरी से ही पी० डी० 9 का रजिस्टर तैयार किया जाता है । इनमें कटिंग करके किसी प्रकार का घपला या गबन घोटाला नहीं किया गया है ।

गोंडा आबकारी विभाग द्वारा एच० एस० डी० तथा एल० डी० ओ० के लाइसेंसों का नवीनीकरण

35—श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जिला गोंडा आबकारी विभाग में एस० एच० डी० एल० डी० ओ० के० लाइसेंसों का नवीनीकरण तथा नए बनाए गये लाइसेन्सों जिसमें आबकारी निरीक्षकों से रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त की गयी है ? ऐसा क्यों ? क्या यह सत्य है कि लाइसेन्स का नवीनीकरण तथा नये लाइसेन्स उन लोगों के नाम बने हैं जो मर गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री विद्या भूषण—

गोंडा आबकारी विभाग द्वारा किसी ऐसे लाइसेंस को न तो जारी किया जाता है और न नवीनीकरण ही किया जाता है । एच० एस० डी० तथा एल० डी० ओ० के फुटकर

तथा पम्प से बिक्री हेतु डीलरों का मात्र रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट का नवीनीकरण किया जाता है। इस सर्टीफिकेट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक से रिपोर्ट मांगे जाने की कोई व्यवस्था उ० प्र० सेल्स आर परचेज आफ मोटर स्पिरट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन नियमावली 1977 में नहीं है। किसी मृत व्यक्ति के नाम न तो रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जारी हुआ है और न तो नवीनीकरण हुआ है। ऐसी स्थिति में जांच और खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री कुंवर सिंह नेगी

[दिनाँक 21-2 83 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु विधायकों को आमंत्रित किया जाना

37—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1122/38-2-1979 ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के अनुसार 1, जनवरी, 1981 से लेकर 1 नवम्बर, 1982 जिलास्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु जनपद चमोली में प्रश्नकर्ता को कितनी बार आमंत्रित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश का कठोरता से परिपालन करायेगी तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

1 जनवरी, 1981 से लेकर 1 नवम्बर, 1982 तक जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु प्रश्नकर्ता को औपचारिक रूप से आंमत्रित नहीं किया गया जिसके लिए जिलाअधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है तथा पुनः निर्देश दे दिये गये हैं कि वे भविष्य में माननीय क्षेत्रीय विधायकों को शासनादेश के अनुसार योजनाओं के निरीक्षण हेतु विधिवत आमंत्रित करें और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। शासनादेश के अनुसार जनपद के विकास खण्डों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित विकास शिवरों में प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किया गया है।

38—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

39—श्री कुंवर सिंह नेगी —

[6 ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों से प्रतिमाह जी०पी०एफ० तथा बीमे से काटी गयी धनराशि तथा जांच

40—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक अध्यापकों से प्रतिमाह 10 फीसदी जी०पी०एफ० तथा 10 रु० प्रतिमाह बीमे का काट लिया जाता है ? क्या यह सत्य है कि सन् 1962 से लेकर अब तक उक्त मदों में कटा हुआ रुपया उक्त मदों में नहीं जमा किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

41—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी के बीमा के मद व जी.पी.एफ. के मद के कटौती के हिसाब की छानबीन कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यदि प्रश्नगत पदों में अनियमियता को कोई शिकायतें ठोस प्रमाणों सहित प्राप्त होगी तो उनकी जाँच करा ली जायेगी।

कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं व जू. हा. स्कूल में फर्जी आदेशों द्वारा नियुक्तियां व ट्रांसफर की जांच

42—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला राजापुर, ब्लाक हरहुआँ प्रा०पा० मझ मिटिया, ब्लाक हरहुआं, प्रा०पा० प्रकाशपुर ब्लाक भदोही कन्या प्रा. पा. बड़ागांव ब्लाक बड़ागाँव, जू.हा. स्कूल मोढ़, ब्लाक सुरियांवा, तथा प्रा.पा. बनपुरवां ब्लाक काशी विद्यापीठ, जिला वाराणसी में क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती मिथिलेश तिवारी, राम समुझ सिंह, उर्मिला देवी, एवं विज्ञान अध्यापक मोढ़ तथा प्रधानाध्यापक बनपुरवा की नियुक्तियां व ट्रान्सफर फर्जी आदेश बनाकर किया गया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती मथिलेश तिवारी की नियुक्ति अगस्त, 1981 से ही की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

43—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सैकड़ों अध्यापकों अध्यापिकाओं को नियुक्तियां व ट्रान्सफर सचिव के फर्जी आदेश बनाकर तथा फर्जी बी.टी.सी. ट्रेनिंग सर्टीफिकेट देकर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपया सरकारी कोष से तनख्वाह में दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतिरिक्त विद्यालय उप निरीक्षक के पद पर वरिष्ठतम उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा चार्ज लेने में असमर्थता

44—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अतिरिक्त विद्यालय उप निरीक्षक के पद पर इस समय स्थानापन्न व्यवस्था में वरिष्ठतम उप विद्यालय निरीक्षक को चार्ज नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। क्योंकि वरिष्ठतम प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक के पद का कार्यभार लेने में अपनी व्यक्तिगत असमर्थता व्यक्त की थी।

श्री शिव प्रसाद, सहायक अध्यापक, जिला परिषद, आजमगढ़ को वेतन का भुगतान न होने सम्बन्धी पत्र

45—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिव प्रसाद, सहायक अध्यापक, जिला परिषद्, आजमगढ़ को सितम्बर, अक्तूबर, 1982 माह के वेतन के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 4-10-82 शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें इतने दिनों बाद तक वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

46—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1982 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याँकन विभागीय रजिस्ट्रार द्वारा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो अन्य से मूल्यांकन कराने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। शासन के आदेश के अनुसार जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1982 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जनपद स्तर पर कराया गया।

बेचन राम परिचारक जूनियर हाई स्कूल, लखनी, जिला आजमगढ़ में चपरासियों के वेतन में असमानता सम्बन्धी पत्र

47—श्री राजकुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें वेचन राम परिचारक जूनियर हाई स्कूल लखनी तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-11-82 के साथ इस आशय का मिला था कि उसे मात्र 92 रु० माहवारी वेतन भत्ता मिलता है जबकि अन्य चपरासियों को 165 रु० प्रतिमाह मिलता है यदि हां, तो इस असमानता और न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

48—श्री राजकुमार राय—

[4 थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुख्य अभियन्ता आर०ई०एस० द्वारा आजमगढ़ जनपद के मार्गों का निरीक्षण

49—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता आर.ई.एस. ने दिनाँक 27-7-82 को आजमगढ़ जनपद के कुछ मार्गों का निरीक्षण किया था ? यदि हाँ, तो वह मार्ग कौन से थे उनके बारे में उनकी रिपोर्ट क्या थी और उनकी प्रगति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ, यह सत्य है कि दिनाँक 27-7-82, को मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय विधायक श्री राजकुमार राय के साथ आजमगढ़ में निम्न मार्गों का निरीक्षण किया गया :—

1—पक्की सड़क से धनौली ।

2—वलिया रोड से विलौली लक्ष्मणपुरी जी की कुटिया ।

3—पक्की सड़क से रसूलपुर ।

4—चकऊत से भुवालीपुर ।

5— दरगाह से वीवीपुर ।

6—परशुरामपुर से करनपुर ।

7 डुमरी से लदवई ।

8—ढ़िलाई से फिरोपुर ।

9—सेमरी जमालपुर ।

क्रमाँक–1 से 4, 7 एवं 9 का कार्य निरीक्षण के समय प्रगति में था, जो अब पूर्ण हो गया है । क्रमाँक–6 पर उल्लिखित मार्ग का काम प्रगति में है ।

आजमगढ़ जनपद में उप विद्यालय निरीक्षकों का कथित क्षेत्र परिवर्तन

50—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जुलाई, 1982 में उप विद्यालय निरीक्षकों का क्षेत्र परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? सक्षम अधिकारी के अनुमोदन न लेने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । शेष के लिये प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राजकीय कार्य हेतु लिया गया यात्रा भत्ता

51—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के वर्तमान विद्यालय निरीक्षक यहाँ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक प्रति माह अलग-अलग कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और अलग-अलग कहाँ-कहाँ की यात्राएं किस प्रयोजन से की हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ श्री भगवान स्वरूप सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अभी तक केवल एक यात्रा राजकीय कार्य से गोरखपुर तक की। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त यात्रा का यात्रा भत्ता अभी नहीं लिया गया।

ग्राम सूरजपुर में खड़ंजा निर्माण हेतु कार्यवाही

52—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ ने अपने पत्रांक 3211/X15/पंचायत/82-83, दिनांक 21/26 मई, 1982 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, दोहरी घाट के सूरजपुर गांव में खड़ंजा निर्माण के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी और खड़ंजा कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

ग्राम सूरजपुर विकास खण्ड दोहरी घाट में 21,680 रुपये की लागत से 373 मीटर लम्बा खड़ंजा लगाया जाना है, जिसमें से 13,549 रु० की लागत से 307 मीटर खड़ंजा लग चुका है। शेष कार्य वर्ष 1982-83 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

जिला परिषद, जालौन द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय तथा कार्यरत कर्मचारी

53—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में कितने आयुर्वेदिक औषधालय जिला परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें कितने वैद्य तथा अन्य कर्मचारी हैं, क्या इन कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद, जालौन द्वारा आठ आयुर्वेदिक औषधालय संचालित किये जा रहे हैं, उनमें 8 चिकित्सक 4 कम्पाउण्डर व 6 चपरासी (कुल 18 कर्मचारी) कार्यरत हैं, परिषद की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण उक्त कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है।

गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों की उपार्जित अवकाश के नगदीकरण की कथित सुविधा

54—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों की उपार्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा प्राप्त है ? यदि हां, तो सीतापुर स्थित उजागर लाल इण्टर कालेज के लिपिक श्री राम कृष्ण को 1982 में यह सुविधा क्यों नहीं दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) द्वारा जिलाप रिषद में कार्य अधिकारी के पद हेतु की गयी संस्तुतियां तथा अतिरिक्तमु ख्य अधिकारी का सृजित पद

55—**श्री बिहारी लाल—**

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद के कार्य अधिकारियों के पद के लिए वेतन आयोग द्वारा जो संस्तुतियाँ दी गयीं वह शासन द्वारा मान ली गयी हैं ? यदि हाँ, तो इसके अनुसार उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के हेतु एक पद अतिरिक्त मुख्य अधिकारी तथा उसके पश्चात मण्डल स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर के पद सृजित किये गये थे ? यदि हाँ, तो वह अभी तक क्यों नहीं सृजित किये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) द्वारा कार्य अधिकारी के पद के लिये की गई संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार कर लिया है। वेतन आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य अधिकारी तथा डिप्टी डाइरेक्टर के पदों के सृजन के सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं की गई है । अतः यह पद सृजित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद पहले से ही सृजित है ।

रानीखेत कन्टोन्मेन्ट बोर्ड द्वारा संचालित प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को शिशु कल्याण योजना के अन्तर्गत सहायता की मांग

56—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—**

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रानीखेत कन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा संचालित प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को शिशु कल्याण योजना के अन्तर्गत सन् 1971 से 1982 तक की आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गयी है और कब वह सहायता दे दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज, मथुरा के भवन का निर्माण

57—**श्री सरदार सिंह—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज मथुरा की नई इमारत का नव निर्माण चल रहा है ? यदि हां तो यह इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत कालेज के भवन का निर्माण अभी शुरू नहीं किया गया है ।

अभी यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य विभागीय प्राथामेकताओं एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर किया जाता है ।

जनपद मथुरा में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण

58—**श्री सरदार सिंह**—

क्या ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम विकास के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कितनी नई सड़कों का निर्माण वर्ष 1980-81 व 1981-82 में हुआ है और कितनी सड़कों का निर्माण अब विचाराधीन है उनका ब्लाक वाइज ब्योरा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मथुरा जनपद में वर्ष 1980-81 में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 179 तथा वर्ष 1981-82 में 89 नई सड़कों का निर्माण हुआ है।

वर्ष 1982-83 में 33 सड़कों का निर्माण विचाराधीन है। इन विचाराधीन सड़कों की ब्लाक वाइज संख्या की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर)

59—**श्री शकर सिंह**—

(7 वे गुरुवार में अतारांकित प्र० सं० 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा में भवन निर्माण कार्य

60—**श्री चन्दन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथरा जनपद में राजकीय इन्टर कालेज के लिये भवन बनाने के लिये शासन द्वारा 81-82 और 82-83 में कितना रुपया स्वीकृत किया गया है और शासन द्वारा भवन निर्माण का कार्य कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1981-82 और 1982-83 में राजकीय इन्टर कालेज मथुरा के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि शासन द्वारा नहीं स्वीकृत की गई है। शासन द्वारा वर्ष 80-81 में पूरे वर्ष के लिये स्वीकृत रु० 23,11,500 में से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 82-83 में 1 लाख रु० अवमुक्त किया गया है।

भवन निर्माण कार्य अभी शुरु नहीं किया गया है। अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो सकेगा।

मथुरा जनपद राजकीय इन्टर कालेज के पुराने भवन की नीलामी

61—**श्री चन्दन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में राजकीय इन्टर कालेज पुराने भवन को कितने रुपये में नीलाम किया गया और कितनी बार नीलाम हुआ है ? क्या उक्त बिल्डिग की नीलामी का कार्य सा० नि० विभाग द्वारा किया गया है। यदि हाँ, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र कटियार, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या 604 पर कब्जा

62—**श्री रामआसरे वर्मा**—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र कटियार, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या 604 का कुल रकबा कितना है और इसमें से कितने रकबे पर फार्म का कब्जा है ? क्या यह सही है कि उक्त नं० का सारा रकबा श्री फारुख अहमद, नियाज अहमद आदि निवासीगण उमरावल तहसील मलिहाबाद हथियाए हुए हैं ? यदि हाँ तो फार्म की जमीन को इनके अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

खसरा 604 ग्राम उमरावल परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ का कुल रकबा पच्चीस बीघा का दस बिस्वा है, जिसमें से खसरा सं० 604 रकबा ग्यारह बीघा सात बिस्वा राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र कटियार, लखनऊ "कृषि फार्म कृषि विभाग" के नाम अंकित है और खसरे के अनुसार फार्म का भूमि पर कब्जा है ।

खसरा सं० 604 रकबा दो बीघा तीन बिस्वा श्री मोहम्मद नियाज अहमद पुत्र श्री मीहम्मद अनवर अहमद व खसरा सं० 604 रकबा 6 बीघा श्रीमती रजिया बेगम पत्नी श्री अनवर अहमद व खसरा सं० 604 रकबा 6 बीघा श्री मोहम्मद खालिद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद अनवर अहमद खातेदारान के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है ।

जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में न लिये जाने का औचित्य

63—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद प्रदेश के 38 जूनियर हाई स्कूलों को जूनियर हाई स्कूल अनुदान सूची से काटा गया है ? यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी --

जी नहीं ।

ऐसे विद्यालयों को औपचारिक रूप से अनुदान सूची पर नहीं लिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हाई स्कूल की अनुदान सूची को प्रकाशित न किए जाने का कारण

64—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल की अनुदान सूची मान्यता वर्ष के आधार पर प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर मान्यता पत्र की तिथि के क्रमानुसार ही लिया जा रहा है ।

श्री कैलाश चन्द्र जैन, सेवा मुक्त शिक्षक, कालीचरण इन्टर कालेज, लखनऊ की पेंशन का भुगतान

65—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कैलाश चन्द्र जैन, सेवा मुक्त शिक्षक, काली चरण इन्टर कालेज, लखनऊ के पेंशन सम्बन्धी समस्त कागजात अगस्त, 1981 में शासन को प्राप्त हो गए थे ? यदि हाँ, तो अब तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को 3-6-82 को अपूर्ण पेंशन पत्रजात प्राप्त हुए थे। जिन्हें पूर्ण कर प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्था के प्रबंधक को कहा गया है। अभी पूर्ण पत्रजात उनसे प्राप्त नहीं हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के स्थापना अनुभाग के अधिकारी, श्री चन्द्रमोहन श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

66—**श्री सन्त बक्स रावत**—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन (मुख्यालय) लखनऊ के स्थापना अनुभाग के अधिकारी श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव को प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिनांक 13 अक्टूबर, 1982 को स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो अब तक श्रीवास्तव द्वारा नये स्थान पर योगदान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार श्री श्रीवास्तव को तुरन्त नये स्थान पर योगदान करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

प्रबन्ध निदेशक के निर्देश से श्री श्रीवास्तव के स्थानान्तरण का क्रियान्वयन रोक दिया गया था। परन्तु एक अन्य आदेश के अनुपालन में श्री श्रीवास्तव ने दिनांक 11-1-1983 को अपने नये स्थान पर योगदान कर लिया है।

जूनियर हाई स्कूल सिकन्दरपुर शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर के भवन निर्माण हेतु कथित स्वीकृत धनराशि

67—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल सिकन्दरपुर शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर भवन निर्माण हेतु 1980-81, 81-82 में कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या स्वीकृत धनराशि का उपयोग भवन निर्माण में कराया गया ? यदि हां, तो किसी ठेकेदार द्वारा निर्माण कराया गया ? क्या भवन निर्माण के पश्चात स्कूल को स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल सिकन्दरपुर शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में जिला परिषद द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण तथा आमंत्रित टेंडर

68—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में जिला परिषद् द्वारा वर्ष 80-81 में कितने कि०मी० मार्गों का पुनर्निर्माण व मरम्मत करायी गयी ? क्या यह सच है कि उपरोक्त दो वर्षों में रुस्तमपुर मलौनी बाँध जैतपुर-वोकटा, सेवई बाजार हरदिया और महाबीर छपरा-कुसमौल मार्ग के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिये 6 बार टेन्डर पड़े किन्तु ठेकेदारों को निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली और कार्य नहीं कराया गया ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत दो वर्षों में 104 कि०मी० सड़कों की मरम्मत करायी गयी । प्रश्न में उल्लिखित सड़कों के निर्माण हेतु टेन्डर आदि मांगे जाने का सड़कवार विवरण निम्न प्रकार है :—

रुस्तमपुर–मालौनीबाँध मार्ग

वर्ष 1980 में केवल एक बार टेन्डर मांगे गए परन्तु टेन्डर रेट परिषद् के अनुमानित मूल्य से अधिक होने के कारण ठेका नहीं हो सका ।

जयतपुर–बोकटा मार्ग

वर्ष 1981 में इस मार्ग के निर्माण हेतु तीन बार टेन्डर आमंत्रित किये गये । ठेकेदार का टेन्डर रेट परिषद् के अनुमानित मूल्य से अधिक होने के कारण टेन्डर परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किये गये ।

सेवई बाजार–हरदिया मार्ग

इस मार्ग के लिये वर्ष 1981 में दो बार टेन्डर मांगे गए । दूसरी बार कि०मी० 2 का 88,468 रु० में ठेका दिया गया, जिसके अनुसार 23/9/82 तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया ।

इसी सड़क के कि०मी० 3 के लिये वर्ष 1981 में चार बार टेन्डर आमंत्रित किये गए । चौथी बार टेन्डर के आधार पर 1, 37, 730 रु० में ठेका 3/11/82 को स्वीकार किया गया । कार्य प्रगति पर है ।

महाबीर छपरा–कुस मौल मार्ग

इस मार्ग के निर्माण हेतु परिषद् द्वारा चार बार टेन्डर मांगे गए । चौथी बार टेन्डर के आधार पर 1, 38, 912 रु० का ठेका स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट है कि बार बार टेन्डर मांगे जाने का कारण ठेकेदारों से निर्धारित दरों से अधिक दरों पर कार्य करने के टेन्डर प्राप्त होना है । इसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक गण्डक समादेश, गोरखपुर के आदेश तथा लिपिकों की निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची में भिन्नता

69—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक गण्डक समादेश, गोरखपुर के लिपिकीय ज्येष्ठता सूची जो गंडक समादेश कमाण्ड स्तर के मुख्यालय से फरवरी, 1982 में निर्गत हुयी और 13 जनवरी 80 को तत्कालीन आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक गण्डक समादेश के आदेश जिस पर वर्तमान उप परियोजना प्रशासक की संस्तुति भी है के द्वारा निर्मित लिपिकीय ज्येष्ठता सूची में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या यह सच है कि अतिरिक्त कृषि निदेशक प्र०उ० ने लिपिकीय ज्येष्ठता सूची मंडल-वार बनाने की अपेक्षा की है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन किया गया।

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, 30 जनवरी 1980 को तत्कालीन आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक गण्डक समादेश ने एक आदेश लिपिकों के ज्येष्ठता क्रम में प्रसारित किया था तथा फरवरी 1982 में लिपिकों की ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई थी। प्रश्नगत आदेश एवं जेष्ठता सूची में भिन्नता है। 30 जनवरी 1980 को प्रसारित आदेश उस समय इस निर्णय के अनुसार जारी किया गया था कि मुख्यालय के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची अलग अलग होगी। बाद में आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना ने मुख्यालय एवम् अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार करने का निर्णय किया था। इसी कारण प्रश्नगत आदेश एवं ज्येष्ठता सूची में भिन्नता है।

जी हां, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रश्नगत आदेश निर्गत किये गये हैं। यह आदेश कृषि विभाग के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं परन्तु समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

जनपद हरदोई के अध्यापकों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

70—श्री हरीशंकर तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जनपद हरदोई के कुछ अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25/8/82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां। उक्त पत्र शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को 9/9/82 को भेजा गया। कार्यवाही के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है।

पी०डी० जैन उ०मा० विद्यालय, टिकैतनगर, बाराबंकी में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के भूगोल प्रयोगात्मक के अंक प्राप्त न होने से अपूर्ण परीक्षाफल

71—श्री प्रदीपकुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1979-80 के परीक्षा केन्द्र, पी०डी० जैन उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय, टिकैतनगर, बाराबंकी में सम्मिलित एवं जनता उ०मा० विद्यालय बदोसराय, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित कतिपय व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के भूगोल प्रयोगात्मक (तृतीय प्रश्न पत्र) के प्राप्तांक अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिनके कारण उन परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल रुका पड़ा है ? यदि हां, तो प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अब तक न भेजे जाने का कारण क्या है और अंक प्राप्त होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1980 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में पी०डी० जैन उ०मा० विद्यालय टिकैतनगर, बाराबंकी केन्द्र से सम्मिलित किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी का परीक्षाफल भूगोल प्रयोगात्मक के प्राप्तांक के अभाव में अपूर्ण नहीं है। सभी के प्राप्तांक एवं परीक्षाफल पंजीकरण केन्द्र जनता उ०मा० विद्यालय बदोसराय बाराबंकी के पास उपलब्ध है।

श्री पी०के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध जनपदों से प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच

72—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा**
श्री राम गोविन्द—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर (श्री पी०के० सिंह) ने गत तीन वर्षों में कब से कब तक किन-किन जनपदों में कार्य किया और इस बीच इनके विरुद्ध किन-किन जनपदों से कितनी शिकायतें शासन को मिली ? किन-किन शिकायतों की जांच किन अधिकारियों से करायी गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री पी०के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता दिनांक 10/8/80 से 9/8/81 तक गोरखपुर प्रखण्ड में, दिनांक 10/8/81 से 23/8/81 तक आजमगढ़ प्रखण्ड में दिनांक 24/8/81 से 14/12/81 तक गोरखपुर प्रखण्ड में एवं दिनाँक 15/12/81 से 16/3/82 तक आजमगढ़ प्रखण्ड में कार्यरत रहे तथा दिनाँक 17/3/82 से वर्तमान तक गोरखपुर प्रखण्ड में कार्यरत हैं। विगत तीन वर्षों में श्री पी०के० सिंह अधिशासी अभियन्ता, के विरुद्ध उन के गोरखपुर प्रखण्ड के कार्यकाल से सम्बन्धित कुल 26 शिकायती पत्र प्राप्त हुये, जिनमें 21 शिकायती पत्र गोरखपुर, 2 बिलिया, 1 लखनऊ, 1 बस्ती, एवं 1 देवरिया जनपद से प्राप्त हुये थे।

उक्त शिकायती पत्रों की जाँच टेकनिकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्पन्न की गई। जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

जनपद चमोली में नये विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव

73—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितने नये विकास खण्ड खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद चमोली में दो नये विकास खण्डों अलकनंदा तथा चांदपुर गढ़ी के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परन्तु वर्तमान में नये विकास खण्डों को सृजित करने का कोई विचार नहीं है।

74—**श्री यदुनाथ सिंह**—

[4 थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विकास खण्ड खोराबार, गोरखपुर जिला परिषद के अन्तर्गत चन्द्रा घाट का ठेका

75—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड, खोराबार, गोरखपुर जिला परिषद के अन्तर्गत चन्दाघाट का ठेका मल्लाहों द्वारा, गठित "नावक जल मजदूर मत्स्य-जीवी सहकारी समिति लि० चन्दाघाट, को न देकर एक व्यक्ति को 26,000 रुपया सालाना में दिया गया है जबकि उक्त समिति 26,500 रु० प्रतिवर्ष देने को तैयार थी ? यदि हां, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ । पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद भी जब नाविक जल मजदूर मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि०-चन्दाघाट, निर्धारित शर्तों के अनुसार उक्त घाट को लेने पर तैयार नहीं हुई तो जनहित में उक्त घाट का पट्टा सार्वजनिक नीलाम द्वारा सर्वोच्च बोली पर एक व्यक्ति को 26,000/–रु० में एक वर्ष के लिये दिया गया । उक्त समिति सार्वजनिक नीलाम सम्पन्न होने से पहले 26,500/-में घाट लेने को तैयार नहीं थी बल्कि रु० 25000/-में ही लेना चाहती थी । चूँकि वर्तमान पट्टेदार में घाट की पुन: नीलामी न करने हेतु मान० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है अत: शासन द्वारा हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में ग्राम समाज के नियंत्रण में संचालित नलकूप

76—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में ग्राम समाज के नियंत्रण में कितने नलकूप संचालित हैं और उनकी वर्तमान समय में स्थिति क्या है ? क्या यह सत्य है कि रखरखाव के अभाव में इनमें से अधिकांश नलकूपों की मोटरें चोरी हो गई हैं या नष्ट होकर काम करने की स्थिति में नहीं हैं ? यदि हाँ तो क्या सरकार ग्राम समाज की इस सम्पित्त की सुरक्षा कर ग्रामीण जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77—**श्री ऊदल**—

[दिनांक 28-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित]

प्रा० पा० लारपुर जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, पत्र

78—**श्री गोपनाथ वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० पा० लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गई तथा जांच के दौरान शिकायत कर्त्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा अधीक्षक के पदों को शिक्षा विभाग के उप विद्यालय निरीक्षक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के संवर्ग में संविलीन करने का प्रस्ताव

79—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत नगर क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा अधीक्षकों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की निरीक्षण शाखा एस० डी० आई०/डी० आई० के सम्वर्ग में सम्विलीन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । प्रश्नगत प्रकरण में शिक्षा अधीक्षकों के पदों को शिक्षा विभाग के उप विद्यालय निरीक्षक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के संवर्ग में संविलीन करने के प्रस्ताव पर उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के परामर्श हेतु अनुरोध किया गया है तथा प्रसंगागत प्रकरण पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को दिया गया पर्वतीय भत्ता

80—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के बाद से पर्वतीय भत्ता देना बन्द किया गया है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह में खोले गये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

81—**श्री सरदार सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 80-81, 1981-82 में जनपद मथुरा के ब्लाक फरह में किस-किस स्थान पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये ? उनमें कितने-कितने अध्यापक रखे गये तथा कितने प्रौढ़ों को प्रशिक्षित किया गया ? इस पर शासन का कुल व्यय क्या हुआ था ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह में वर्ष 80-81-में 79 ग्रामों में 152 केन्द्र व 81-82 मे 64 ग्रामों में 151 केन्द्र खोले गये, इन पर क्रमश: 152 व 151 अनुदेशक /अध्यापक नियुक्ति किये गये तथा क्रमश: 4,366 व 4,484 प्रौढ़ों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त वर्षों में क्रमश: परियोजना प्रशासन पर हुये व्यय को छोड़कर लगभग रु० 1,01,280.48 तथा रु० 1,11,340.28 मात्र व्यय हुआ।

तेलीबाग मोहल्ला, लखनऊ में थानाध्यक्ष द्वारा मारा गया छापा तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

82— **श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के तेलीबाग में दिनांक 29-10-82 को देशी शराब के एक ठेके पर छापा मारा गया और अवैध शराब बनाने का एक विशाल कारखाना पकड़ा गया ? यदि हाँ, तो छापे में कितने रुपये का सामान पकड़ा गया था ? इस अवैध व्यापार के लिये कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, 29-10-82 को लखनऊ के तेलीबाग मोहल्ले में थानाध्यक्ष कैंट द्वारा दो स्थानों पर छापा मारा गया। पहला स्थान देशी शराब की दुकान के पीछे नीचे की मंजिल का तहखाना व बरामदा था तथा दूसरा स्थान श्री सागर नामक व्यक्ति की कोठरी थी। इन स्थानों पर शराब बनाने के काम में आने वाले सामान एवं उपकरण बरामद हुए। बरामद शराब एवं उपकरणों का मूल्य लगभग रु० 2,50,000/– है जैसा कि पुलिस ने रिपोर्ट दिनांक 25-2-83 में सूचित किया है। पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ दोषी पाये गये व्यक्तियों जिनमें, तीन मौके पर पकड़े गये के विरुद्ध आई० पी० सी० एवं यू० पी० एक्साईज ऐक्ट के अन्तर्गत 29-10-82 को मुकदमा कायम किया गया। अभियोजित व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री हर नारायन उर्फ तुर्त्तल पुत्र श्री खैरातीलाल निवासी खापरा मोहाल कानपुर (मौके पर गिरफ्तार)
(2) बाबू राम पुत्र श्री सुन्दर लाल निवासी मेथीटीकुर, उन्नाव (मौके पर गिरफ्तार)
(3) पप्पू पुत्र श्री राम किशन निवासी थसुइया कटरा थाना हरपालपुर हरदोई (मौके पर गिरफ्तार)
(4) श्री राजेन्द्र कुमार मैनेजर, ठेका तेलीबाग, लखनऊ।
(5) श्री अनिल कुमार, ठेकेदार ,, ,,
(6) श्री मो० सलीम ,, ,,
(7) श्री मंगल प्रसाद ,, ,,
(8) श्री राम प्रताप सिंह ,, ,,

अनुज्ञापन दिनांक 21-12-82 को निरस्त किया गया। पुन: 4-1-83 को नीलामी की गयी। पिछली नीलामी की अपेक्षा रु० 17300/- की वृद्धि हुई। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, श्री अजय सिंह यादव को निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

परगनाधिकारी, ललितपुर, श्री मधुकर द्विवेदी द्वारा विकासखण्ड बार, जनपद ललितपुर में अनियमितताओं की जांच

83—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर परगनाधिकारी, ललितपुर, श्री मधुकर द्विवेदी ने खंड विकास अधिकारी बार, जनपद ललितपुर के सन्दर्भ में 31 जनवरी 82 को जाँच की ? यदि हाँ, तो उक्त जाँच पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य के पत्र दिनाँक 30-1-82 पर परगनाधिकारी, ललितपुर श्री मधुकर द्विवेदी द्वारा विकास खंड बार, जनपद ललितपुर में अनियमितताओं की जाँच के फलस्वरूप उत्तरदायी कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है, एवं विस्तृत विभागीय जाँच कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय कृषि बीज भंडार रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी से खाद्यान्नों की नीलामी, उप कृषि निदेशक से नीलामी की स्वीकृति, नीलामी की सूचना का दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन

84—**श्री ऊदल**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भंडार रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी से गेहूँ एक सौ क्वींटल, धान 450 क्वींटल, चना 225 क्वींटल, मटर 35 क्वींटल, जौ 15 क्वींटल, सरसों, राई 5 क्वींटल, की नीलामी क्रमशः 150 रु० 107 रु० 160 रु० 255/- 130/- तथा 330/रु० पर ता० 12-11-82 को जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी ने कर दिया ? यदि हां तो क्या उक्त नीलामी की स्वीकृति कृषि निदेशक से ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

गेहूँ 632 कुंतल, धान 442 कुंतल, चना 218 कुंतल, मटर 33 कुंतल, जौ 10 कुन्तल, तथा सरसों राई 3-5 कुन्तल क्रमशः 150/-, 110/- 160/-, 255/-, 70/- तथा 330/- प्रति कुन्तल की दर से सार्वजनिक नीलामी की गई ।

जी नहीं ।

नीलामी की स्वीकृति उप कृषि निदेशक, कृषि, फैजाबाद मंडल फैजाबाद से ली गई जो सक्षम अधिकारी है ।

85—**श्री ऊदल**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नीलामी की सूचना जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने तारीख 11-11-82 को अमृत प्रभात दैनिक अखबार में कराया और 12-11-82 को नीलामी कर दी ? क्या यह सही है कि विज्ञापन निदेशक, कृषि की ओर से तथा शासनादेश के अनुसार प्रत्येक विज्ञापन की सूचना, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशक के द्वारा करानी चाहिए ? यदि हाँ, तो सीधे समाचार पत्र को देने का क्या कारण है और इतना कम समय देकर निविदा कैसे और क्यों माँगी गई तथा स्वीकार की गई ? क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

नीलामी की सूचना निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क को किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु दिनांक 3-11-82 को भेजी गई थी साथ ही नियमानुसार नीलामी की व्यापक प्रचार परिपत्रों द्वारा किया गया परन्तु विज्ञापन के 5/11/82 तक प्रकाशित न होने के कारण एहितियात तौर पर उक्त सूचना अमृत प्रभात दैनिक समाचार पत्र में सीधे 5/11/82 को प्रकाशन हेतु भेजी गई जो दिनांक 9/11/82 को प्रकाशित हुई।

जी नहीं।

निविदा नहीं मांगी गई।

नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5, भाग-1 के प्रस्तर 260 ए के साथ पठित अपेंडिक्स 19 डी० के अन्तर्गत की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि बीज भंडार, कमेला, जिला बाराबंकी में उर्वरक का क्रय, प्रभारी बीज भंडार, कमेला का निलम्बन

86—**श्री ऊदल**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भंडार कमेला जिला बाराबंकी में 40 हजार की उर्वरक बेच दी गई और वह उर्वरक मेसर्स काशीराम, स्थान फतेहपुर जिला बाराबंकी की गोदाम में है जो सील की गई है ? यदि हाँ, तो उक्त कृषि बीज भंडार के प्रभारी के खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट अब तक की गयी ? यदि हाँ, तो कब ? क्या यह सही है कि वी० डी० ओ० हैदरगढ़, जिला बाराबंकी ने वायरलेस से सूचना जिला कृषि अधिकारी को भेजी थी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ, ए० 38, 178-46 पैसे की उर्वरक सहायक कृषि निरीक्षक ने बेच दी।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रभारी बीज भंडार कमेला को निलम्बित कर दिया गया है।

जी हाँ।

टिकैत नगर, बीज गोदाम की दीवार गिर जाने से उर्वरकों को क्षति

87—**श्री ऊदल**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बीज गोदाम टिकैत नगर, जिला बाराबंकी में 30 हजार का खाद एवं बीज गबन करके बाढ़ में बह जाने को दिखाया जा रहा है ? यदि हाँ तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। दिनांक 10 से 14-9-82 के बीच लगातार वर्षा के फलस्वरूप 11/12-9-82 की रात्रि में टिकैत नगर बीजगोदाम की दीवार गिर जाने के कारण उर्वरकों के

भोग जाने से 28, 756-98 पैसे की हनि हुई जिसकी सूचना महालेखाकार को भी प्रेषित कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में आई० आर० डी० योजनान्तर्गत व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य, लक्ष्य के अनुरूप ऋण न दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

88—**श्री रामचरण सिंह**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में व वर्ष 1982-83 में आई० आर० डी० या स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान में कितने निर्बल वर्ग या सबल वर्ग के लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रक्खा गया था ? उनकी संख्या अलग-अलग क्या थी ? कितने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ? क्या लाभार्थियों की सब सीडी एडजेस्टमेन्ट हो गयी ? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

89—**श्री रामचरण सिंह**—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या लक्ष्य के अनुरूप ऋण नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बीज विधायन संयंत्र, पुखरायां पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी को दी गई जानकारी पर कृत कार्यवाही

90—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि कानपुर क्षेत्र के उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के बीज विधायन संयंत्र पुखरायां पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28-6-82 को उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी को यह जानकारी दी गयी कि प्रभारी अधिकारी बीज विधायन संयंत्र द्वारा रासीड अण्डर साइज की अवैध रूप से बाजार में ऊंचे दामों में बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुसार अध्यापकों की पदोन्नति

91—**श्री रामस्वरुप वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 15/5/1973—राष्ट्रीय एकीकरण/73, दिनांक 20 मार्च, 1974 के अनुच्छेद—2 तथा 3 एवं शासन के नवीनतम

आदेशों के अनुसार शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु एल० टी० तथा एस० एम० ई० एस० वेतनमान में कार्यरत 1981-82 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के शिक्षकों की पृथक-पृथक वैकल्पिक वरिष्ठता (नेशनल सिनियारिटी) सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं ? यदि हाँ, तो इन सूचियों के आधार पर विभिन्न कोटे के कितने कितने अध्यापकों को जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक उक्त अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति किया गया ? यदि नहीं तो, इस विलम्ब का क्या कारण है और पदोन्नतियाँ किस आधार पर की जा रही हैं तथा कब तक उक्त वैकल्पिक वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित होने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

नेशनल सीनियारिटी के आधार पर अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज०) वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति देने के सुझाव की व्यापकता तथा विधि संगत होने का प्रकरण शासन के विचाराधीन होने के कारण किसी अध्यापक को पदोन्नत नहीं किया जा सका । राजाज्ञा संख्या ख–1/3/1/69/15 दिनांक 9-9-69 के अनुच्छेद 4 के आधार पर निर्धारित अर्हताओं के अनुसार अध्यापकों को पदोन्नति दी जा रही है । वैकल्पिक वरिष्ठता की सूचियाँ प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

ग्राम कासमपुर काठ (मुरादाबाद) में ईंटों का भट्टा

92—**श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कासमपुर काठ (मुरादाबाद) में हाल ही में कोई नया ईंटों का भट्ठा लगा है जो बिना जिला परिषद् के लाईसेन्स लिये चलाया जा रहा है । यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ ।

इस भट्टे के सम्बन्ध में एक अन्य व्यक्ति ने मुन्सिफ न्यायालय, अमरोहा (मुरादाबाद) में एक मुकदमा दायर कर दिया है । इस मुकदमे में जिला परिषद्, मुरादाबाद को भी पार्टी बनाया गया है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है । अतः न्यायालय के फैसले तक जिला परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेज, गोपेश्वर के अध्यापक आवास गृह के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

93—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज गोपेश्वर (चमोली) के अध्यापक आवास गृह कब तैयार होकर उपयोग में लाये गये और उनकी वार्षिक मरम्मत कब-कब की गयी ? यदि वार्षिक मरम्मत अभी तक नहीं की गयी, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर के अध्यापक आवास गृह 1 जुलाई, 1968 से तैयार होकर उपयोग में लाये गये हैं ।

सीमित वित्तीय साधनों के कारण हर वर्ष मरम्मत हेतु केवल एक हजार रुपये स्वीकृत किया जाता रहा जिससे सभी आवासों की वार्षिक मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता था। इस वर्ष उनकी मरम्मत हेतु उन्नीस हजार रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं।

जनपद बस्ती में अध्यापकों की तदर्थ सेवा काल की वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण

94—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में 18 अगस्त, 1975 के कठिनाई निवारण अध्यादेश प्रथम के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां की गयी थीं जिसे 27 नवम्बर, 1976 तथा 21 अप्रैल 1977 को राजाज्ञाओं से नियमित कर दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त राजाज्ञाओं तथा एजूकेशन ऐक्ट की धारा 51 एवं धारा 7 के अनुसार तदर्थ सेवाकाल की वेतन वृद्धि देय नहीं है ? यदि हाँ, तो बस्ती जनपद में कितने अध्यापकों को तदर्थ सेना काल की वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया गया है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 में धारा 51 जैसी कोई धारा नहीं है और उसकी धारा 7 अथवा कठिनाई निवारण आदेशों का कोई संबंध वेतन निर्धारण से नहीं है। जहाँ तक बस्ती जनपद का सम्बन्ध है, 5 विद्यालयों के 16 सी०टी० तथा 9 एल०टी० वेतनक्रम के अध्यापकों को उनके सेवाकाल के अविछिन्न सेवा पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ वेतन निर्धारण हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया कि विभाग अथवा शासन द्वारा आपत्ति किये जाने की दशा में आवश्यक समायोजन कर लिया जायगा।

जनपद बरेली के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु जिला परिषद बरेली को दी गयी धनराशि, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

95—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला परिषद् बरेली को प्राप्त शासकीय अनुदान की धनराशि अंकन 3,00,000 रुपए (तीन लाख) जो कि गत वर्ष 81-82 में जनपद बरेली के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु प्राप्त हुई थी और उस धनराशि का उपभोग परिषद् द्वारा 30 जून, 82 तक किया जाना था उस धनराशि के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् भवनों की मरम्मत पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मरम्मत हेतु स्कूलों के चयन में विलम्ब तथा सीमेन्ट के अभाव के कारण प्रश्नगत अनुदान का उपभोग जिला परिषद् द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका। अगस्त, 1982 में केवल 500 बोरी सीमेन्ट परिषद् को प्राप्त हुआ जिसके क्रय पर अनुदान का 20,535 रुपये व्यय हुआ। मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

96—**श्री सत्य पाल सिंह**—

क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उपरोक्त शासकीय अनुदान की धनराशि के अन्तर्गत क्या परिपद् कर्मचारियों का वेतन माह जुलाई, 82 से नवम्बर, 82 तक का

बाँटा गया है ? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि तथा किस अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत ? क्या अधिकारी शासकीय अनुदान की धनराशि परिषद् कर्मचारियों के वेतन पर भुगतान करने हेतु सक्षम था ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि के दुरुपयोग किये जाने हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् द्वारा जिला निधि से जिसमें शासकीय अनुदान भी सम्मिलित है, माह सितम्बर, 82 से माह नवम्बर, 82 तक वेतन अवश्य बांटा गया। इस मामले की जाँच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आदेश मण्डलायुक्त बरेली को जारी कर दिये गये हैं।

जिला परिषद बरेली द्वारा स्थाई रोड गैंग पर प्रतिमाह व्यय की गई धनराशि तथा सड़कों का निर्माण

97—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बरेली में स्थायी रोड गैंग पर जिला परिषद् बरेली प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय करती है। जिला परिषद् ने गत 6 माह के भीतर कौन-कौन सड़कों का निर्माण अथवा मरम्मत की है ? क्या सरकार इस तथ्य की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेगी कि इस रोड गैंग द्वारा जनपद की किसी भी सड़क का निर्माण या मरम्मत न कराकर केवल जिलाधिकारी, बरेली के बंगले पर कार्य किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद बरेली द्वारा स्थाई रोड गैंग पर प्रतिमाह 2313 रुपये की धनराशि व्यय की जाती है। गैंग द्वारा गत 6 माह में निम्नलिखित सड़कों पर कार्य किया गया—

1—टियूलिया लिंक मार्ग।

2—शंखा-अग्रास।

3—मेडा-रामगंगा।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है।

दुद्धी-मलदेवा-बराई डार सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य

98—**श्री विजय सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी ब्लाक में दुद्धी-मलदेवा-बराईडार सम्पर्क मार्ग मात्र 1-5 कि०मी० बनकर आगे कार्य बन्द है और प्रथम 1 कि०मी० पर एक कलवर्ट के लिये गड्डा खोदकर दो वर्ष से अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त कार्य पूर्ण किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दुद्धी-मलदेवा-बराईडार मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 3-00 कि०मी० है, जिसमें से 2-60 कि०मी० मार्ग पर कुटाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रथम कि०मी० में कोई कल्वर्ट अधूरी नहीं है। सड़क के दूसरे कि०मी० में एक पुलिया का निर्माण कार्य

पुलिया की नींव खोदते समय नहर विभाग द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण रोक दिया गया था। अब विवाद समाप्त हो गया है। इस मार्ग का अवशेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी-म्योरपुर और बन्धी विकास खण्ड में स्कूल भवनों का निर्माण

99—**श्री विजय सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी-म्योरपुर और बन्धी विकास खण्ड में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी से कितने स्कूल भवन बनने थे ? कितने पूर्ण हो गये और कितने अधूरे पड़े हैं, और कब से ? ये भवन कब तक बन जाने थे ? क्या अधूरे निर्माण वाले भवन पूर्ण कराये जायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिरजापुर के विकास खण्ड दुद्धी में 10 म्योरपुर में 15 एवं बभनी में 7 स्कूल भवनों का निर्माण होना था जिसमें से क्रमशः 3, 5 तथा 2 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 22 स्कूलों में से 18 का निर्माण कार्य जून 1983 तक तथा 3 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य मार्च 1984 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। विकास खण्ड दुद्धी के अन्तर्गत एक स्कूल भवन (प्रा०पा० कोलिनडूवा) का निर्माण कार्य भूमि का विवाद उत्पन्न हो जाने से रोक दिया गया है। अधूरे स्कूल भवनों का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर।)

दुद्धी-मलदेवा बराईडांड मार्ग पर सोलिंग का कार्य, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

100—**श्री विजय सिंह**—

क्या ग्राम्य समाज विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी-मलदेवा-बराईडांड मार्ग पर सोलिंग खदान का कार्य डिपार्टमेंट से कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक मजदूरों का मजदूरी भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दुद्धी मलदवा बराईडाँड मार्ग पर सोलिंग का कार्य डिपार्टमेन्टल कराया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मजदूरों के मजदूरी का भुगतान कर किया गया है।

दुद्धी महाविद्यालय के निजी भवन के निर्माणार्थ भूमि अर्जन की कार्यवाही तथा विज्ञान विषय खोलने का कथित आदेश

101—**श्री विजय सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दुद्धी महाविद्यालय में भवन के अभाव में विद्यालय का विस्तार व विकास अवरुद्ध हो गया है ? क्या विद्यालय हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं,

महाविद्यालय के निजी भवन के निर्माणर्थ भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है और यह कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी ।

102—**श्री विजय सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दुद्धी महाविद्यालय में विज्ञान का विषय न होने के कारण छात्रों की संख्या कम है । यदि हां, तो मंत्री जी उक्त महाविद्यालय में विज्ञान विषय खोलने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

जी नहीं ।

शेष के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता ।

हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट की सम्बन्धित परीक्षाओं के जाली अंक पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

103—**श्री शंकर सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद में भारी संख्या में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की तथा संबंधित परीक्षाओं की जाली प्रतियां पायी गयी हैं ? यदि हां, तो शासन ने उक्त षड़यन्त्र की चलाने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

जाली अंक पत्रों के कुछ मामले जानकारी में आये थे, जिनमें अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जाँच कराने की कार्यवाही की गयी है । संबंधित परीक्षार्थियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने तथा परिषद कार्यालय द्वारा अंक पत्रों के भेजे जाने की प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु भी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा व्यवस्था की गयी है ।

104—**श्री नन्द किशोर सिंह**—

[दिनाँक 7-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 131 द्वारा उत्तरित ।]

जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव

105—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-10-82 को शिक्षा सलाहकार समिति, शाहजहांपुर की मीटिंग में जो श्री नाजिर अली विधायक की अध्यक्षता में हुई उसमें जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही व शिथिलता के विषय में समिति ने अधिकारियों के विरुद्ध क्या प्रस्ताव पास किए ? क्या शासन को उपरोक्त समिति के निर्णय से अवगत कराया गया है ? यदि हाँ, तो शासन ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला शिक्षा सलाहकार समिति की दिनाँक 23–10–1982 की बैठक में पारित प्रस्तावों की एक प्रति संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर)

जिला परिषद, बरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी एवं कथित निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

106—**श्री सत्यपाल सिंह यादव—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला परिषद् बरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनके वेतन भत्तों पर माह अप्रैल, 1982 से नवम्बर, 1982 तक कुल वेतन पर कितना धन प्रतिमाह व्यय किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् बरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी एवम् कर्मचारी कार्यरत हैं :—

1—अभियन्ता	**1**
2—जूनियर इंजीनियर	**2**
3—ड्राफ्टमैन	1
4—लेखा लिपिक	**1**

इनके वेतन भत्तों पर मास अप्रैल, 82 से नवम्बर 82 तक कुल 28,938 रुपये व्यय हुआ ।

107—**श्री सत्यपाल सिंह यादव—**

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस विभाग द्वारा माह अप्रैल, 1982 से नवम्बर, 1982 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये तथा उन कार्यों पर शासकीय अनुदान एवं परिषद् की पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि कोई भी निर्माण नहीं कराया गया तो वेतन पर उपरोक्त धनराशि के व्यय का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में जिला परिषद् द्वारा कोई निमाण कार्य नहीं कराया गया तथा न ही निर्माण कार्यों पर कोई धनराशि व्यय की गई । कर्मचारियों के नियमित एवं स्थाई होने के कारण उन्हें वेतन न देने का प्रश्न नहीं उठता है । इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों विरुद्ध कड़ी, के कार्यवाही करने के आदेश मण्डलायुक्त वरेली को दे दिये गये हैं ।

चाहरबाटी इन्टर कालेज अरोवा, जनपद आगरा की हाई स्कूल परीक्षा तथा पूरक परीक्षा के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र न प्राप्त होना

108—**श्री बदन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चाहरबाटी इण्टर कालेज अरोला, जनपद आगरा की हाई स्कूल परीक्षा, 1978 के परीक्षार्थियों (व्यक्तिगत व संस्थागत दोनों) के माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो यह प्रमाण पत्र कब तक भेज दिए जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं ।

व्यक्तिगत

परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र अभी तक राजकीय मुद्रणालय से छपकर प्राप्त नहीं हो सके हैं । उन्हें प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

109—**श्री बदन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चाहरबाटी इण्टर कालेज, अरोला, जनपद आगरा के हाई स्कूल पूरक परीक्षा, 1977 (संस्थागत) के प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सभी प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थाओं को भेजे जा चुके हैं ।

110—**श्री राम स्वरूप वर्मा**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

गढ़वाल मण्डल के शिक्षा विभाग में अध्यापकों की पदोन्नति तथा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन

111—**श्री रामस्वरुप वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल०टी० तथा एस०एस०ई०एस० के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात् निचले संवर्ग सी०टी० या एल०टी० से विभागीय पदोन्नति देकर एल०टी० और एस०एस०ई०एस० में नियुक्त किया गया है किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा उन्हें कब तक अनुमोदन कराकर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थायी किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद बिजनौर के सेवा मुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान में विलम्ब तथा धांधले बाजी संबंधी पत्र

112—**श्री थम्मन सिंह गहलौत**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 3/11/1982 को प्रश्न-कर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो जिला परिषद् बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान में विलम्ब तथा धांधलेबाजी किये जाने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद जालौन में भवन विहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल

113—**श्री शंकर सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कितने प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं ? उक्त कमी सरकार कब तक दूर कर देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 107 प्राइमरी तथा 42 जूनियर हाईस्कूलों के भवन नहीं हैं ।

यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त सभी भवनहीन स्कूलों के भवन निर्माण कब तक हो जायेंगे ।

राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा में शिक्षकों की कथित कमी

114—**श्री शंकर सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जनपद के कदौरा स्थित राजकीय इण्टर कालेज में छात्रों की संख्या के अनुपात में कितने शिक्षकों की कमी है तथा सरकार उक्त कमी को कब तक पूरा कर देगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115—**श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जन जाति के अध्यापकों की प्रोन्नति

116—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति जन जाति के अध्यापकों की प्रोन्नति किए जाने के संबंध में प्रश्न-

कर्त्ता का दिनांक 4 अक्तूबर 1982 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हा, तो कुल विद्यालयों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यापकों की प्रोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

निर्धारित कोटे के अनुसार पांच अनुसूचित जाति के अध्यापकों को प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री कालेजों के पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है और स्नातकोत्तर प्रधानाचार्य के पद हेतु कोई शिक्षक अर्ह नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति तथा आरक्षण कोटे का ध्यान

117—**श्री रामस्वरुप निम —**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 82 में कितने अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं तथा क्या आरक्षण कोटे को पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

44 अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ।

आरक्षण कोटे का पूरा ध्यान रखते हुये 37 अध्यापक अनुसूचित जाति के नियुक्त किये गये हैं । जिन पदों के लिये आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी नहीं थे उन पदों पर ही नियुक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों से की गई ।

जनपद गोरखपुर खंड विकास अधिकारी, महाराजगंज के विरुद्ध गबन की शिकायतों की जांच

118—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर खंड विकास अधिकारी महाराजगंज के विरुद्ध सरकारी धनराशि गबन आदि विषयों से संबंधित शिकायतों की जांच मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर ने दिनांक 4-11-82 में प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर किया है ? यदि हां तो क्या पूरी जांच बी०डी०ओ० को हटाकर की जायेगी ताकि जांच में प्रभाव न पड़े ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री नरसिंह त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज (गोरखपुर) के विरुद्ध प्राप्त माननीय सदस्य के शिकायतों पर जांच की जा रही है । बी०डी०ओ० के स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

जलालाबाद (जिला शाहजहांपुर) में तहसील मुख्यालय भवन के पूरब में नजूल भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही

119—**श्री सत्यपाल सिंह यादव**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जलालाबाद (जिला शाहजहाँपुर) में तहसील के पूर्व में जिला परिषद् तथा तहसील की भूमि जहां मुस्लिमों का मोहर्रम (ताजियों) मेला लगता है पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे हैं ? क्या यह सही है कि इस भूमि पर मुस्लिमों का मोहर्रम (ताजिया) मेला लगता है ? जिससे क्षेत्रीय मुस्लिमों में रोष व्याप्त है ? क्या दिनांक 1-7-82 को जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद् शाहजहाँपुर तथा दिनाँक 5-7-82 को एस०डी०एम० जलालाबाद को तुरन्त अतिक्रमण को लेबर द्वारा हटवाने तथा अविलम्ब सख्त कार्यवाही के आदेश दिये गये किन्तु मुख्य कार्य अधिकारी जिला परिषद् तथा परगनाधिकारी जलालाबाद द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ? उक्त दोषी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जलालाबाद (जिला शाहजहाँपुर) में तहसील मुख्यालय भवन के पूरब में जिला परिषद् के प्रबन्ध में नजूल की भूमि है जहाँ मोहर्रम (ताजियों) का मेला लगने का कोई प्रमाण अभिलेखों में नहीं है, पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। इस भूमि पर मुस्लिमों का मोहर्रम (ताजिया) मेला लगने का कोई प्रमाण नहीं है। क्षेत्रीय मुस्लिमों में कोई रोष व्याप्त नहीं है। उक्त भूमि पर अवैध निर्माण की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने नियमानुसार उसे हटाने के आदेश दिये थे जिसके अनुपालन में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, शाहजहाँपुर एवं परगनाधिकारी, जलालाबाद ने दिनाँक 5-7-82 को पुलिस की सहायता से अवैध निर्माण रुकवा दिया है। चूँकि उक्त अधिकारियों ने जिला अधिकारो के आदेशों के अनुपालन में मौके पर नियमानुसार उचित कार्ययाही की है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय शिक्षा सचिव शाखा में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों अधिकारियों की भविष्य निधि पास बुकें पर रिकन्साइल का कार्य

120—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासकीय आदेशों के बावजूद सचिवालय के शिक्षा सचिव शाखा में कार्यरत राजकीय कर्मचारी, अधिकारी की भविष्य निधि की पास बुकें वित्तीय वर्ष 81-82 तक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय में खोले गये खातों से रिकन्साइल नहीं की जा सकी हैं ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की और यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सचिवालय शिक्षा सचिव शाखा में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की भविष्य निधि की पास बुकें वित्तीयी वर्ष 1981-82 तक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय से अभी तक रिकन्साइल नहीं की जा सकी हैं जिसका कारण लेजर प्रपत्रों की आपूर्ति में बाधा आना व स्टाफ की कमी है। फार्म उपलब्ध हो गये हैं और उनमें आवश्यक प्रविष्टियाँ बिलों से की जा रही हैं। प्रविष्टियाँ पूर्ण हो जाने पर रिकन्साइल का कार्य संभव होगा। संबंधित अधिकारी की कोई त्रुटि नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

121—**श्री रामलाल वर्मा**—

[5 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद हरदोई के हत्याहरण स्थान के विकास की योजना पर विचार

122—**श्री रामलाल वर्मा**—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के हत्याहरण (स्थान) के विकासार्थ कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां, हत्याहरण स्थान के विकास की योजना वर्ष 1983-84 की जिला स्तरीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिसमें पहुंच मार्ग पर खड़ंजा लगाना, कुंड की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार तथा उन पर संगमरमर पत्थर लगाना, स्थल क्षेत्र में लाल पत्थर बिछाना, जल निकासी का प्रबन्ध करना, तथा एक पर्यटक शेड का निर्माण करना प्रस्तावित है ।

123—**श्री पंचानन राय**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका

124—**श्री प्रभू नारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका गायब कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन्हें उपलब्ध कराएगी और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अध्यापक, अध्यापिकों की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिकायें विकास स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों की देख रेख में सुरक्षित रखी गई हैं । अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एक से अधिक बार बोए हुए भूमि क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गये कृषि भूमि क्षेत्रफल से प्रतिशत

125—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक से अधिक बार बोए गए कृषि भूमि क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये कृषि भूमि क्षेत्रफल से प्रतिशत, क्रमशः वर्ष 1951-52 और वर्ष 1981-82 में कितना था ? उत्तर प्रदेश में उपरोक्त प्रतिशत अर्थात् फसल सघनता के इतनी धीमी गति से बढ़ने के क्या कारण हैं इसे बढ़ाने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रदेश में एक से अधिक बार बोए गए कृषि भूमि क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए कृषि भूमि क्षेत्रफल से प्रतिशत वर्ष 1951-52 में 21.23 था। वर्ष 1981-82 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1980-81 में यह प्रतिशत बढ़कर 42.69 हो गया जिससे स्पष्ट है कि फसल सधनता की गति इन वर्षों में अपेक्षाकृत दूनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर शीघ्र पकने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराकर कृषकों को तोरिया जायद मूंग व धान बोकर दो फसलें बोने के लिये उत्साहित किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद, जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक रामपुर में कार्यरत अध्यापकों को, अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान तथा सीनियर एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त स्थान

126—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक रामपुर में कार्यरत समस्त अध्यापकों को उनके अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटे गए धन का पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस धन का शीघ्र भुगतान कर शिक्षकों को राहत पहुँचायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

127—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के कितने सीनियर एवं जूनियर वेसिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के स्थान रिक्त हैं ? यह स्थान कब से और किन कारणों से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जूनियर बेसिक विद्यालय, जौनपुर में अध्यापकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग

128—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत वर्ष 1974 से खोले जाने वाले प्रत्येक जूनियर बेसिक विद्यालय में मात्र एक शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि उसी के समकक्ष के नगरपालिका के विद्यालयों में प्रारम्भ से ही तीन शिक्षक नियुक्त हैं ? यदि हाँ तो क्या सरकार परिषदीय विद्यालयों के कार्य भार को देखते हुए अध्यापकों की संख्या बढ़ायेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां। प्रश्नगत एक अध्यापकीय प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या में वृद्धि होने पर निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित किये जा सकते है।

जनपद जौनपुर के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

129—**श्री प्रभूनारायण सिंह**

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगी कि जनपद जौनपुर के कितने मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अभी तक अनुदान सूची पर नहीं है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को अनुदान सूची में न आने के कारण नियमित रूप से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अनुदानित करके वहां के कर्मचारियों का नियमित वेतन भुगतान कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कुल 20 विद्यालय,

जी हाँ ।

वित्तीय कारणों से इन संस्थानों को अनुदान सूची पर क्रमशः ही लिया जा सकेगा ।

कमला महेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय मिर्जापुर की प्राचार्या द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण देकर अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

130—**श्री अजहर इमाम तथा**
श्री कल्लुराम रत्नाकर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमला महेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय मिर्जापुर की प्राचार्य ने अर्ह न होते हुए भी दिनांक 6/5/79 को फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र देकर प्राचार्य के पद पर कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में दिनांक 12/6/79 को अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनाँक 21/8/82 को शिक्षा सचिव व दिनांक 23/8/82 को मा० मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

मामला कुलाधिपति के विचार हेतु भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद के कार्यालय में जीप की मांग

131—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद के कार्यालय में विगत अनेक वर्षों से जीप कार्यरत नहीं है जिसके फलस्वरूप समस्त आवश्यक कार्य अवरुद्ध रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल फर्रुखाबाद में नयी जीप (डीजल चालित) देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जीप कार्यरत नहीं, परन्तु कार्य अवरुद्ध नहीं है ।

प्रबन्ध किया जा रहा है ।

गोरखपुर, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापकों का वेतन

132—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल में कार्यरत अध्यापकों का ही वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

133—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर द्वारा समय समय पर वेतन न बटवा पाने आदि के बारे में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र 23-8-82 को अथवा उसके आस पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1982 को जांच करवाने हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन तथा ऋण का वितरण

134—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर करने वाले कितने परिवारों का चयन स्वत: रोजगार योजना के अधीन कर्ज दिलाने के लिए 1982-83 हेतु चयनित किया गया ? उसमें से कितनों को कर्ज 1 अप्रैल, 1982 से अक्टूबर, 1982 के आखिर तक दिया गया ? सूची बैंक के अनुसार अपेक्षित है ?

श्री बलराम सिंह यादव —

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 11400 परिवारों का चयन वर्ष 1982-83 में लाभान्वित कराये जाने के लिये किया गया है । जिनमें से अप्रैल, 1982 से अक्टूबर, 1982 के अन्त तक कुल 736 परिवारों को अंकन रु० 18-88 लाख रुपये का ऋण स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत दिलाया गया । उपरोक्त ऋण वितरण के बैंकवार विवरण की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ पर)

विकास खण्ड खैराबाद, जिला सीतापुर में प्राइमरी स्कूलो के पास कृषि योग्य भूमि. स्कूल के कोष में जमा धनराशि से प्रा० पा० मुबारकपुर का भवन बनवाये जाने की संस्तुति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड खैराबाद जिला सीतापुर में ऐसे प्राइमरी स्कूल (बेसिक शिक्षा परिषद के) कौन कौन हैं जिनके पास कृषि भूमि है तथा उसकी आमदनी स्कूल के कोष में जमा है ? यदि हां, तो कितना-कितना रुपया जमा है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

136—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या इस आशय की संस्तुति कि प्रा० पा० मुबारकपुर में जमा धन से भवन बनवा दिया जाये प्रश्नकर्त्ता द्वारा अगस्त तथा सितम्बर 1982 में कई बार की गयी है ? यदि हाँ, तो भवन न बनवाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुवा, जिला गाजियाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की जांच

137—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वादय इण्टर कालेज, पिलखुवा जिला गाजियाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय धन के गबन के मामलों की जांच वर्ष 81-82 अथवा उसके आगे पीछे किसी वर्ष कराई गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस विद्यालय के विरूद्ध शिकायतें 1982-83 में प्राप्त हुई तथा उनकी जाँच हेतु विगत 5 वर्षों के रिकार्ड का स्पेशल आडिट दिसम्बर 21,1982 से जनवरी 30, 1983 तक कराया गया है ।

अभी आडिट आख्या प्राप्त नहीं हुई है । अतः कार्यवाही का, प्रश्न नहीं है ।

विभागीय पदोन्नति के मामले ने आयु सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त कर देने तथा सहायक समावेष्टा (युवा कल्याण) के पद पर निर्धारित की गयी आयु सीमा

138—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग ने पदोन्नति के मामलों में आयु सीमा का प्रतिवन्ध समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो सहायक समादेष्टा सहायक निदेशक, युवक कल्याण के पद पर पदोन्नति के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य है ? क्या हाल में ही यह आदेश जारी करने से पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम यादव सिंह -

जी हाँ, यह सही है कि विभागीय पदोन्नति के मामलों में नियुक्ति विभाग ने आयु सीमा का प्रतिवंध समाप्त कर दिया है। सहायक समादेष्टा युवाकल्याण के पद को परिवर्तित कर सहायक निदेशक युवा कल्याण करते हुये तथा प्रादेशिक विकास दल विभाग से युवा कल्याण निदेशालय को स्थानान्तरित करते हुये निदेशक युवा कल्याण की संस्तुति को स्वीकार करते हुये इस पद पर पदोन्नति के लिये 30 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गयी है, ताकि नव सृजित युवा कल्याण निदेशालय के लिये युवा अधिकारी उपलब्ध हो सके, और वह युवा वर्ग की समस्याओं को भली भाँति समझ कर, उनका समाधान करके युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाने हेतु उचित मार्ग-दर्शन दे सकें और अपने अनुभव का लाभ पर्याप्त समय तक उपलब्ध करा सके। इस संबंध में आदेश जारी करने से पूर्व कार्मिक विभाग से सहमति नहीं प्राप्त की गयी, अपितु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की गई थी, क्योंकि यह जनशक्ति निदेशालय को युवाकल्याण निदेशालय में परिवर्तित करने के परिपेक्ष्य में किया गया था।

निदेशक, जनशक्ति के वैयक्तिक सहायक के पद पर क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता की पदोन्नति

139—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता की निदेशक जन शक्ति के वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 4514/दो-बी-46/1756-दिनांक 8-1-1964 के अनुरूप नहीं की गयी ? यदि हां, तो इस अनियमितता को कब तक समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव -

निदेशक, जनशक्ति के वैयक्तिक सहायक के पद पर क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता की पदोन्नति नहीं की गई, अपितु लिपिक संवर्ग के पद शिविरपाल पर स्थायी कर्मचारी की पदोन्नति, ज्येष्ठता एवम् उपयुक्तता के आधार पर की गई थी। अतः इसमें किसी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता।

हाईस्कूल परीक्षा के अपूर्ण घोषित परीक्षाफल

140—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1981 में हुई हाई स्कूल परीक्षा के कितने ऐसे परिक्षार्थी हैं जिनके परीक्षाफल अभी तक अपूर्ण हैं जिन्होंने सभी प्रश्न पत्रों में विधिवत् परीक्षा दी है ? यह परीक्षाफल कब तक घोषित होने की संभावना है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा, बरेली मण्डल, बरेली में अनुत्तीर्ण लिपिकों को स्थायी किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

141—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि कार्यालय उपनिदेशक शिक्षा, बरेली मण्डल, बरेली में सन् 82 में ऐसे कितने शिविर लिपिक नियुक्त किये गये हैं जो शिक्षा लिपिक की

परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं ? क्या ऐसे अनुत्तीर्ण लिपिकों को स्थायी भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था के लिए कौन अधिकारी दोषी है और सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी जनपद के घिरौर और अरांव विकास क्षेत्रों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को सड़कों के निर्माण तथा प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

142—**श्री लल्लू सिंह चौहान—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के घिरौर और अरांव विकास क्षेत्रों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कौन-कौन सी सड़कें तथा प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल बनाने के लिए वर्ष 79-80, 80-81, 81-82, 82-83 में धनराशि उपलब्ध कराई गई ? उसमें कौन-कौन सड़कें बनकर पूर्ण हो गई और उनकी लम्बाई क्या है तथा कौन-कौन स्कूल बन कर पूर्ण हो गये और कौन-कौन स्कूल अपूर्ण हैं तथा कौन-से स्कूल ऐसे हैं जिन पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? उक्त स्कूलों के निर्माण हेतु धनराशि कब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित की गई थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को मैनपुरी जनपद के घिरोर व अरांव विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित सड़कों के लिए वर्ष 1980, 80-81, 81-82 व 82-83 में धन-राशियाँ उपलब्ध कराई गई जो प्रत्येक के सम्मुख विवरण के अनसार पूर्ण हो गई हैं ।

वर्ष	विकास क्षेत्र	सड़क का नाम	प्रस्तावित लंबाई कि०	कार्य का प्रकार	लम्बाई जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है ।
79-80	घिरोर	—	—	—	—
79-80	अरांव	—	—	—	—
80-81	घिरोर	करावली घिरौर मार्ग से जोहरी नगर	0.7	सोलिंग	0.7 किमी
80-81	अरांव	सिरसागंज शिकोहाबाद मार्ग से सराय शेख	1.9	सोलिंग	1.9 किमी०
80-81	अरांव	सिरसागंज शिकोहाबाद रोड से धरमई	0.9	सोलिंग	0.9 किमी०
81-82	घिरोर	मैनपुरी शिकोहाबाद रोड से महटोली	0.450	सोलिंग	0.450 किमी•
81-82	घिरोर	बमरौली से कौसौन	0.7	मिट्टी का कार्य	0.7 किमी•
82-83	अरांव	अरांव से न० इमलिया	1.00	सोलिंग	1.00 किमी०

मैनपुरी जनपद के घिरोर तथा अरांव विकास क्षेत्रों में वर्ष 1979-80,80-81 81-82 एवं 82-83 में निम्नांकित प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के निर्माण हेतु धनराशियाँ प्राप्त हुई । कोई स्कूल अब तक पूर्ण नहीं हुआ परन्तु सभी स्कूलों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

वर्ष	विकास क्षेत्र	स्कूल का नाम	प्राप्त धनराशि	धनराशि कब प्राप्त हुई	भवन निर्माण की स्थिति
79-80	घिरोर	जू०हा० चापरी	82,000-00	जून, 82	खिड़की स्तर तक निर्मित
79-80	अरांव	प्रा०पा० घुडियाटी कपुर	39,600-00	मई, 81	कार्य प्रारम्भ करा दिया
80-81	घिरोर	प्रा०पा० फाजिलपुर	37,600-00	अगस्त, 81	दरवाजे तक निर्मित
80-81	अरांव	प्रा०पा० नगला मदारी	37,600-00	अगस्त, 81	डी०पी०सी० स्तर तक
81-82	अरांव	जू०हा० सरयहैबत-पुर	97,000-00	मार्च, 82	पटान तक निर्मित

मथुरा जनपद में रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अन्तर्गत पक्की गूलों का निर्माण

143—**श्री सरदार सिंह**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार कितनी लम्बी पक्की नालियां (गूलें) सिंचाई हेतु नवम्बर, 82 तक निर्मित हो चुकी हैं ? ध्वस्त हुई पक्की नालियों की मरम्मत हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मथुरा जनपद में रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अन्तर्गत नवम्बर 1982 तक निम्नलिखित लम्बाई की पक्की गूलों का निर्माण विधान सभा क्षेत्रवार हुआ है :—

विधान सभा क्षेत्र का नाम	नवम्बर, 82 तक पक्की गूल का निर्माण (कि०मी०)
1—गोकुल	61.880
2—मांट	27.488
3—सादाबाद	23.017
4—छाता	25.246
5—मथुरा	23.251
6—फरह	10.797
7—गोवर्धन	23.980
योग	195.659

नालियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 24(2) के अधीन चक समितियों की है तथापि तकनीकी दोष के कारण ध्वस्त नालियों की मरम्मत प्रक्षेत्र विकास कार्यों के अन्तर्गत की जाती है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विकास खंड, खैराबाद, परसैड़ी तथा एलिया में चयनित परिवारों को आजीविका हेतु ऋण

144—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद परसेडी तथा एलिया में आई० आर० डी० योजना के अधीन वर्ष 1982-83 के लिए कितने कितने परिवार चयनित किये गये तथा वर्ष के प्रारम्भ में सितम्बर 82 तक इनमें से कितने-कितने परिवारों को आजिविका हेतु ऋण दिया जा चुका था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 600-000 परिवार प्रत्येक विकास खण्ड खैराबाद, परसेंडी तथा एलिया में वर्ष 82-83 के लिए चर्यानित किये गये, जिसमें से आलोच्य वर्ष में सितम्बर—82 तक हैदराबाद में 33 परिवारों को 66,300 रुपये, परसेंडी में 128 परिवारों को 1,56,000 रुपये तथा एलिया में 223 परिवारों को 3,15,261 रुपये का ऋण आजीविका हेतु सुलभ कराया जा चुका है ।

श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज, हरदोई की हाई स्कूल की संस्थागत छात्राओं तथा इण्टरमीडिएट की व्यक्ति छात्राओं के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही

145—**श्री प्रमोद कुमार**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज, हरदोई की हाई स्कूल की वर्ष 1975 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई संस्थागत छात्राओं का प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा अभी तक उक्त विद्यालय को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार समस्त उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्र शीघ्र विद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

145 —**श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी**

सूचना एकत्र की जा रही है ।

146—**श्री प्रमोद कुमार**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेणी माधव विद्यापीठ इण्टर कालेज, हरदोई को वर्ष 1978 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत छात्राओं का प्रमाण पत्र इलाहाबाद बोर्ड द्वारा अभी तक कालेज को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त प्रमाण पत्रों को कालेज को भेजने के आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं हेतु वितरित की गयी पाठ्य पुस्तकें व कापियाँ

147—**श्री ऊदल**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के वेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिए सन् 79 से सन् 81 के सत्र तक कितने रुपये की पाठ्य पुस्तकें

व कापियाँ अलग-अलग सत्र में दी गयी हैं ? क्या इनमें से सभी पाठशालाओं को पूरी-पूरी पाठ्य पुस्तकें व कापियां वितरित की गयी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई में श्री सदारत अली साहब व राकेश कुमार, जूनियर अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश

148—**श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल** -

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरकारी गजट संख्या 20/15-(5)-8-162/73- यू०पी० ए०-34/1972-रूल-1979, लखनऊ 3 जनवरी, 1981 के द्वारा यह स्पष्ट आदेश है कि जिलों में प्रा० व जू० विद्यालयों में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक न रखा जाए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बी० एस० ए० हरदोई ने 25-3-82 को अपने पत्र संख्या नि० प०-13775-874 पांच -नियुक्ति 81-82 द्वारा सदारत अली साहव राकेश कुमार की नियुक्ति कर दी ? क्या यह भी सत्य है कि उस समय प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद थे ? यदि हां तो शासनादेश भंग करने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी —

जी हां ।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत दो अभ्यर्थियों (सर्वश्री सदारत अली साहब व राकेश कुमार) की नियुक्तियाँ जूनियर हाई स्कूल में सिलाई शिक्षक के पद पर की गई थी जो अप्रशिक्षित थें । अतः उक्त अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा दिया जा चुका हैं ।

श्री राम दुलारे लाल, अवकाश प्राप्त अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला औदी, जिला जौनपुर के बकाया वेतन का भुगतान

149—**श्री पंचानन राय—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीराम दुलारे लाल अवकाश प्राप्त अध्यापक प्राइमरी पाठशाला औदी विकास क्षेत्र मछलीशहर जिला जौनपुर के अवकाश प्राप्त करने के कई वर्ष बाद भी 1 अगस्त 72 से 30 जून 1973 तक के अवशेष वेतन तथा अक्तूबर 80 के बकाये वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनकी पेंशन 10 रु० प्रति माह कम निर्धारित हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

श्री राम दुलारे लाल अवकाश प्राप्त अध्यापक प्राइमरी पाठशाला औदी विकास क्षेत्र मछलीशहर जिला जौनपुर के अगस्त, 1972 से 30 जून, 1973 तक के अवशेष वेतन का भुगतान अभी नहीं हुआ है । श्री राम दुलारे लाल 30 जून, 1975 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं अतः, अक्टूबर, 1980 के बकाये वेतन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

1-8-1972 से 30-6-1973 तक के अवशेष वेतन के अभिलेख एकत्रित कर लिये गये है और यह भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों के अध्यापकों के वेतन भुगतान में विलम्ब

150—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर के लगभग 90 प्रतिशत गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों के अध्यापकों को जुलाई 82 का वेतन 20 अगस्त, 82 तक न वितरित किये जाने का क्या कारण है तथा वितरित न किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वेतन वितरण अधिकारियों के अधीन क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी —

सीतापुर जनपद के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा माह जुलाई 82 का वेतन नवीन वेतनमान में ही प्राप्त करने की मांग के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में अभिलेखों की जांच करने, अध्यापकों का विकल्प पत्र आदि प्राप्त करने तथा उनका वेतन निर्धारण करने में समय लगा जिसके कारण उनके माह जुलाई 1982 के वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ । इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित प्राइमरी पाठशाला व जूनियर पाठशालों की मरम्मत हेतु स्वीकृव धनराशि

151—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रा० पा० व जूनियर पाठशालाओं की मरम्मत हेतु 1980-81 में कुल कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग 31-3-82 तक कराके सम्बन्धित पाठशालाओं की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

यह सूचना मा० विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के रूप में वर्तमान विधान सभा सत्र के तीसरे सोमवार को उपलब्ध की जा चुकी है ।

वर्ष 1980-81 के लिये विद्यालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रु० 9,06,360 में से रु० 8,44,638/- जिला परिषद, फैजाबाद, नगरपालिका टान्डा, अयोध्या तथा अकबरपुर को अपने-अपने क्षेत्र के 58 प्राइमरी एवं 4 जू० हा० स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु उपलब्ध करा दी गयी थी । रु० 59,100/-से जनपद के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के 13 प्रायमरी व जू० हा० स्कूल भवन की मरम्मत अपनी देख रेख में अमानी तौर से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से करानी थी । 31-3-1982 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर स्कूल भवनों की मरम्मत क्यों नहीं करायी जा सकी है के सम्बन्ध में शिक्षा निर्देशक से जानकारी की जा रही है । शेष धनराशि रुपया 2,630/से जू० हा० स्कूल भवन की मरम्पत का कार्य पूरा किया जा चुका है ।

प्राइमरी पाठशाला नगला बहरावती के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायती पत्र

152—**श्री बदन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान (श्री पन्ना लाल वर्मा) नगला बहरावती ब्लाक फतेहपुर सीकरी जिला आगरा का दिनांक 28 अगस्त 1982 का लिखा एक शिकायती पत्र प्राइमरी पाठशाला नगला बहरावती के अध्यापकों के विरुद्ध उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पत्र की मुख्य माँगें क्या हैं और क्या शिक्षा विभाग द्वारा पूरी करवा दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा को उक्त शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । शिकायती पत्र की मुख्य मांग प्राइमरी पाठशाला नगला बहरावती विकास क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में कार्यरत सर्व श्री वृज किशोर, मान सिंह तथा भगवान स्वरूप सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण की है ।

श्री भगवान स्वरूप का स्थानान्तरण सितम्बर, 1982 में किया जा चुका है तथा सर्वश्री वृज किशोर व मान सिंह के स्थानान्तरण प्रस्ताव जनपदीय स्थानान्तरण समिति से पारित कराकर प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक के अनुमोदन हेतु भेजा गया है ।

गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरवरिया साथ, जनपद आजमगढ़ में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कथित अनुमोदन

153—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरवरिया साथ जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1976-77 में विद्यालय की प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति के आधार पर सात अध्यापकों की नियुक्ति किया जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ के अनुमोदन के पश्चात केवल छः महीने के लिए प्रबन्धक द्वारा की गई ? यदि हां तो उन्हें पुनः उसी क्रम में बिना प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति के जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा उन्हें आज तक सेवा में क्यों रखा गया है ? सरकार इन अध्यापकों की सेवायें कब तक समाप्त करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विद्यालय में 5 अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन वर्ष 76-77 में विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा एक वर्ष के परीक्षण काल पर किया गया था । संबंधित विद्यालय में वर्ष 76-77 में किसी भी नियुक्ति का अनुमोदन 6 माह की अवधि के लिये नहीं किया गया था । अतः उन 5 अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी के अध्यापकों से अवकाश की धनराशि की कटौती

154—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं को किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं स्वीकार किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ? 1977 से अगस्त 82

तक किन-किन अध्यापिकाओं की कितने-कितने दिनों के अवकाश की कितनी धनराशि की कटौती की गई ? प्रबन्धाधिकरण के इस आचरण के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शक्ती लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद का कथित वेतन भुगतान

155—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शक्ती लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वामी रामानन्द बालिका इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के वेतन भुगतान के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 594/का/82 दिनांक 26-4-81 श्री शक्ती लाल के ज्ञापन सहित जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ तो भुगतान कब किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

कथित नाम का कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत नहीं रहा है अतः वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को भविष्य निधि का हिसाब दिये जाने के संबंध में कार्यवाही

156—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का पूर्ण हिसाब अभी तक शिक्षकों को नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो इस देरी का क्या कारण है ? तथा इस ढिलाई के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद के शहरी क्षेत्रों में, नगर क्षेत्र, फर्रुखाबाद को छोड़कर बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को भविष्य निधि का अद्यतन हिसाब दे दिया गया है ।

नगर क्षेत्र, फर्रुखाबाद में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं का मार्च, 1980 तक का हिसाब उन्हें दे दिया गया है । शेष अवधि का हिसाब उनकी पास-बुकों में तैयार करा-कर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त वर्ष 1974 में जिला परिषद् से जो अभिलेख प्राप्त हुये उनकी दशा वर्ष 1966-67 तक अपूर्ण थी, जिन्हें वर्ष 1979-80 तक पूरा किया जा सका । अभिलेखों के पूरा हो जाने पर संबंधित अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनके भविष्य निधि का हिसाब दिया जा सकेगा ।

शिक्षकों को ऊनके भविष्य निधि का अद्यतन हिसाब उपलब्ध न हो पाने के मुख्यतया निम्नलिखित कारण रहे हैं :—

(क)—जिला परिषद् से संबंधित अभिलेखों का अपूर्ण ज्ञान होना,

(ख)—अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि, एवं

(ग)—तदनुसार पर्याप्त लिपिकों का अभाव ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद का कोई कर्मचारी ढ़िलाई के लिये दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री काशीनाथ शुक्ल, सहायक अध्यापक को वेतन न मिलने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

157—**श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र**—

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँक 8-10-82 जिसमें काशीनाथ शुक्ल, स० अ०, श्रीकृष्ण स० म० वि० लक्ष्मीपुर, तरकुलवा, जनपद देवरिया को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 8-10-1982 का उद्धरित पत्र प्राप्त नहीं हुआ । दिनाँक 7-9-82 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

विधायकों को अपने क्षेत्र से संबंधित प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट लागू करने पर विचार

158—**श्री श्यामलाल बाजपेयी**—

क्या शिक्षा मंत्री वर्तमान नियमों में संशोधन करके विधायकों को अपने क्षेत्र से संबंधित प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट को तत्काल लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापकों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने के नियम की मांग

159—**श्री श्याम लाल बाजपेयी**—

क्या शासन प्राइमरी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये संबंधित अध्यापकों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में करने का नियम बनाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री परशुराम, अध्यापक, आधारिक विद्यालय सन्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल के परिवार को पारिवारिक पेंशन

160—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री परशुराम अध्यापक, आधारिक विद्यालय सन्यू, पो०आ० चम्पेश्वर, विकास खण्ड पाबो, जिला पौड़ी गढ़वाल की किस तिथि को मृत्यु हुई है ? और किस तिथि से उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलनी आरम्भ हुई है ? इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्व० श्री परशुराम, अध्यापक आधारिक विद्यालय सन्यू, पोस्ट आफिस चम्पेश्वर जिला पौढ़ी गढ़वाल की मृत्यु 21/8/79 को हुई थी। स्व० अध्यापक के परिवार को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन देय नहीं है। अतः विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नही है।

श्री ओ०एन० सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

161—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ०एन० सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18/11/81 को एक शिकायती पत्र दिया गया ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यो ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयो द्वारा अनिवार्य जमा किस्त का स्टाफ को वितरण न करने के विरुद्ध कार्यवाही

162—**श्री धर्मवीर त्यागी**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31/12/81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

आर०आई०जी०एस०, मेरठ तथा बी०एस०ए० महिला प्रधानाचार्य रा०उ०मा० पहासू द्वारा की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही

163—**श्री छत्तरसिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर०आई०जी०एस०, मेरठ ने तथा बी०एस०ए० महिला, बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य रा०उ०मा०, पहासू ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किये बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना आरक्षण का ध्यान रखे बिना उचित चुनाव प्रक्रिया अपनाए, अयोग्य, अधिक आयु,

अशिक्षित, व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव भत्ते का भुगतान

164—**श्री पंचानन राय** —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये गबन की जाँच

165—**श्री पंचानन राय**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–195 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और यह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद स०अ० विद्या मन्दिर, हा०से० स्कूल, रामपुर के अवशेष वेतन का भुगतान न दिये जाने के संबंध में पत्र

166—**श्री चेतराम गंगवार**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 24 जनवरी, 1982 तथा 3 मार्च 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये श्री राजेन्द्र प्रसाद, स०अ० विद्या मंदिर हा०से. स्कूल, रामपुर का प्रार्थना-पत्र 16/11/7० से 2/10/81 तक का अवशेष वेतन भुगतान तथा 3/10/81 से वर्तमान समय तक के वेतन भुगतान न करने के संबंध में मिले हैं ? यदि हाँ, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त अध्यापक को अब तक वेतन न दिये जाने का क्या कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद के सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का भुगतान

167—**श्री पंचानन राय**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1/5/82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया हैं ? भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मुरादाबाद के 81 सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ०मा० विद्यालयों के 878 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ है ।

विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि के भुगतान के प्रपत्र सीधे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को भेजे गये है । चेक प्राप्त होने पर भुगतान किया जायगा । केवल एक विद्यालय हीरादेवी तोताराम कन्या उ०मा० विद्यालय, बहजोई, मुरादाबाद के प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य में विवाद होने के कारण 16 शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के भुगतान की कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा सकी है ।

कुमाऊ मण्डल के मण्डलीय स्तर पर दक्षतारोक, अवकाश, टी०ए० बिल, पद सृजन, प्रोन्नति के अनिस्तीर्ण मामले

168—**श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मण्डल के मण्डलीय स्तर पर कितने दक्षतारोक, अवकाश, टी० ए० बिल, पद सृजन, प्रोन्नति के मामले सन 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डी०एस०एम० कालेज काठ, मुरादाबाद की प्रबन्धक समिति द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

169—**श्री रामकृष्ण माहेश्वरी**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 11/7/81 द्वारा उनसे डी०एस०एम० कालेज, (इण्टर एवं डिग्री) कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी बहुत सी वित्तीय एवं अन्य अनियमिताओं की जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री चुन्नी लाल वर्मा, भू०पू० सहायक अध्यापक, आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, जिला गोरखपुर का म्यूचुअल स्थानान्तरण तथा अवशेष देयों का भुगतान

170—**श्री नन्द किशोर सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुन्नी लाल वर्मा भू०पू० सहायक अध्यापक, आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना जिला गोरखपुर का म्यूचुअल स्थानान्तरण श्री जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी इण्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया में सितम्बर, 1976 में हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबन्धक इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, गोरखपुर द्वारा विभिन्न मंहगाई भत्तों के एरियर, सी०डी०एस० की धनराशि आहरित करने बाद भी उन्हें नहीं भेजी गयी है ? साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका भी प्रबन्धक द्वारा वर्तमान संस्था को नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक के बकाए पैसे एवं सेवा पुस्तिका कब तक जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी इण्टर कालेज, पकड़ी बीरभद्र, देवरिया को दे दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रबन्ध समिति को अतिक्रमित करने की कार्यवाही की गई है इसके बाद ही अभिलेख और अवशेष भुगतान किया जाना संभव हो पायेगा ।

कमला देवी जू०हा० स्कूल, अलीगढ़ की स्थिति तथा स्थायी/अस्थायी मान्यता

171—**श्री रियासत हुसैन**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जू०हा० स्कूल कहां स्थित है ? और कब से चल रहा है ? क्या विद्यालय स्थायी/अस्थायी मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

कमला देवी जूनियर हाई स्कूल समिति बदरबाग अलीगढ़ में स्थित है और 1977 से चल रहा है । प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

172—**श्री चेतराम गंगवार**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक तथा अध्यापिकाएं तथा अनुसूचित जाति/जन जाति पिछड़े वर्ग का कोटा

173—**श्री रामस्वरुप वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन जाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

11 जनपदों (देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, वस्ती, मैनपुरी, ललितपुर, झाँसी, हमीरपुर, वाँदा, जालौन तथा फैजाबाद) से प्राप्त सूचना के आधार पर उनमें प्राथमिक पाठशालाओं में 31/3/82 को कुल 47,388 अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत थी, जिनमें से 41,5८4 अध्यापक तथा 5,834 अध्यापिकायें थी। उपरोक्त जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में उक्त तिथि को अनुसूचित जाति के 6,901, अनुसूचित जनजाति के 7, पिछड़े वर्ग के 11,443 तथा अल्प संख्यक वर्ग के 3,590 अध्यापक कार्यरत थे।

शेष जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर सुल्तानपुर के विरुद्ध फर्जी टी०सी० बनाये जाने के संबंध में शिकायती पत्र

174—**श्री गोपीनाथ वर्मा तथा**
श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार वतायेगी कि प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर सुल्तानपुर (श्री समर बहादुर सिह) के विरुद्ध फर्जी टीं०सी० वनाये जाने के सम्वन्ध में श्री राज्यपाल सिह, विधायक का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शिकायतवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही।

सुकदेव किसान विद्या मंदिर मुआपुर, जिला फैजाबाद के प्रबन्धक द्वारा गलत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

175—**श्री दलगंजन सिंह—**

क्या सरकार बतायेगी कि सुकदेव किसान विद्या मन्दिर, भुआपुर (रानीपुर), जिला फैजाबाद के प्रवन्धक द्वारा कक्षा आठ तक की मान्यता गलत प्राप्त शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरे किये बगैर ही प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री दूधनाथ राजभर, विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र के तथ्य क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरू प कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, आजमगढ़ में परिवारक, श्री मुन्नी लाल को वेतनका भुगतान न किये जाने का कारण

176—**श्री राजकुमार राय—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, आजमगढ़ में परिचारिक के सृजित पद पर 10/2/1982 को मुन्नी लाल की नियुक्ति की

गयी और वह विद्यालय में कार्यरत भी है ? यदि हां, तो अब तक उसे वेतन न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12-25 बजे से]

***श्री रियासत हुसैन**—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

आज के एजेण्डा में अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की तरफ ध्यान दें । यह प्रश्न पिछले हफ्ते आया था, कमला देवी जूनियर हाईस्कूल के सम्बन्ध में था । इनको अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन से जिले में है । जो जगह इन्होंने बतायी है, वह स्पष्ट नहीं है जैसा सवाल के जबाव में है, कम से कम मैं तो इनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ । इसकी अगली पंक्ति में यह लिखा है कि इस बात की सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि टैम्परेरी या परमानेंट रिकगनीशन है जो कुछ लिखा हुआ है, वह पढ़ने में नहीं आ रहा है कि यह कौन सी जगह पर है । जो दूसरा भाग प्रश्न का है कि और कब से चल रहा है ? क्या विद्यालय स्थायी/अस्थायी मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा है ?" इसके उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं । इसको अनुदान दिये जाने की बात को इन्होंने तसलीम कर लिया है । जगह भी मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसके अलावा अब भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि वह रिकगनीशन टैम्परेरी है या परमानेंट है ।

(शिक्षा मंत्री द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष –

आप देख लें, यह अतारांकित प्रश्न 171 है ।

(शिक्षा मंत्री द्वारा पुनः कोई उत्तर न दिये जाने पर)

मैं शासन से निवेदन करूंगा कि अतारांकित प्रश्न और उनके उत्तर भी, जब कि यह सदन में आते हैं और ऐजेण्डा में आते हैं, तो यह प्रोसीडिंग का पार्ट हैं । मैं मा० मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भी तैयार होकर आया करें । अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न आता है, जैसे आज माननीय सदस्य ने उठाया है, तो उनको जानकारी होनी चाहिये ।

(शिक्षा मंत्री द्वारा फिर कोई उत्तर न दिये जाने पर)

माननीया शिक्षा मंत्री । आप इसकी जानकारी करने के बाद मा० सदस्य को बतावें ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां, मान्यवर ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, 21-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 95-96 के उत्तर में माननीया मंत्री जी ने कहा था कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" आज अतारांकित प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामलाल बाजपेयी—]

संख्या 158-159 का उत्तर पुनः आया है कि " सूचना एकत्रित की जाती है "। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, 21-2-83 को आपने निदेश दिया कि आप इसका उत्तर दीजिये, आज 7-3-83 को फिर उत्तर आया कि "सूचना एकत्रित की जा रही है", मान्यवर, आपके आदेशों का इस तरह स्पष्ट अवहेलना हो रही है, इसके बारे में कोई कठोर एवं प्रभावी कदम उठावें। (शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इनके प्रश्न का जवाब भी शीघ्र ही दे दिया जायेगा, जिससे यह सन्तुष्ट हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, यही पोजीशन प्रश्न संख्या 146 से लेकर 148 तक की है, जिसमें अंतरिम उत्तर दिये हुये हैं। यह स्थिति मान्यवर, बराबर इस प्रकार से चली आ रही है। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

मा० मंत्री जी, विशेष तौर से इस बात को देखें कि जब इस प्रकार की कई बातें प्रश्नों से सम्बन्धित आ रही हैं। इसलिए यही निवेदन करूगा कि सम्बन्धित सदस्यों को बुलाकर उन्हें कृपया सन्तुष्ट करें।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे प्रश्नों जो क्रमांक 56 पर अतारांकित प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मा० मंत्री जी आपने मा० सदस्य की बात सुनी, आप कृपया इन्हें भी बुलाकर सन्तुष्ट करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मोस्ट वेलकम यहीं पर आ जाइये।

जनपद चमोली में आलू बीज प्रमाणीकरण योजना को पुनः चालू करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज 301 से मम्बन्धित 12 सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 5 सूचनाएं सर्व श्री कुंवर सिंह नेगी, राम आसरे वर्मा, मोती लाल देहलवी ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा खैरूल बशर की स्वीकार हुई हैं तथा अन्य 7 सूचनाएं जिसमें श्री राधेश्याम पटेल व मित्रसेन की दो सौ शब्दो से अधिक होने की वजह से, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना चर्चा में लगी होने की वजह से, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की 200 शब्दों से अधिक होने कीं बजह से तथा श्री बलवीर सिंह की यही सूचना दिनांक 8-2-83 को प्रदेश के बारे में स्वीकार हो चुकी है, की वजह से यह सब अस्वीकार की गयी हैं।

***श्री कुंवर सिंह नेगी—**

महोदय, जनपद चमोली में आलू की फसल व्यापक पैमाने पर उत्पादित की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों की राय से यहां का आलू पूर्ण रूप से रोग मुक्त है और बीज के लिए उपयुक्त है। इसी वजह से प्रदेश में एवम् देश के अन्य प्रान्तों से यहां के आलू के बीज के लिए काफी मांग है। बीज के लिए आलू खरीद हेतु उसका प्रमाणीकरण होना आवश्यक है और जब आलू बीज के लिए बेचा जाता है तो काश्तकार को अच्छे दाम उपब्लध होते हैं।

सरकार ने हाल ही में पूर्व से चलती आ रही बीज प्रमाणीकरण योजना को जनपद चमोली से समाप्त कर दिया है। जिस वजह से काश्तकार को भी भारी नुकसान हो जायेगा।

काश्तकारों में इस वजह से भयंकर असंतोष, निराशा एवं आक्रोष प्राप्त हो गया है। अतएव, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को मा० सदन के संज्ञान में लाकर माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि जनपद चमोली में आलू बीज प्रमाणीकरण योजना को समाप्त न किया जाए और उसी को पूर्व की भाँति चालू रखने हेतु शीघ्र आदेश देने की कृपा करें।

विद्युत परिषद् द्वारा अपरेन्टिस, डिप्लोमा इंजीनियर्स को समायोजित न करने के फलस्वरुप उनके द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राम आसरे वर्मा—**

मान्यवर, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित एक्स अपरेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स आज 10 बजे से विधान भवन के समक्ष आमरण अनशन प्रारम्भ करने जा रहे हैं।...

श्री मोहन सिंह—

कर चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

तब तक यही था, सूचना 10 बजे के पहले की है।

उनकी मांग है कि 1977 के अप्रेन्टिसों की भांति वर्ष 1981-82 के अप्रेन्टिसों का तत्काल समायोजन किया जाय। इस सिलसिले में भू० पू० मुख्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, वर्तमान मुख्य मंत्री भी आश्वासन देते रहे हैं तथा उक्त इन्जीनियर्स की न्यायोचित मांग के प्रति 200 विधायकों द्वारा लिखित संस्तुति भी की गयी है। विद्युत परिषद् में अप्रेन्टिस किये इन्जीनियर्स, शासन की नीति के अनुसार परिषद् में ही समायोजित किये जा सकते हैं, अन्यत्र नहीं। ऐसी स्थिति में एक्स अप्रेन्टिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स का भविष्य अधर में पड़ गया है। विवश होकर 11 उक्त इन्जीनियरों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए मांग करता हूँ कि इन्हें तत्काल समायोजित करने की व्यवस्था की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर देहात के मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी अनुदान न दिये जाने से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मोतीलाल देहलवी—**

मान्यवर, जनपद कानपुर नगर व देहात के नाम से दो जिले घोषित हैं और उसके अलग-अलग दो जिलाधिकारी भी कार्यरत हैं। दिनांक 1 मार्च, 83 को सदन में वित्त मंत्री जी द्वारा स्वीकारोक्ति के अनुसार कानपुर (देहात) पिछड़ा जिले की सूची में भी हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कानपुर (देहात) पिछड़े जिले में होते हुए भी उसके मान्यता प्राप्त स्कूल अनुदान पाने से वंचित रखे गये हैं। मुझे अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार कानपुर (देहात) के मान्यता प्राप्त स्कूल अनुदान लक्ष्य में नहीं रखे गये हैं। शिक्षा विभाग के इस सौतेलेपन के व्यवहार से कानपुर (देहात) के स्कूलों का भविष्य अन्धकारमय हो चुका है। ऐसे स्कूलों के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापक अनुदान पाने के लिये भटक रहे हैं। उनका धन व समय अकारण बरबाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिले के मान्यता प्राप्त तमाम स्कूलों के अध्यापक एवं छात्र तक रोषान्वित और उद्वेलित हैं।

अस्तु आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर अपेक्षित हूँ कि शासन कानपुर (देहात) के मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी अनुदान लक्ष्य में स्थान देकर उन्हें अनुदान देगी।

निर्वाचन क्षेत्र मंझनापुर (इलाहाबाद) में वर्ल्ड बैंक द्वारा नलकूप न लगाये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के लिये आकृष्ट करते हुये निवेदन करना चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक द्वारा मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, जनपद इलाहाबाद में नलकूप न लगाये जाने तथा पूर्ण उपेक्षा किये जाने से किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले वर्ल्ड बैंक का कार्य मेरे क्षेत्र में न के बराबर जीरो है। जनपद में मंझनपुर सबसे पिछड़ा हुआ नगर से 80 कि०मी० दूर जमुना के किनारे पर है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम को देखने वाले अधिकारी मनमाने ढंग से अपनी सुविधानुसार शहर से लगे उन्हीं क्षेत्र में नलकूप लगा रहे हैं जहाँ पर सिंचाई विभाग व अन्य नलकूपों की संख्या मेरे क्षेत्र से कई गुना अधिक है। इस प्रकार से शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने वाले पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आपके माध्यम से कड़ी कार्यवाही की माँग करता हूँ तथा प्राथमिकता के आधार पर नलकूप आबंटित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

बड़हल गंज (गोरखपुर) के कछार क्षेत्र में सड़कों एवं पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री खैरूल बशर—**

मान्यवर, जनपद गोरखपुर के विकास खंड बड़हलगंज के उपजाऊ कछार क्षेत्र के लगभग 50 गांव जो आजादी मिलने के 35 वर्ष बाद भी उपेक्षित हैं। जहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। यात्रा करने के लिये हम लोगों को केवल पगडण्डियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और बरसात के दिनों में इनका जीवन और भी कठिन हो जाता है जब उनको दसों किलोमीटर नांव के सहारे जाना पड़ता है। यदि बड़हलगंज-पटना मुख्य सड़क से दुबोली-मिसरोली की प्रस्तावित सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जाये और तरईना नाले पर दोनाडीह घाट पर पुल का निर्माण करा दिया जाये तो कछार के 50 गाँव का विकास खंड बड़हलगंज से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूँ कि उपरोक्त कछार क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उपरोक्त सुझाव को अविलम्ब पूरा कराया जाय।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों को लिये जाने की माँग

श्री दीपू नारायण—

मान्यवर, मेरा एक नियम 310 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न था, मैंने आपको लिखकर दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखकर दिया है, मैं उसका परीक्षण कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको बुलवाऊँगा।

श्री मीखालाल—

मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी जिसमें एक ही प्रश्न के बारे में शासन से दो उत्तर आये थे। तो मैंने पहले वाले उत्तर के सन्दर्भ में उसे दिया है, आप उस पर पहले निर्णय ले लें कि एक ही प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि "जी नहीं" और प्रदीपकुमार यादव के प्रश्न के संबंध में दूसरा उत्तर आया है। तो यह कैसे हो सकता है कि एक ही बात के दो जबाब हों ?

श्री अध्यक्ष—

शासन से पूछा है, उसके उत्तर आने के बाद, मैं निर्णय दूँगा।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982-83) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैं, नियम समिति के सभापति की ओर से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन, जो अध्यक्ष पीठ से किसी सदस्य को बिना इंगित किये हुये उसे सदन की सेवा से वर्जित किये जाने के सम्बन्ध में तथा विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन एवं लोकसभा की भांति सामान्य प्रयोजन समिति के गठन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मार्च समाप्ति पर है, जिला योजना में—

श्री अध्यक्ष—

किस सन्दर्भ में आप बोल रहे हैं, आप उसे लिखकर भेज दीजियेगा, मैं अभी आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मुईद अहमद—

लिखकर देने पर जब तक विचार होगा, देर हो जायेगी । इसमें वित्तीय मामला है इसलिये मैं चाहता था कि वित्त मंत्री जी मौजूद रहें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में इस तरह से न बोलें । आप उनको लिखकर दीजियेगा, आप उनसे मिल कर कह भी सकते हैं । यहाँ अब बीच में आप न बोलें, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

शासन तथा विद्युत कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की शर्तों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

दिनाँक 18-2-81 को हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ एवं राज्य विद्युत परिषद् जूनियर्स संगठन के प्रतिनिधियों के मध्य शासन से वार्ता हुई थी । तीनों संगठनों की मुख्य माँगें निम्नवत् थीं :—

1 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के गठन को निरस्त किया जाय ।

2 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण राज्य वेतन आयोग से हटाकर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तय किया जाय एवं वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाय ।

3 प्रत्येक कर्मचारी को सेवाकाल में तीन पदोन्नतियों का लाभ दिया जाय तथा वेतन-मानों का समुचित वर्गीकरण किया जाय ।

4 आपरेटिंग वर्ग से जूनियर इन्जीनियर पद एवं जूनियर पद से सहायक अभियन्ता पद हेतु प्रोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किया जाय ।

5 ठेकेदारी प्रथा एवं लेबर सप्लाई प्रथा को समाप्त कर कार्यरत एवं कार्य मुक्त मस्टर रोल कर्मचारी/लेबर सप्लाई के कर्मचारियों को नियमित सेवाओं में रखा जाय ।

5 परिषद् के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को नि:शुल्क आवास, नि:शुल्क विद्युत शिफ्ट भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा आदि दी जाय एवं साइकिल, मोटर साइकिल, धुलाई, पर्वतीय विकास, स्थल प्रतिकर, स्थानान्तरण/व्यवधान भत्तों में वृद्धि की जाय ।

7 परिषद् के समस्त कर्मचारियों के लिये भविष्यनिधि की एक योजना निर्धारित की जाय ।

विद्युत उत्पादन निगम के गठन पर पुनर्विचार करने हेतु शासन द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है और यह विषय शासन के विचाराधीन है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विद्युत परिषद् द्वारा किया जा चुका है और जूनियर इन्जीनियर संवर्ग से सहायक अभियन्ता पद हेतु प्रोन्नति कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33-1/3 कर दिया गया है। कर्मचारियों को जी० पी० एफ० एवं पेन्शनरी लाभ देने के आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं ।

चूँकि विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के कतिपय पुरानी माँगें एवं कुछ नई समस्यायें अनिर्णीत थीं, अतएव कर्मचारियों के अनेक संगठनों ने दिनांक 10 फरवरी, 1983 की पहली पाली से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था, जो मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से समाप्त हो गयी । जो समझौता विद्युत कर्मचारी संगठनों एवं राज्य विद्युत परिषद् के बीच दिनाँक 9 फरवरी, 1983 को सम्पन्न हुआ, उसकी प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ पर)

समझौते के अनुरूप पूर्व में किये गये समझौतों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जिसकी एक बैठक भी हो चुकी है। यह समिति शीघ्र ही लम्बित विवादों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी ।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो उत्तर मा० मंत्री जी की ओर से मिला है उसको आपने नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार किया है। तो यह पद्धति नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। यह 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था और इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

***श्री भोखा लाल**—

मान्यवर, प्रश्न 2 पर आप देखें चूंकि विद्युत् परिषद के कर्मचारियों की कतिपय पुरानी मांगे एवं कुछ नई समस्यायें अनिर्णीत थीं, अतएव, कर्मचारियों के अनेक संगठनों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखा लाल—]

दिनांक 10 फरवरी, 1983 की पहली पाली से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था, जो मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से समाप्त हो गयी। यह कहना सही नहीं है, बिजली कर्मचारियों ने जुलाई, 1981 में कुछ अपनी मांगो के लिए हड़ताल का नोटिस दिया शासन और कर्मचारियों के संगटनों के बीच समझौता हो गया। हड़ताल वापस हो गयी, परन्तु समझौते का पालन नहीं किया गया, मई, 1981 में हड़ताल का नोटिस दिया, फिर समझौता हुआ, फिर भी उसका पालन नहीं हुआ इसलिए 9-10 फरवरी की मध्य रात्रि से हड़ताल करने का नोटिस दिया गया, फिर समझौता हो गया। तो प्रश्न यह है कि जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया गया, इसी बजह से यह हड़ताल हुई। आपने कहा कि समिति का गठन कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस में आपके कौन से अधिकारी हैं और उनको कौन से निर्देश दिए गये हैं, समझौता पालन कराने के लिए, आप यह बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस समिति में तो मुख्य सचिव हैं। इस की एक बैठक हो चुकी है और ऐसी आशा है कि सभी का पालन करा दिया जायेगा और उससे सभी लोग सन्तुष्ट हैं।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनको क्या निर्देश दिए गये हैं ? क्या यह भी निर्देश दिए गये हैं कि समिति की बैठक लगातार की जाये जब तक कि समस्याओं का समाधान न हो जाये ? मान्यवर, एक माह बीत गया है और आपकी केवल एक ही बैठक हुई है। आप जल्दी से उनको पालन कराने हेतु क्या कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

किसी समिति की लगातार बैठक तो होती नहीं है। एक बैठक की रिपोर्ट आ जाती है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि तत्परता से बैठकें की जा रही हैं।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन तत्परता दिखा रहा है, तो यह तो इसी से मालूम होता है कि लगभग 3 वर्ष हो गये और आज तक यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस समिति के लिए कोई समय निर्धारित किया है, दूसरी चीज यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि निगम के गठन पर पुनर्विचार किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस निगम को समाप्त करने वाले हैं इसका क्या मतलब है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, वह शीघ्र ही कर दिया जायेगा। निगम की उपयोगिता पर हम विचार कर रहे हैं, इसका स्वरूप क्या हो, जो अनुभव दो साल में हुआ है, उसी सन्दर्भ में हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने समिति के टर्म्स आफ रेफरेन्स का उल्लेख किया है। आप इन

सभी माँगो को देंखे, उसमें से किसी पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, इसमें तीन राजाज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं किस तारीख को यह निर्गत की गयी हैं, और उनकी तारीख क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त

कमैटी बनी है इसीलिए कि समझौता जो है, उसका पालन किया जाये। जब समिति रिपोर्ट देगी उसका अनुपालन अवश्य किया जायेगा, न होने पर तो ऐक्शन लेंगे।

श्री मित्र सैन यादव—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समिति की बैठकें इतने विलम्ब से होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त—

कुछ दिन पहले हुई है और जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, दुबारा की जायेगी।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 12.45 बजे अपरान्ह]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की-प्रदेश मंत्रि मंडल के एक सदस्य द्वारा नौकरी दिलाने के लिऐ 3000 रुपये लेने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रो राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, ईमानदार और बहादुर पुलिस कर्मियों को इनाम दिऐ जाने के वायदे पूरे न किए जाने से उत्पन्न अंसतोष के बारे में है। तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद औझा, श्री गोरी, शंकर भेय्या और श्री राम गोविन्द की-उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य प्ररिषद् द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षा में सहयोग न देने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना सर्वश्री मित्र सैन, राम आसरे वर्मा, परमाई लाल और खैरूल बशर की पुलिस कर्मियों द्वारा गांव भवानीपुर, जनपद सुल्तानपुर में आग लगा देने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के सन्बन्ध में है, पांचवी, सूचनां श्री भीखा लाल, श्री विद्यासागर नौटियाल-की आयुर्वेदिक एवं युनानी छात्रों की हडताल के सन्बन्ध में है, छठी सूचना श्री मोती लाल देहलवी की-आगरा से लखनऊ आ रही एक्सप्रेस ट्रेन को लूटे जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री रियासत हुसैन, अकबर हुसैन, राम गोविन्द, माता प्रसाद पाण्डेय कुंवर सिह नेगी और नरेन्द्र सिह भण्डारी की फैजाबाद में तुरंग सिनेमा के सामने दो ठेकेदारों में गोली चलने के सन्बन्ध में और दसवीं सूचना श्री बलवीर सिह, श्री नन्द राम की- रामपुर जनपद को गेहूं आटा चावल न भेजे जाने के सम्बन्ध में है। मैंने इन सभी सूचनाओं को देखा, इनकी ग्राह्यता के बारे में केवल 2 मिनट सुनना है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय जनार्दन प्रसाद औझा, और माननीय श्री रियासत हुसैन को सुनना है और जहां तक बलबीर सिह और नन्द राम की सूचना का प्रश्न है, पूरे प्रदेश के बारे में नियम 301 में स्वीकार किया जा चुका है और इसको पढ़ा भी गया हैं। जहां तक माननीय मोतीलाल देहलवी जी का सम्बन्ध है, मैं आज सांयकाल तक उसे नियम 51 के अन्तर्गत लेने का विचार कर रहा हूं।

***श्री मोती लाल देहलवी—**

क्या मान्यवर, आप शामिल कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या करूंगा, यह मैंने आपको बता दिया। कृपया बैठें। जहां तक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि एक मंत्रिमंडल के सदस्य जो कालीदास मार्ग पर रहते हैं तो कोई निश्चित नहीं है, और सुनी-सुनाई बात कहते हैं। ऐसे ही अखबारों में कोई बात निकलती है उसके बारे में भी कहा जाता है। यदि इस तरह की कोई बात हो तो आप अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं ....(व्यवधान) इसलिये मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले भी यह निवेवन किया था कि यदि किसी माननीय सदस्य के विरोध में या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध इस तरह का कोई आक्षेप हो, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो आप मुझसे सम्पर्क कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लांछन लगाने की में आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, कालिदास मार्ग पर तो कई मंत्री रहते हैं। बोल लेने दें, सफाई हो जायेगी। क्योंकि उससे सेहरा जी जैसे ईमानदार मंत्री भी उसकी लपेट में आ जायेंगे, वे भी वहीं पर रहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने नियम 56 में क्या यह बात कही है। कालीदास मार्ग पर कोई-ढाई सौ मंत्री नहीं रहते हैं 415 मंत्री रहते हैं। वहां पर एक बाबा जी प्रचार कर रहे है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके पास कोई निश्चित जानकारी हो तो बतायें। यह तो आप लांछन लगा रहे हैं। यह मेरे लिये कैसे सम्भव है कि मैं इसे स्वीकार करूं। कृपया बैठें।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन की सूचना दी है और उसका विषय यह है कि शासन की ओर से जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, बहादुर जवान हैं जिनका कार्य श्रेष्ठ तथा अनुकरणीय रहा है, उनको पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। किन्तु मान्यवर, सालों साल बीत जाते हैं, सरकार जो पुरस्कार देने की घोषणा करती है वह उन्हें नहीं दिया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे पुलिस कर्मी हताश हो जाते हैं और उनकी भावना बदल जाती है। जो अच्छे पुलिस कर्मी होते हैं, कर्तव्य-निष्ठ होते हैं, उनका इस तरह से मन भर जाता है, उनकी भावनायें कुंठित हो जाती हैं। मान्यवर, मैंने अपनी बात में आपको कुछ उदाहरण भी दिये हैं और फिर कहना चाहता हूँ कि सन् 81 में इन पुलिस कर्मियों ने डकैतों के साथ मुठभेड़ में जो शौर्य प्रदान किया है, उनके लिये आपने पुरस्कार की घोषणा की थी, माननीया बक्शी जी गृह मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देंगे।

दूसरे, ताल कटोरा में रिवाल्वर तथा कारतूस बनाने के कारखाने का भंडा फोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस कर्मियों ने किया था। आई० जी० और डी० आई० जी० भी उसमें शामिल थे। एक दरोगा ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा उसमें दिखाई थी। इसी तरह से कई अन्य उदाहरण में आपको दे सकता हूँ जो कि इसी लखनऊ के अन्दर पिछले दो सालों में पुरस्कार दिये जाने के बारे में आपने घोषणायें की थीं। किन्तु जब आप उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे कर्मियों के मन में हताश की भावना पैदा हो जाती है और जब अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं होता तो उसका परिणाम यह होता है कि पुलिस फोर्स में असन्तोष की भावना पैदा हो जाती है और उसका असर यह होता हैं कि वैसे ही शांति व्यवस्था आज बदतर हालत में है, वह फिर और चौपट हो जाती है। इसलिये आगे के लिये उनके मन में यह भावना पैदा न हो, इस पर आप हमें चर्चा का मौका दें। मैं पचासों की फैहरिस्त आपको दें सकता हूँ कि जो ऐसे पुलिस कर्मी कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके मन में हताश की भावना पैदा न हो। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस कार्य-स्थगन पर हमें चर्चा करने का अवसर दे दें।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)**—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पुरस्कार के बारे में कहा है। यह दो प्रकार के होते हैं एक तो राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं और दूसरे भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं। जो उनका प्रस्ताव है, इसमें यह बात साफ नहीं है कि किस सरकार द्वारा दिये जा रहे पुरष्कार की बात कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने तो नाम ले लिया है।

श्री अम्मार रिजवी—

जो राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिये जाते हैं, वह अब तक मिल जाने चाहिये। मान्यवर, यह सारी सूचना मंगाई है आज ही विभाग को लिखा है कि जिनको पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है उनको तुरन्त दिलवा दिया जाय। अभी पुलिस महानिरीक्षक से सूचना नहीं आई है और उनको दिया जायेगा। जिनका केन्द्र सरकार से संबंध है, वह अलग मामला है। जहां तक कार्य स्थगन में यह मामला नहीं आता है, हां गंभीर जरूर है जिन लोगों ने बहादुरी से काम किया उनको पुरस्कार मिलना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा अनुरोध है मामले के महत्व को माननीय मंत्री जी भी समझते हैं और यह लखनऊ जनपद की बात मैंने कही है। इस पर 4, 5 दिन के अन्दर वक्तव्य दिला दीजिये। माननीय मंत्री जी का हम आदर करते हैं, इसको इक्सपिडाइट करवा दें और वक्तव्य दिलवा दें ताकि शीघ्रता से कार्यवाही हो सके।

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा गुप्त जी से निवेदन है उनकी ज्यादातर बातों को हम मान लेते हैं।

श्री मोहन सिंह--

वह आपके जनपद का मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

वह बहुत बड़ा फेक्टर है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसको हम 15 दिन के अन्दर उनको उपलब्ध करा देंगे अगर वह उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो वक्तव्य भी दिया जा सकता है।

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--**

मान्यवर, आज प्रदेश के शिक्षा जगत में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है। अगले 15 मार्च से बोर्ड की हाईस्कूल और इण्टर की परीक्षायें प्रारम्भ हो रही हैं और उसमें बैठने वाले लड़कों की संख्या करीब 14 लाख है। इसी बीच उत्तर प्रदेश प्राचार्य परिषद ने परीक्षा में असहयोग करने का फैसला किया है। मैं यहां पर केवल तात्कालिकता और ग्राह्यता के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। प्राचार्य परिषद की मांगे है, उसमें माननीय मंत्री जी देखें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें वित्त इनवाल्व हो। उदाहरण के लिए उन्होंने यह माँग की है कि एक आचार संहिता बननी चाहिये। सभी लोग जानते हैं कि परीक्षाओं की जो आज स्थिति है, उसमें कट्टे और बंदूक के बल पर परीक्षा होती है। जिस प्रकार दिल्ली प्रशासन में एक आचार संहिता लागू की है, उससे देखा गया है कि वहाँ की परीक्षाओं में काफी सुधार हुआ है, उससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो उनकी प्रमुख मांग आचार संहिता की है कि यहां पर भी वह लागू की जाय।

दूसरा, 15 मार्च से परीक्षा आरम्भ होने वाली है। अगर प्राचार्य लोग जो अध्यक्ष होते हैं जिनकी संख्या ढाई हजार से ज्यादा है और वह असहयोग करेंगे तो निश्चितरूप से शिक्षा जगत में 14 लाख छात्रों पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए यह तात्कालिक है, परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गयी हैं, कापियां परीक्षा केन्द्रों पर जा रही हैं अगर उन्होंने असहयोग कर दिया तो निश्चितरूप से व्यवधान उत्पन्न होगा। मुझे आश्चर्य है कि एक साधारण मांग है जिसके बारे में शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री से कई दिन तक वार्ता चलती रही और उसके परिणाम भी आशा के विपरीत रहे और वार्ता भंग हो गयी। तो प्राचार्य परिषद ने घोषणा कर दी है, जो एक मान्यता प्राप्त संगठन है, कि अगर हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं करते हैं तो निश्चितरूप से हम लोग परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे. असहयोग करेंगे। इस निर्णय से इस प्रदेश के छात्रों में, जनता में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है। इस बात की आशंका है कि यदि वह अपने निर्णय पर अडिग रहे और प्रशासन ने हस्तक्षेप न किया, उनकी माँगों पर विचार नहीं किया, तो वह परीक्षाओं से असहयोग करेंगे, इसका परीक्षाओं के संचालन में प्रभाव पड़ेगा, इसलिये मैं माँग करता हूँ कि इस मामले में अभी मंत्री जी वक्तव्य दें और उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता, का क्रम, जो टूट गया है उसे, प्रारम्भ करें और उनकी न्यायोचित माँगें, जिसमें अर्थ इनवाल्व नही है, केवल एक साथ बैठकर विचार किया जा सकता है, मानें, जिससे 15 मार्च से जो परीक्षायें होने जा रही हैं, वह ठीक से हो सकें। अन्यथा क्या हम पुलिस के दम पर परीक्षाओं को शुरू करायेंगे जैसा कि आसाम में चुनाव हुये हैं ? इसलिये मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि इस पर वक्तव्य दें और प्रधानाचार्य परिषद के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता शुरू करें जिससे आने वाली परीक्षाओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मा० सदस्य इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो कर सकते हैं लेकिन कार्य स्थगन का प्रस्ताव इसमें नहीं बनता है। मान्यवर, वार्ता समाप्त नहीं हुई है बल्कि जारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और मैं मा० सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रधानाचार्यों की समस्याओं का जो प्रश्न है, तो शासन को उनसे पूरी हमदर्दी है और प्रयास किया जा रहा है कि वार्ता में दोनों में एक समझौता हो जाय जिससे कोई बात न पैदा हो।

मान्यवर, जहां तक परीक्षाओं का संबंध है तो मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि परीक्षायें सही समय पर होंगी और उसमें सही व्यवस्था होगी, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, वार्ता भंग हो गयी है, उनके प्रतिनिधि वापस जा चुके हैं. मंत्री जी ने गलत सूचना दिया हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूँ। आप बैठ जाँय। मुझे निर्णय देने दें। आप बैठ जाँय। दूसरी सूचना में श्री रियासत हुसैन, श्री अकबाल हुसैन और श्री राम गोविन्द हैं और उसके बाद माता प्रसाद पाण्डेय और दूसरे सदस्य हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनमें से केवल एक ही व्यक्ति बोले एक एक मिनट के लिये।

***श्री रियासत हुसैन—**

मान्यवर, घटना बीच शहर में पुलिस की मौजूदगी में हुई है एस०एस०पी० ने ऐक्शन लिया है और एस०आई० को सस्पेंड किया है। दूसरी चीज वहां कार, मोटर साइकिलें पकड़ी गयीं। अन्तिम चीज जिस तरीके से ठेकेदारों में यह हुआ है, वह इसलिये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो सिंचाई, पी०डब्लू०डी० के अन्तर्गत ठेकेदार काम करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और यहाँ तक की सूचना है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग उसमें हिस्सेदार हैं। इसलिये इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय--**

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिये है कि अखबारों में नाम जिसके हैं, यह वही व्यक्ति हैं जो मुख्य मंत्री और वित्त मन्त्री का स्वागत करते हैं। हमारे जिले के रहने वाले लोग हैं, यही नहीं केवल फैजाबाद में बल्कि पूरा पूर्वी उ०प्र० इस रोग से त्रस्त है सारे इन्जीनियरों ने लिखकर दे दिया है कि हम इसका टेंडर नही निकलवा सकते हैं। यह गिरोह पूरी तरह हर जगह जाकर गोली के बल पर टेंडर डालता है। जनमोर्चा एवं अन्य अखबारों में छपा है कि तिरंगे झंडे के साथ मोटर पकड़ी गयी। यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र में गये थे तो मुख्य मंत्री का मंच पर यह लोग बंदूकों के साथ स्वागत कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति चूंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं और कानून व्यवस्था जिनकी चलानी है यह ऐसे व्यक्तियों को पालेंगे, तो निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पर निश्चित रूप से चर्चा करवा दें।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मित्रसेन जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने भी एक बात के लिए दिया है,

श्री अध्यक्ष—

दिया तो है, लेकिन हम लोगों की जो परिपाटी है, वह यह है कि केवल तीन को सुना जाए । यदि सभी माननीय सदस्यों-विरोधी दल के नेताओं के उस पर हस्ताक्षर हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है । मैं इस पर निर्णय दूंगा । मित्रसेन जी, मैं निर्णय दूंगा, तो आप सन्तुष्ट न हों तो उस पर विचार करेंगे····(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द——

मुझे आप कभी नहीं सुनते हैं, मैं भी अपने वाले पर कहना चाहता हूँ कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जो 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने सभी को अस्वीकार किया है । इसमें जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, मैं शासन से चाहूँगा कि 15 दिन के अन्दर जो कुछ किया है, उसकी छानबीन करने के बाद जानकारी दे दें । यदि उसके बाद भी समस्या हल नहीं होती है तो उसको अपनी बात करने का अधिकार होगा । जहाँ तक जनार्दन प्रसाद ओझा और गौरी शंकर भैय्या की सूचना का संबंध है, उसके विषय को मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ । जहाँ तक श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द की जो फैजाबाद के बारे में है, इसके विषय को भी मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ । बाकी जो सूचनाएं हैं मित्रसेन की जो सूचना है, मैं इस पर फिलहाल शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, यह उसकी छानबीन कर जांच करें और उसके बाद भी यदि वह सन्तुष्ट न हों तो विचार कर लूंगा । बाकी जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, वह अस्वीकार हैं । देहलवी जी की सूचना पर भी हम विचार कर रहे हैं····(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का विषय बड़ा गम्भीर है····

श्री अध्यक्ष—

जब मैं, सदस्य था, तो अपने गम्भीर प्रश्नों के सम्बन्ध में स्वयं मंत्रियों के पास चला जाता था उनका उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिये, उनके पीछे पड़ने के लिए । तो इस तरह की सूचनाओं के बारे में आपको इस तरह से बात कर लेनी चाहिए । जो मंत्री जी आपकी बात पर ध्यान न दें, न सुनें, तो हम उस पर विचार करने का और मंत्री का ध्यान दिलाने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में अभी एक गलत सूचना दी है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । उन्होंने

कहा है कि प्राचार्य परिषद् के सदस्यों से वार्ता चल रही है, लेकिन मुझे निश्चित जानकारी है कि वार्ता भंग हो चुकी है और वह लोग जा चुके हैं। बड़ा अच्छा होगा कि उनके साथ पुनः वार्ता चालू हो जाए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसके विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र की सूचना है। इसलिए इसको एक हफ्ता तक छिपाया गया है··· (व्यवधान) एक आदमी की उसमें हत्या हो गई है। उसके बारे में मुख्य मंत्री जी स्वयं गये थे, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है···

श्री अध्यक्ष—

वह गये हैं, तो उनकी जानकारी में होगा।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शंकर सिंह की कतिपय सूचनाओं तथा अप्रकाशित कार्यवाहियों की प्रतिलिपियां न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मांग के विषय को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री शंकर सिंह, सदस्य विधान सभा (जालौन) में जूडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला जालौन, उरई के न्यायालय में मुकदमा स्टेट बनाम चौ० शंकर सिंह आदि में प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा, विधान सभा में दी गई कतिपय सूचनाओं, भाषणों की प्रतिलिपि की मांग की है। इनमें से कुछ लेख्य सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध, अप्रकाशित लेख्य हैं। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण के करण संख्या 210(4) के अनुसरण में ऐसे निम्नलिखित लेख्यों की प्रतिलिपि उक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु माननीय शंकर सिंह को दिये जाने सम्बन्धी विषय को मैं विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूँ :—

(1) दिनांक 18-9-80 को निगम 51 अथवा 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना।
(2) दिनांक 22-9-80 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना।
(3) दिनांक 26-2-81 को नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना।
(4) दिनांक 10-3-81 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना तथा
(5) दिनांक 12-3-81 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

[समय 1 बजकर 11 मिनट]

***हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)**—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

[श्री गुलाब सेहरा—]

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,69,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, हरिजन और समाज कल्याण विभाग पर मैंने पिछले वर्षों में करीब 4 बार कटौती प्रस्ताव रखा था और कटौती प्रस्ताव में जो सदन की आकांक्षा रही, भावना रही, उसको मैंने इस बजट में और पिछले साल के बजट में पूर्ति करने की कोशिश की । श्रीमन् सबसे पहले में विशेष रूप से बात यह कहना चाहूँगा कि इनके बजट में हर साल बढ़ोत्तरी हुई है । अगर आप पिछले साल का बजट देखें 1981-82 में यह हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का बजट 58 करोड़ 20 लाख रुपये का था, उसके बाद 1982-83 में 67 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये का हुआ । इस साल इसमें अगर पर्वतीय विकास का रुपया भी, वह हरिजनों पर जो खर्च होता है, जोड़ दिया जाय, तो 69 करोड़ रुपये के करीब हो जाता है । श्रीमन् जैसी शासन की मंशा हरिजनों के कल्याण के लिए रही है, उसको हम मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं । यहां पर 1977 में, तब माननीय मोहन सिंह की सरकार थी, तब 25 करोड़ का यह बजट था. जब मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था ।

श्री मोहन सिंह—

हरिजनों का कल्याण हुआ या नहीं हुआ, इनका जरूर हो गया ।

श्री गुलाब सेहरा—

अब तक ये व्यक्तिगत कल्याण करते चले आ रहे हैं, इसलिये इनका व्यक्तिगत रिफलैक्शन है । दूसरा मैं ऐसा देखता हूँ, मंत्रिमण्डल ने बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाये । श्रीमन् पिछले बार जब मैं मंत्री हुआ, तो हर जगह से शिकायतें आती थीं कि लोग जाली संस्थायें बनाकर अनुदान हड़प जाते थे । आप आश्चर्य करते थे कि जिन निराश्रित, अनाथ, विकलांग बच्चों के लिए काफी अनुदान दिया जाता था। हरिजनों की छोटी-छोटी संस्थाओं के लिए जो अनुदान हम देते थे, उन संस्थाओं को लोग जाली बनाकर खा जाते थे और प्रदेश के प्रत्येक जिलों से यह शिकायत आती थी । श्रीमन् ऐसा हमें लगा कि जिन अनाथों को, विधवाओं को, विकलांगों को देना चाहिए था, उसमें कुछ लोग इस तरह की जाली संस्थायें बनाकर वह पैसा खा जाते हैं, विशेष रूप से एक बात और दृष्टि में कि हरिजनों की संस्थायें, हरिजन नहीं बल्कि दूसरे लोग चला रहे हैं । मान्यवर, उसकी जब खोज की गयी तो पता चला कि वह संस्थायें केवल अनुदान हड़पने के लिये चलायी जा रही हैं । श्रीमन्, हमें बड़ी व्यथा हुयी । हमारी भारतीय संस्कृति है कि भोजन करने के पूर्व यदि हमारे यहां कोई मौजूद है तो हम जरूर दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप खा लीजिये । जिस देश में भूखे को खिलाने का रिवाज हो । वहाँ यदि उसको इससे वंचित किया जाय तो बडी व्यथा होती है । आज जिस निराश्रित विधवा, हरिजन बच्चे को हम अनुदान देना चाहते हैं । विकलांग को कुछ देना चाहते हैं, तो जिस अबोध बच्चे या गरीब हरिजन या विकलांग को हम सहायता देना चाहते हैं, उसको कुछ चंद लोग खा जायें यह दुखद विषय है । इसकी वजह से शासन ने इस तरफ बहुत गम्भीरता से काम किया है ।

इसमें सबसे पहला काम यह किया गया है जो कुछ ऐसी संस्थायें बनाकर खुद— अध्यक्ष बन गये, पत्नी सेक्रेटरी हो गयी, बाल-बच्चे कार्यकर्त्ता हो गये, तो ऐसे लोग जो

इस तरह से संस्थायें बनाकर पैसा खा जाते हैं, उसके लिये शासन ने पहली दफा यह व्यवस्था की है कि जब तक हरिजनों की ऐसी संस्था में 51 प्रतिशत हरिजन नहीं होंगे, तब तक हम अनुदान नहीं देंगे। शोसल वेलफेयर के लिये जो संस्थायें हैं, उनमें भी हमने बैकवर्ड का, अनुसूचित जाति का और विकलांगों का आरक्षण कोटा किया। जब तक मैनेजमेंट में वह नहीं होंगे, तब तक हम पैसा नहीं देंगे। हमने 40 संस्थाओं को पिछले साल पकड़ा है और शासन के आदेश के अनुसार एक नया काम किया है, पहले ऐसी संस्थाओं को ब्लेक लिस्ट करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन शासन ने गम्भीरता से इस विषय को लिया है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसी संस्थाओं को जो गरीबों का पैसा खा जाती हैं उसको न केवल ब्लेक लिस्ट करके छोड़ा जाय बल्कि उन लोगों की जमीन जायदाद से पैसा वसूल किया जाय। (मेजों की थपथपाहट)

इस वक्त 22 लाख रुपया इन जाली संस्थाओं और तथाकथित असामाजिक तत्वों जो यह पैसा खा गये थे, उनकी जमीन और जायदाद से वसूल कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय कार्य जो किया गया है, उसको मैं आपकी जानकारी में अवश्य लाना चाहता हूँ। जगह-जगह पर पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में शिकायतें मिलती थीं कि उनको वजीफा नहीं मिलता है। मैनेजमेंट के लोग जाली दस्तखत बनाकर हरिजनों का वजीफा खा जाते हैं। इस पर हमने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और एक नयी नीति लागू की गई है, वजीफा देने के सम्बन्ध में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। अब हमको जिसको वजीफा देना है, उसका बैंक में एकाउण्ट खुलवाया है और अपने विभाग से रुपया बैंक में जमा कर दिया है। लड़का जब चाहे रुपया निकाल ले, मैनेजर की, न प्रिंसिपल की, किसी की जरूरत नहीं है। इसमें जो विलंब होता था उसके लिये एक अलग से व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक लड़के को 3 महीने का एडवांस वजीफा मिल जाय। इसकी व्यवस्था बैंक में एकाउन्ट खोलकर की जा रही है।

इसके अलावा हरिजनों के लिये एक और उल्लेखनीय चीज की गयी है। श्रीमन् हमने ऐसा महसूस किया है कि जो गांव के खेतिहर मजदूर, हरिजन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं, उनकी लड़कियों की शादी इसलिये नहीं हो पाती है कि उनके पास आर्थिक अभाव रहता है। तो इस बात को गम्भीरता मे लेकर हमने पहली दफा, शासन ने पहली दफा आदेश किया है जो हरिजन गरीब हैं, उनकी लड़की की शादी के लिये एक हजार से पांच हजार तक अनुदान देंगे। दूसरे, जब गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह तो गया ऊपर, तो उसकी जान की कीमत को आंका है। शासन ने इसको गम्भीरता से लिया है और यह किया है कि जो हरिजन गम्भीर रूप से बीमार हो उसके इलाज के लिये, दवा के लिये एक हजार से 5 हजार तक अनुदान देंगे।

(मेजों की थपथपाहट।)

एक सदस्य—

सिर्फ नारा है।

श्री गुलाब सेहरा—

नारा नहीं है, मिल रहा है। श्रीमन् नारे से यह जीत कर आ गये, जब काम नहीं किया तो बाहर हो गये, दूसरों से कह रहे हैं। तो श्रीमन् यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। श्रीमन् एक नयी चीज हमने और की है।'''मान्यवर, संविधान के अध्यक्ष, डा० अम्बेदकर जी ने भी कहा था कि अगर हरिजन शिक्षित हो जायें, तो शिक्षित होने पर,

[श्री गुलाब सेहरा—]

वह प्रगति के रास्ते पर और पुख्ता कदम के साथ बढ़ सकेंगे। मैं इसे मानताहूँ। हमारे मंत्रालय ने इन्हें शिक्षित बनाने की एक योजना बनायी। एक क्रांतिकारी कार्य शुरू किया। मैं इसे मानता हूँ कि विशेष रूप से अगर इस वर्ग की महिलायें शिक्षित हों, तो आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है।

(इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकमसिंह पीठासीन हुए।)

श्री ऊदल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विभिन्न माध्यमों से जो इस वर्ग की तरक्की का प्रयास किया है, उसके लिये उन्हें बधाई है। लेकिन, जो गृह के लिये आप अनुदान दे रहे हैं दो हजार रुपए, तो यह राशि तो 20 साल पहले निश्चित हुई थी, और यह आज भी निश्चित है। एक भी बस्ती, एक भी मकान नहीं बन रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में विभाग ने क्या तरक्की की है ?

श्री गुलाब सेहरा—

आपके इस प्वाइंट पर भी मैं आगे कहूँगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बता रहा था कि हमने देखा है कि अगर हरिजन शिक्षित हो जायें, विशेष रूप से अगर इस वर्ग की महिलायें शिक्षित हो जायें तो आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो जायेगी। तो इस दिशा में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और वह यह लिखा है कि इस वर्ग के अन्तर्गत जो हरिजन अपनी लड़कियों को पढ़ायेंगे, तो उसमें लड़कियों को तो हम बजीफा देंगे ही, साथ ही 15 रुपये उसके माँ-बाप को आपरच्योनिटी कास्ट के रूप में देंगे, प्रोत्साहन स्वरूप देंगे कि तुम अपनी लड़की को पढ़ा रहे हो। ताकि यह भावना बने कि लड़कियों को पढ़ाओ, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाय। यह क्रांतिकारी कार्य शुरू किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप स्वयं ही क्रांतिकारी हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुन लें। मुझे विश्वास है कि सुन लेंगे तो कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आपका इतना बड़ा विभाग है, इतना महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन आपका दर्जा तो बढ़ा नहीं।

श्री गुलाब सेहरा—

कम से कम आपने ख्याल तो किया मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में सोचते तो हैं।

श्री मोहन सिंह—

इनकी तरक्की आप करवा दीजिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग ने प्रत्येक जिले में निराश्रित विधवाओं के लिए, चाहे वह किसी जाति की हो, किसी वर्ग की हों, उनको पेंशन देने की योजना शुरू की है। श्रीमन्, 5700 यानी प्रत्येक जनपद की 100 विधवाओं को हमने पेंशन दी। इसमे केवल पेंशन की ही योजना नहीं हैं, बल्कि जो काम करने वाली महिलायें होंगी, उन्हें प्रशिक्षण देंगे, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए एक योजना बनायेंगे। जब वह प्रशिक्षित हो जायेंगी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी हो, उसमें हम उन्हें मशीन देंगे, सहायता देंगे, जिससे वह जीविका पालन कर सकें और जब वह इस लायक हो जायेंगी कि अपनी जीविका स्वयं पैदा कर सकें, तब हम उनको पेंशन नहीं देंगे, बल्कि उनके स्थान पर, जो दूसरी विधवाएं होंगी, उनको पेंशन देंगे।

इसी प्रकार श्रीमन्, विकलांग पेंशन भी है। इसके अन्तर्गत एक भरण पोषण भत्ता हमने विकलांगों के लिए शुरू किया है, क्योंकि श्रीमन् हमारे प्रदेश में विशेष रूप से कुछ ऐसे भी विकलांग होते हैं, जो शारीरिक रूप से इतने अक्षम होते हैं, कि वे कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो, उनको जीवित रखने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, प्रत्येक जिले में 50 को भरण पोषण भत्ता यह हम विकलांगों को देते हैं।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सत्य से परे बोल रहे हैं··· या अपने जिले के बारे में, हरिजनों की छात्रवृत्ति के संबंध में लिखा था लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कुबेर जी, वाद विवाद प्रतियोगिता कृपया बंद करें, जब आपका अवसर आयेगा, तो बोलियेगा।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। कितने आश्रम पद्धति स्कूल खोले। कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले। मैं कुबेर भण्डारी जी से कहूँगा आप तो विद्वान आदमी हैं आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कुवेर भण्डारी की विद्वता से सहमत हैं तो विभाग के लिये आगे····

श्री गुलाब सेहरा—

हमने विजीलेंस सेल अपने विभाग में रखा है, वह इसलिये कि जो गरीबी रेखा से नीचे हरिजन जी रहा है, उसको मिलने वाली धनराशि, उसका हक उस तक पहुँच रहा है या नहीं, अगर ऐसी उसकी शिकायत होती है तो जाँच करें। एक निष्पक्ष एजेन्सी की स्थापना पहली बार विभाग की ओर से की गई है। इसी का परिणाम है कि हमने 40संस्थायें पकड़ी हैं और उनसे रुपया वसूल हो रहा है। इसके अलावा समाज कल्याण की आई०सी०-डी०एस० स्कीम 79 ब्लाकों में चल रही है। एक ब्लाक में हम 100 सेन्टर खोलेंगे। इसमें शिशु कल्याण और मातृ कल्याण तथा प्रौढ़ शिक्षा शामिल है। प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक गांव में करीब-करीब यह सेन्टर खुलेगा। जिसमें हमारे डाक्टर और नर्स, बच्चों

[श्री गुलाब सेहरा—]

और महिलाओं को स्वस्थ रखेंगे और पौष्टिक आहार भी दिया जायेगा। श्रीमन्, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आप देखें विशेष रूप से हमने इस साल, मैं ऐसा मानता हूँ कि हरिजन का अगर आर्थिक विकास हो जाय, आर्थिक रूप से वह सम्पन्न हो जाय तो वह शिक्षित भी हो जायेगा और उसके रहन सहन का स्तर भी उठ जायेगा। इसको बृहत रूप देने की कोशिश शासन द्वारा की जा रही है। जो सेन्ट्रल असिस्टेंट आती थी, उसमें एक नया क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है कि हरिजनों के पास जमीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए तभी हरिजन प्रतिष्ठित हो सकेगा और उसका स्वाभिमान जागृत हो सकेगा। पिछले साल 88 ब्लाकों को जहाँ की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हरिजनों की थी, छाटें और इस साल 106 ब्लाक छाटें, 294 और हैं। बड़ा काम किया है हरिजनों के लिये शासन ने आप जाकर देखें।

जगह-2 दुकानें बनवाई गयी हैं यह दुकानें बनवाकर हरिजनों को हम देंगे। 10 हजार रुपये की दुकान हरिजनों को 5 हजार की छूट देकर 5 हजार में दी जायेगी और यह पाँच हजार रुपया भी आसन किश्तों में बिना ब्याज के 10 वर्षों में वापस करना है। इसमें यह भी जिम्मेदारी ली गई है कि दुकान देने के बाद हम बैंक से उसको रुपया दिलायेंगे और उसमें भी 50 प्रतिशत सबसिडी देंगे। जिससे वह अपना व्यवसाय कर सकें। मैं माननीय मोहन सिंह जी से कहना चाहूँगा कि वह हरदोई में जाकर देख आयें बीच बाजार में 100 दुकानें खुली हैं। मुर्गी पालन करने वाले व्यक्ति जिसका सामान कोई लेता नहीं था, आज वह बीच बाजार में दुकान खोलकर आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक बना है। हरिजन आर्थिक रूप से पिछड़ा रहेगा तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा तो उसके अन्दर स्वाभिमान आयेगा और उसका जीवन स्तर उठेगा। श्रीमन्, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्दर आप देखें। जो हरिजन खेतिहर मजदूर 8 पीढ़ी से रह रहा है, आप उस हरिजन का प्यार देखिये की वह गांव नहीं छोड़ता वह कहता है कि हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ रही हैं। उसका प्यार और मोहब्बत देखिये। उसके पास 2 गज जमीन नहीं है। श्रीमन्, अब यह सरकार उन हरिजनों को 10 हजार रुपये की जमीन देगी। और उस पर, इस तरह के 10 हरिजनों को अगर हम देंगे तो उसे ट्यूबवेल भी देंगे। 10 हजार को जमीन दे रहे हैं। विशेष रूप से 308 दुकानें प्रदेश के 188 ब्लाक्स में बन चुकी हैं और करीब 25 सौ आवंटित भी हो चुकी हैं। 9 सौ एकड़ जमीन, इस शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने खेतिहर मजदूरों को दी है जिससे वे अपनी रोजी-रोटी चला सकें। मुझे आश्चर्य लगता है कि जब हरिजनों को मिलता है तो वे मुस्कराते हैं या व्यंग करते हैं। जो उत्पीड़न आपने, आपकी पार्टी ने किया है, मैं तो लोक दल की बात कर रहा हूं जो सत्ता से लाठी-डण्डे के बल पा आती रही है, आप तो सर्वहारा हैं, आप को नहीं कह रहा हूँ।

(हँसी)

9 सौ एकड़ जमीन 188 ब्लाक्स में दी है। जिन लोगों को जमीनें दी हैं और सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहाँ हमने 1029 ट्यूबवेल्स लगाये हैं। हमारे विभाग ने सिंचाई का काम भी किया है।

इसके अलावा, ऋण और वितरण में सबसिडी में 80-81 में हमने 3011 लोगों को करीब 64 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया। 81-82 में इसकी संख्या एकदम 30 हजार 11 हो गई। इसमें विशेष रूप से 83 तक 88 हजार के करीब हम चले गये हैं। इस वक्त तक हम एक लाख 69 हजार लोगों को लाभान्वित करा चुके हैं। हरिजनों के लिए कारपोरेशन द्वारा कुछ कार्यक्रम अलग से शुरू किये गये हैं। जिसमें से वित्त निगम

है, शहरों में, जो ब्लाक चयनित किये गये हैं उसके अतिरिक्त, ऋण और सबसिडी का कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें भी उन लोगों को लाभ पहुँचाया है। समाज कल्याण में हमने लाभार्थियों की संख्या अगर बताने लगूँ तो···मान्यवर, जो महिला संस्थाओं में रहने वाली महिलायें हैं, उनमें 719 लाभान्वित हुई हैं। विशेष महिलाओं की पोषक संस्थायें हैं इनमें 10 हजार महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में 200 महिलायें लाभान्वित हैं।···

श्री अधिष्ठाता—

आपके ओजस्वी भाषण को 25 मिनट हो गये हैं। कितना समय और लेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

आपने स्वीकार कर लिया कि ओजस्वी है, धन्यवाद। 20 मिनट और ले लूं। मेरे साथ 3 कारपोरेशन हैं, उनका विवरण बता दूं।

श्री अधिष्ठाता

आपके महत्वपूर्ण विभाग को महत्व देने के लिये और भी मा० सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरी समझ में आप 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री गुलाब सेहरा—

ठीक है। मैं यह कह रहा था कि विकलांग छात्रों में 2113 लाभान्वित हुये हैं। पोषक पेंशन से 736 लोग लाभान्वित हैं। इसी प्रकार हमारा कारपोरेशन है विकास निगम इसके अन्तर्गत 2500 रु० दिया जाता है। 500 साइड डेवलप्मेंट के लिये तथा 2000 और। जिले जिले में एन०आर०ई०पी० का रुपया जोड़कर दिया जा रहा है। मथुरा, फैजाबाद में यह योजना चल रही है। यह अलग बात है कि अब इस धन को बढ़ाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को लिखा जा रहा है कि मंहगाई बढ़ने के साथ साथ इसमें भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमारे यहाँ से हरिजन छात्रावासों के लिये लोग अनुदान ले जाते हैं। डिग्री कालेजेज जो चलते हैं, उनके लिये अनुदान लेते समय लोग कहते हैं कि हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास बनायेंगे और छात्रों को रखेंगे। परन्तु जगह जगह से शिकायतें आती हैं कि छात्रावासों को क्लास रूम में परिवर्तित कर लिया गया है या आडीटोरियम बना लिया गया है। इस पर शासन ने विचार किया। 50 लड़के लड़कियों के लिये हर जनपद में छात्रावास बनाये जायेंगे। उनमें हमारा सुपरिन्टेन्डेन्ट होगा, रसोइयां होगा, हर कर्मचारी हमारा होगा। इस कार्यक्रम को तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इस वक्त 23 जो ऐसे हास्टल बनवाये जाने हैं, निर्मित किये जा चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 10 होस्टल लड़कियों के लिये बनाये जा रहे हैं जिनमें 3 तैयार हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। 31 मार्च, 1983 तक 40 ऐसे जिलों में हास्टल बनकर तैयार हो जायेंगे। इनके संबंध में कुछ विशेष बातें हैं, जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। इनका नाम राजकीय छात्रावास रखा गया है। इनमें 70 प्रतिशत हरिजन छात्रों को रखा जायेगा तथा 30 प्रतिशत अन्य छात्रों को, जो गरीबी के नीचे की रेखा पर जीवनयापन कर रहे हैं। जिससे कि एक साथ रहने से बन्धुत्व का विकास हो सके और वे आपस में घुल मिल सकें। जब किसी भी जाति का युवक हरिजन होस्टल में रहेगा तो उनमें सद्भाव और आत्मीयता बढ़ेगी।

श्री मोहन सिंह—

अन्य जाति के लोग पीटे जायेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

आज तक हरिजन ने तो किसी को पीटा नहीं। एक और हमने उल्लेखनीय काम किया है। अब हम नवें और दसवें के छात्रों को भी अनिवार्य रूप से वजीफा देंगे।

इसके अलावा आदिवासियों के क्षेत्र में कुछ विशेष योजनायें चलायी जायेंगी। लखीमपुर खीरी और गोंडा में थारू जाति के लिये उनके सर्वांगीण विकास के लिये काफी प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ से लेकर आवश्यक उपभोक्ता सामग्री तक, सभी चीजें उनको दी जा रही हैं। इसके अलावा उनको कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। अन्य जिलों में भी यह स्कीम चलाने की योजना है।

(व्यवधान)

श्री राम सागर—

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जाति संबंधी समिति के जब आप सभापति थे तो आपने अपनी कमेटी के साथ एक बृजवासी सेवा आश्रम का निरीक्षण किया था और यह पाया था कि वहाँ के लिये मिलने वाली सहायता को सवर्ण जाति वाले हड़प जाते हैं, वह उस आश्रम तक पहुँच ही नहीं पाती है, उसके लिये आपने क्या किया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

लगता है माननीय सदस्य को कुछ जानकारी नहीं है। हम उस बृजवासी सेवा मंडल को कोई अनुदान नहीं देते हैं, फिर हड़पने का सवाल कहाँ से आता है।

एक बात और कहना चाहता हूँ। जब से हमने विजिलेन्स सेल की स्थापना की है और मैं स्वयं भी सरप्राइज़ विजिट करता हूँ, तब से हरिजनों का जो वाजिब हक है वह वह उनको मिलने लगा है और अब तो हमने यह भी किया है कि जो लोग उस धन का दुरुपयोग करते हैं या खा जाते हैं, वह उनसे तथा उनकी जायदाद आदि से वसूल किया जाता है। इसका असर यह हुआ है कि जो जाली संस्थायें थीं वे अपना अनुदान तक लेने नहीं आयी हैं और जो लेती हैं, वे काफी सचेत हो गयी हैं क्योंकि उनको 28 बिन्दुओं पर अब सूचना देनी होती है।

मान्यवर, जो हमारा अनुसूचित जाति निगम है, उसके द्वारा भी हरिजन तथा निर्बल वर्ग के लोगों के बहुत काम हो रहे हैं। जो हमारा कान्सट्रक्शन डिवीजन है, उसी से हम निर्माण आदि का काम करवा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभी लोगों के विचार आमंत्रित करता हूँ।

***श्री रामधनी**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन, मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य - विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान-संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों के सम्बन्ध में एक-एक करके गिना दिया कि छात्रवृत्ति के लिये हमने इतना अनुदान दिया, छात्रावास बनाने के लिये हमने इतना अनुदान दिया, विकलाँगों को इतना पैसा दिया विधवाओं की हमने सहायता की और अत्याचारों के विरुद्ध हम लड़े। इसे सुनकर हमको लगा, चूँकि माननीय मंत्री जी बहुत ही कलाकार और जानकार हैं.....

श्री श्यामलाल वाजपेयी —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय श्री रामधनी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि कलाकार शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया है, उसे वे डिफाइन कर दें और दूसरा माननीय मंत्री जी ने कौन सी मूर्ति बनायी है कि जो आपके घर में रखी है ?

श्री रामधनी—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि कलाकारी ढंग से उन्होंने बताया जिस तरह से एक चतुर मदारी, बाई-स्कोप में दिखाया गया है लाल किला, कुतुब मिनार, इन्दिरा गाँधी और अमुक-अमुक देखा। इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने गिना डाला। मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री जी आवश्यकता से बहुत परे हैं। आवश्यकता को ठीक से समझते नहीं हैं। श्रीमन्, मेरी जानकारी में है कि जो पैसा छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के लिये दिया जाता है, वह पैसा या तो प्रिन्सिपल तक जाकर सीमित हो जाता है और या फिर इनके विभाग के दफ्तर तक जाकर सीमित हो जाता है और जो बचा-खुचा होता है, वह छात्रों को मिल पाता है। और वह भी जो मिलता है, समय के बाद मिलता है। मान्यवर, जैसे:—काबर्षा जब कृषि सुखाने" जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है और परीक्षायें शुरु हो जाती हैं तब उनको छात्रवृत्ति मिलती है। इस संबंध में मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है कि छात्रवृत्ति वह दें, वह एक निश्चित समय पर दें, उसके लिये एक समय निर्धारित कर दें या फिर दो-दो, तीन-तीन के क्रम के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाए। मान्यवर, इसमें आप जो व्यवस्था बैंकों द्वारा देने की करने जा रहे हैं, उसमे कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं और कोई भी बैंक आसानी से छात्रों का खाता खुलवाने को राजी नहीं होता है। यदि आप बैंक द्वारा ही छात्रवृत्ति देना चाहते हैं तो बैंको को चाहे वह स्टेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो या कोई अन्य बैंक हो, को निर्देश कर दें कि छात्रों का खाता खोला जाय।

मान्यवर, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी गरीबी की बात नहीं जानते हैं। गरीब को देखना है, तो गाँवों में जाइये और देखिये कि जो गरीब व्यक्ति हैं और मजदूरी करता है, उसकी जिन्दगी कैसी है तब जाकर आपको असलियत का पता लगेगा।

मान्यवर दूसरी बात मैं राजनैतिक बात करना चाहता हूँ। आपने आरक्षण की बात कही है। हम लोगों को, चाहे वह मैम्बर आफ एसेम्बली के लोग हों और चाहे लोक सभा के लोग हों, आरक्षण के आधार पर आते हैं लेकिन विधान परिषद और राज्य सभा में जो आरक्षण है, वह हमें मिलता नहीं है तो इस संबंध में मैं चाहूँगा कि जब आप इस पर जवाब दें, कि क्यों नहीं मिलता है ? इस तरह से डा० लोहिया ने जो चौ-खम्भा राज्य की कल्पना की थी समाज वादी ढंग से, उसमें उन्होंने कहा था कि गांव का राज्य है, जिले का राज्य है, प्रान्त का राज्य है और इसके बाद केन्द्र का राज्य है। मा०

[श्री रामधनी—]

अधिष्ठाता महोदय, पंचायत ऐक्ट के अनुसार संविधान में जो मैंने देखा, उसमें यह बताया गया है कि पंचायत राज लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिये स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखा जायगा। गाँव सभा के चुनावों में मेम्बरों का आरक्षण तो है लेकिन प्रधानों का आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार, बी० डी० सी० में मेम्बरों का आरक्षण तो है लेकिन ब्लाक प्रमुखों का आरक्षण नहीं है। टाउन एरिया और नगर महापालिकाओं में मेम्बर का आरक्षण तो है लेकिन चेयरमैन का आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार, जिला परिषद में सदस्यों का आरक्षण तो है, लेकिन चैयरमैन का आरक्षण नहीं है। जब कि डा० भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया है कि आरक्षण होना चाहिये।

शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे मुल्क में दो तरह की है। समाजवादी नेता डा० लोहिया ने कहा था कि मुल्क की दशा गरीबों की दशा तभी सुधरेगी जब शिक्षा में सुधार होगा। आपके यहाँ एक अमीरों की शिक्षा है, एक गरीबों की शिक्षा है.....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अरे महात्मा गांधी ने क्या कहा था भैय्या यह तो बता दो, डा० लोहिया वाला तो बता दिया ?

श्री रामधनी—

गरीबों के लिये जो शिक्षा दी जाती है, गांव में दी जाती है, जहां न टाट है न दरी है, लेकिन मा० मन्त्री जी के लड़के वहां शिक्षा पाते हैं जहां राजा महाराजों के लड़के शिक्षा पाते हैं। शिक्षा के बारे में जैसा आपने कहा कि 9वीं से स्कालरशिप को कम्पलसरी कर दिया है, तो नवीं से तो आप स्कालरशिप तभी देगें जब वह नवीं में पहुचेगा। अगर आप छठे दर्जे से स्कालरशिप कम्पलसरी करेंगे तभी वह बच्चा नवें में पहुंचेगा। दो तरह की शिक्षा संस्थायें हैं, एक तो वे जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं और दूसरी शिक्षा संस्थायें वे हैं, जो हरिजन कल्याण विभाग से चलती हैं। वहाँ जिस तरह हरिजन हर तरह से पिट रहा है, वैसी ही अध्यापकों की हालत है। इन अध्यापकों के वेतन में दोनों संस्थाओं में ड्योढ़े का फर्क है। अगर परिषद का एक अध्यापक डेढ़ रुपया वेतन पाता है तो हरिजन विभाग द्वारा संचालित स्कूल का अध्यापक एक रुपया वेतन पाता है। इस प्रकार इनको बड़ी दुर्दशा है। मन्त्री जी अपने भाषण में शासन की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने देखा कि जो इण्टरमीडिएट कालेजों में सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें हरिजन अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं; 6-7 महीने बीत गये आज तक उनको मैनेजर, कमेटी और प्रिन्सिपल ने ज्वाइन नहीं करने दिया। अगर सही रूप में आप आरक्षण की बात करते हैं, हरिजनों की मदद की बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति करावें।

आपने आश्रम टाइप विद्यालय की बात कही। आश्रम टाइप विद्यालय एक बनारस में है, एक सारनाथ में है, लेकिन मा० मन्त्री जी को पता नहीं है कि कौन-कौन लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर हरिजन, चमार और पासी तथा दूसरे जातियों के लोगों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। वे लोग इस सुविधा से वंचित हैं। वहां पर छात्र गाजीपुर और जौनपुर से पढ़ने जाते हैं। एक सुझाव है कि अगर आश्रम टाइप विद्यालय चलाना चाहते हैं तो देखें कि वहां कैसी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में अगर हर जिले में आश्रम टाइप

विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे हरिजनों का ज्यादा उद्धार होगा। नौकरी की बात आयी तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 35-36 वर्ष हो गये इस काग्रेस शासन के बीच में दो ढाई वर्षों को छोड़ कर क्लास वन से लेकर 4 तक, किसी में भी आज आरक्षण पूरा नहीं है। सन् 80-81 की रिपोर्ट है, हमारे पास जिसमें क्लास वन में 4.65, क्लास टू में 8.38 क्लास थी, में 8.27 तथा क्लास फोर्थ में 15.1 ही हुआ है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी क्लास में कोई कोटा आरक्षण का पूरा नहीं है। परन्तु अफसोस यहाँ पर और यह होता है कि प्रदेश के जहां अन्य विभागों में आरक्षण न पूरा हो, तो न हो लेकिन मा० राज मंत्री, परिवहन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में तो कम से कम आरक्षण अवश्य पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी पूरा नहीं है, यह अत्यंत अफसोस की बात है।

कृषि के सम्बन्ध में बात आयी। कहा जाता है कि बराबर हरिजनों को पैसा दिया जाता है, खेत बोने व काटने के लिए लेकिन यहाँ पर यही बात मैं अधिष्ठाता महोदय, कहूँगा कि यहां पर यह व्यवस्था आपने दी कि साढ़े तीन एकड़ भूमि का आवंटन प्रत्येक हरिजन परिवार में हो सकता है, दूसरे अगर कोई हरिजन इसके अलावा कमाता, खाता है तो उसे साढ़े 12 एकड़ भूमि से ज्यादा रखने के अधिकार नहीं होंगे वही एक दूसरी व्यवस्था आपने दी है सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कि 18 एकड़ भूमि से ज्यादा कोई हरिजन नहीं रख सकता है, इस ओर आपको देखना होगा। तथा इन जमीनों के आबंटन पर यदि आप देंखे तो 115 बी 198 की कार्यवाही के कई मुकदमें एक साथ चल रहे हैं। तो मा. अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यदि वास्तव में आप हरिजनों की मदद करना चाहते हैं और उनसे प्रेम रखते हैं, तो उन्हें एक तो विवाद रहित भूमि दी जाए, और दूसरे जिस व्यक्ति से मुकदमा चल रहा है, उससे आपसी सुलह आदि करवाकर उस जमीन को उसे दिलवाएं और तीसरे यदि मुकदमा चलना ही हो तो उसे स्टाम्प फीस व वकील का खर्चा आदि माफ कर देना चाहिए, मा. मन्त्री जी को।

इसी तरह से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात और उद्योग धन्धों की बात आयी तो माननीय मन्त्री जी इसका पूरा ब्यौरा दे रहे थे कि मैंने इतना दूकान लगवा दिया, बाजार लगवा दिया लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सब धरती पर वास्तविकता के रूप में कुछ नहीं आया है। हम लोगों को तो यह लगता है कि जैसे यह कोई बाईस्कोप दिखा रहे थे जो कि कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय अभी आप और लेंगे ?

श्री रामधनी—

अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ, यह हरिजन समाज कल्याण का बजट है, इस पर तो बहुत कुछ कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

आपने दोहराना शुरू कर दिया था इसलिये मैंने टोका।

श्री रामधनी—

यह हारेजन कल्याण का बजट है और मन्त्री जी हरिजनों के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। हरिजनों को उन्होंने कहीं पर दूकान नहीं दिया है और यहाँ कह रहे हैं कि हमने

[श्री रामधनी---]

दूकान दिया है । मैं कहता हूँ कि वे इसलिये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हरिजनों से वोट लेना है । इन्होंने हरिजनों के नाम पर कुछ नहीं किया है यह सब फसाद है ।

चाहे उद्योग धन्धे हों, चाहे पशु के क्रय की बात हो, बस इनके नाम पर विभाग पैसा ले लेता है, डाक्टर पैसे ले लेता है । विभाग के लोग पैसा ले लेते हैं । ऐसी स्थिति में मैं आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हरिजनों को पशु खरीदने के लिये आप क्यों नहीं उसे सीधे पैसा देते हैं । आपकी इस नीति से पैसा या तो अधिकारियों के पेट में जाता है, डाक्टरों के पेट में जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों के पेट में चला जाता है अथवा मंत्री जी के जो दलाल हैं, वह पैसा उनके पेट में चला जायेगा । इसी तरह से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं इनको दिखला भी दूंगा, इन्होंने जो कहते हैं कि हमने बिजली दी है तो वहां पर बिजली के नाम पर केवल खम्भे खड़े हैं या कहीं कहीं तार खींचा हुआ है और न कहीं तार है और न बल्ब तो बिजली इन्होंने धरती पर तो दी नहीं है यह केवल आसमानी फरेब है ।

अभी आपने विकलांगों के बारे में और महिलाओं के बारे में कहा है कि हमने इसलिये समाज कल्याण की स्थापना की है कि समाज में उनका उत्थान हो । लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी अपनी ही बात का पालन नहीं करते, अपने केबिनेट की बात को नहीं मानते हैं और न श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात को ये मानते हैं तो मुझे कैसे विश्वास हो कि यहां कहीं हुई बात पर माननीय मन्त्री जी अटल रहेंगे ।

यह मेरे पास समाज कल्याण के बारे में सारे कागज मौजूद हैं इसमें साफ तरीके से कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग और हरिजन विभाग के एकीकरण के लिये और इसके लिये कई बार प्रस्ताव भी हुआ लेकिन माननीय मन्त्री जी ने कैबिनेट की बात की भी अवहेलना कर दी । मैंने शिक्षा विभाग में देखा, कृषि विभाग में देखा कि विकेन्द्रीयकरण की बात आयी, इसी तरह से हरिजन कल्याण विभाग के लिये भी विकेन्द्रीयकरण की योजना प्रस्तावित थी, लेकिन माननीय मंत्री जी इतने कमजोर हैं या इन पर इतना दबाव पड़ा है कि कैबिनेट से जो बात तय हुई थी, उसका पालन वे नहीं करवा सके ।

भारत सरकार की भी रिपोर्ट आयी कि हरिजन कल्याण व समाज कल्याण विभाग को पृथक-पृथक कर दिया जाय लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ । 1975 में महामहिम राज्यपाल, डाक्टर चेन्ना रेडडी ने कहा है कि हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग का विलय कर देना चाहिये लेकिन वह आज तक नहीं हुआ । माननीय राजा राम की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी तो उसमें भी यही कहा था लेकिन उसका पालन भी आज तक नहीं हुआ । अभी पिछले दिनों भी इसी सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि अविलम्ब ही हरिजन कल्याण और समाज कल्याण दोनों विभागों को मिला दिया जायेगा लेकिन चाहे हमारे मन्त्री जी इतने कमजोर हैं या और कोई कारण हो, किसी न किसी वजह से वह इसे करवा नहीं पाये हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अन्याय और अत्याचार के बारे में कहना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक भी बात हरिजनों पर अत्याचार की नहीं कही है, जिससे बहुत ही हमको ठेस लगी है । माननीय मन्त्री जी को यह भी बताना चाहिए था कि राज्य में हरिजनों पर कितने जुर्म हुए, कितने अत्याचार हुए और कितने हरिजनों को सताया गया है । इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार साल में एक बार आता है और एक बार मनाया जाता है,

लेकिन हरिजनों के साथ रोज होली मनाई जा रही है। उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है और उनका कत्ल किया जाता है, परन्तु हमारे माननीय मन्त्री जी ने इन सब चीजों में से किसी भी एक चीज का वर्णन नहीं किया। इन सब चीजों के बारे में न बजट में कहा और न अपने भाषण में कहा। इनके राज्य में कितने जुल्म और अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट भारत सरकार से आयी है। यह रिपोर्ट अभी हाल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 557 हरिजन स्त्रियों पर बलात्कार किया गया है। इनमें से 152 हरिजन महिलाओं पर बलात्कार उत्तर प्रदेश में किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी की बात नहीं करता हूँ। पंजाब और गुजरात में केवल 6-6 हुए हैं, पश्चिम बंगाल में और हिमाचल प्रदेश में 1 हुआ। मान्यवर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हुए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि यह बलात्कार इन्हीं मंत्री जी के शासन काल में सबसे अधिक हुए हैं। अगर माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनको उनके पास भेज दूंगा तो सारी स्थिति का पता उन्हें लग जायेगा।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है लेकिन मुझे पता चला है कि वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है जिससे कि हरिजनों पर जो अत्याचार और जुर्म हो रहे हैं, वह रोके जा सकें। तमाम बलात्कार की घटनायें अखबारों में रोज निकलती हैं, 27 अगस्त को एक घटना अखबार में प्रकाशित हुई कि पुलिस ने एक हरिजन की पिटाई की और इतनी पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गयी और इस का भी जिक्र माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। 21 अगस्त, 1982 को दैनिक जागरण में निकला कि हरिजन के वेगार न किये जाने पर उसको मारा गया। अनुसूचित जाति के लोगों का जो कोटा था, उसको पूरा नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार से अभी आदेश आये हैं कि यहां पर हरिजनों का कोटा नहीं पूरा किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप कितना और समय लेगें। अब आप केवल 2 मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामधनी—

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। केवल मुख्य मुख्य 2-3 बातें और कहनी हैं। माननीय मंत्री जी मेरे पास सभी आंकड़े हैं पिछले 6 महीने के और अगर आप चाहे तो इनको मैं भिजवा दूंगा। 17 अगस्त, 1982 को दैनिक जागरण में निकला है कि एटा में हरिजन के नाम पर एक सम्मेलन बुलाया गया। वहां की धूल उड़ गयी इतनी मोटरें गयीं। माननीय मंत्री जी भी गये थे। मुख्य मन्त्री की बढ़ाई की कि वह हरिजनों के रहनुमा हैं। अगर मान्यवर जितना पैसा पेट्रोल पर खर्च हुआ उतना ही रुपया अगर वहाँ के हरिजनों को दे दिया जाता तो उनका कुछ न कुछ कल्याण ही हो जाता। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, विश्व नाथ मंदिर की चोरी के बारे में जब स्टेटमेंट आया भूतपूर्व काशी नरेश, डाक्टर विभूति नारायण सिंह जो 28 वर्ष तक···

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आपको दुबारा मौका मिलेगा बोलने का।

श्री रामधनी—

मान्यवर, मेरी बात खतम तो होने दें। मेरा कहना यह है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हरिजनों के ऊपर प्रहार किया हो उन्हीं को (डाक्टर विभूति नारायण सिंह को) उस समिति का चेयरमैन बनाया गया है जिनको नहीं बनाया जाना चाहिए था। यदि माननीय मन्त्री जी उसका चेयरमैन किसी हारेजन को बनाते तो उनकी गरिमा बढ़ सकती थी। माननीय मंत्री जी उस डाक्टर अम्बेदकर को भूल गये जिन्होंने हमें और उनको यह अवसर दिया है कि यहां पर बैठ सकें। मन्त्री जी उनके गीत गाते हैं।

[समय 2 बजकर 10 मिनट]

***श्री लाल प्रताप सिंह—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने पूर्व वक्ता जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखा है, उनकी बात को ध्यान से सुना। वास्तव में हमारे समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन की क्षमता भी सारे समाज में बहुत है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लाल प्रताप सिंह जी, कृपया बैठें। जो माननीय सदस्य बोलने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अपना परचा यहां भेजते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे यहां पर मौजूद रहें। किन्तु बहुत से सदस्य अपना नाम भेज देते हैं और सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि वे रुचि नहीं रखते हैं। इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे माननीय सदस्यों को बोलने के लिये मौका नहीं दिया जायेगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि इस मद पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं एक माननीय सदस्य के लिये 8 मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

श्री लाल प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसी ने कहा है कि आवर सोसाइटी इज केपेबिल आफ ग्रेट चैंजेज। हमारे समाज में परिवर्तन होने की बहुत क्षमता है। वह परिवर्तन हो रहा है। यह बड़े संतोष की बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो हमारा गरीब तबका है, वह स्वावलम्बन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो बहुत से हमारे समाजिक दोष हैं वे भी धीरे-धीरे कम होते चले जा रहे हैं। वास्तव में सामाजिक दोष मिटाना सबसे बड़ा काम है तभी आर्थिक उत्थान संभव है। इसके पीछे एक कारण है और एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। जब हम रेस्पेक्ट करते हैं तो उससे सहयोग बढ़ता है और उसके माध्यम से मित्रता बढ़ती है, जब मित्रता पैदा होती है तो उससे सद्भाव पैदा होता है और उससे सामाजिक दोष भी मिट जाता है और तब समाज में एक अजीब किस्म का परिवर्तन होता है जिसका हम अहसास नहीं कर सकते हैं कि समाज में कितनी तेजी से परिवर्तन हो गया।

आज उस दोष को मिटाने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम अपने ही समाज के एक वर्ग को हरिजन कहकर सम्बोधित करते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह विचार है कि यह नाम ही बिलकुल समाप्त करना चाहिए। इस शब्द से ऐसा मालूम होता है कि समाज कई हिस्सों में बँटा हुआ है और एक दूसरे से भेद-भाव की भावना है। गांधी जी ने कई बार बहुत ऊंचे स्वरों में कहा कि हम एक ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करते हैं जिसमें किसी प्रकार का जाति भेद न रहे। यही हमारी राष्ट्रीयता होगी, यही हमारा लक्ष्य होगा जिसको आज प्राप्त करना आवश्यक है और उसे हम प्राप्त कर रहे हैं। सारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुनियां के इतिहास में भेद-भाव हमेशा रहा है। लेकिन एक चीज है कि दुनियां में कहीं धार्मिक भेद-भाव रहा है, कहीं नस्ल का भेदभाव रहा है और इसके लिये बहुत बड़े संघर्ष कभी कभी हुए हैं। दुनियां यथा स्थिति नहीं है, उसमें बदलाव आते हैं यहां भी आ रहा है और तेजी से आ रहा है। दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लें आज अमेरिका सबसे ज्यादा एडवॉस कंट्री है, वहां भी एक जमाने में स्लेवरी थी, उसके विरुद्ध वहाँ सिविल वार हुई और गुलामी प्रथा को कानून से उन्होंने मिटा दिया और उसके लिए 13, 14, 15 एमेंडमेंट कानून में उन्होंने किये और सब को बराबरी का अधिकार दिया। इसी तरह समाज में आज हमारे यहां परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आरक्षण की की जाती है, कुछ हद तक यह ठीक भी है उसकी फिलासाफी सिर्फ यह है कि जिस किसी के बच्चे को दमा हो या टी.बी. हो, तो उसके माता पिता उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, दूध और घी उसको ज्यादा देते हैं औरों की अपेक्षा तो उसी तरह से समाज का एक अंग पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ताकि वह आगे आ जाय। लेकिन उसके ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि एक आदमी जो गरीब कहा जाता है उसके घर में, ऐसे तबके में ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। कुछ हद तक उसकी मदद करना जरूरी है लेकिन उसके बाद उसे स्वावलम्बी होना आवश्यक है। हमको समाज मैं दिखाना है कि समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले उसमें कोई कमजोर न रहे। जब सब को समान अवसर मिलता है तो समाज में खुद ही परिवर्तन आ जाता है। आज जब हम किसी मोर्चे पर लड़ते हैं, किसी किस्म का चुनाव होता है या दूसरी बात होती है तो उसमें गुणदोष के आधार पर हम चलते हैं वहां पर जातिपांत का कोई भेद नहीं रहता है, समाज का हर वर्ग उसमें आता है....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं दो बात कहकर समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, अब आप एक ही बात कहकर समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

ठीक है, मैंने कई बार और भी कहा था कि कुछ दिक्कतें हमारे प्लान के बारे में हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि समाज फ्यूडल नहीं है उसमें कभी ऐसा होता है कुछ वर्ग ज्यादा फायदा ले लेते हैं तो इस तरफ देखने की जरूरत है, समाज में ऐसी बात पैदा करने की जरूरत है जिसमें सब स्वावलम्बी हों, जिसमें किसी किस्म का भेदभाव न हो, किसी किस्म का आरक्षण न हो, किसी विद्वान ने कहा है—आल मैन आर इक्वल, वन्स दिस प्वाइन्ट इज सैटिल्ड, आलमोस्ट एब्रीथिंग इज सैटिल्ड। यही लोकतन्त्र का सिद्धांत है। नामिनक्लेचर खतम होना चाहिये, सब को बराबरी का मौका मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई जो एक समय सत्तासीन थे, घोषणा की थी कि हम 10 वर्ष के अन्दर से गरीबी दूर कर देंगे (व्यवधान) लेकिन मान्यवर, इन्होंने एक अन्त्योदय योजना पूरे देश में चलाकर 10 वर्षों में गरीबी दूर करने का एक अभियान चलाया था किन्तु आज वह योजना सिमट कर केवल हरिजनों तक रह गयी है। मान्यवर, संवेदनशीलता की निशानी है कि यदि कोई भी समाज का गरीब वर्ग है, यदि संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो उसे ऊपर उठाने का कार्य करेगा। मान्यवर, खुशी है कि सरकार ने कम से कम हरिजनों की तरफ नजर रखी है लेकिन क्षुधा ऐसी चीज होती है जो किसी को माफ नहीं करती है किसी को भी भूख लगती है तो उसकी आंतें टूटती हैं। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है जो प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी और गरीबी को दूर कर सके।

मान्यवर, केवल हरिजन विभाग ऐसा है जिसने योजना तैयार किया है और वह अन्त्योदय योजना के विकल्प के रूप में स्पेशल कम्पानेंट प्लान है, लेकिन यह योजना भी सिमट कर हरिजनों तक रह गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 1980-81 में राज्य सरकार का 55 04 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार का 5.13 करोड़ रुपये का अंश रहा। वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार का 66.63 करोड़ रु० और केन्द्र सरकार का 25.28 करोड़ रु०, वर्ष 1982-83 में 57.57 करोड़ रु० राज्य सरकार का और 19.25 करोड़ केन्द्र सरकार का अंश रहा। इस तरह से चालू वित्तीय वर्ष में 76.82 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गयी है। इससे मंत्री जी का कहना है कि 2,35,435 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और आगे के लिये कहा है कि आशा है कि 25 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार हमको देगी। मान्यवर, इस तरह से आप देखेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में 3263 रुपये प्रति परिवार आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 3263 रुपये में एक एकड़ जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती है तो कोई भी हरिजन अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकता है और न गरीबी दूर करने की कोई योजना ही वह बना सकता है।

मान्यवर, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने 10 वर्षों में गरीबी दूर करने की बात कही थी लेकिन यह हरिजनों पर ध्यान देने के बावजूद भी आज प्रतिवर्ष 94 ब्लाक्स स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में ले रहे हैं, इस तरह से इनको 10 वर्ष केवल हरिजनों की गरीबी दूर करने में ही लगेंगे, तो मैं कैसे इनकी सराहना करूं ? मान्यवर, आप और हम एवं समाज जानता है और इतिहास साक्षी है कि कुछ शोषण करने वाले लोग हैं जो हरिजनों और गरीबों की तरक्की नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, उनको अलग रखकर मैं बात करना चाहता हूँ, तो इस तरह के लोग देश में है। यह सही है कि गरीबी हरिजनों में ज्यादा है, लेकिन अन्त्योदय योजना के जरिये समान रूप से सभी गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया जाता था। हरिजनों की गरीबी भी उसमें आती थी, उनकी गरीबी उसमें ज्यादा आती थी, लेकिन दूसरे वर्ग के गरीब लोगों को अछूता छोड़ देने की भावना उसमें नहीं थी। जिससे दूसरे लोगों में विषाक्त वातावरण नहीं बनता था। लेकिन आज की इस सत्ता पक्ष की सरकार ने केवल हरिजन गरीबों को मदद देने की बात करके, उनमें और समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आज ऐसे वर्ग के लोगों का बजट है, जो सदियों से सताये गये हैं और सदियों से रगड़े गये हैं, जिनकी हालत समाज में बड़ी ही खराब है और उनको ऊपर उठाने के लिए भारतीय संविधान के अन्दर तमाम प्राविधान किये गये हैं और उसी समय से यह हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग बना था। इस विभाग का अलग से प्रत्येक प्रदेश में प्राविधान किया गया। श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने अपने विभाग के विषय में जो प्रगति बताई, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 13 करोड़ रुपये अधिक का इसका बजट रखा गया है।

सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1959 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हरिजनों का कोटा पूरा किया जाए। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1971 में समूह 'क' में 2.79, समूह 'ख' में 4.43, समूह 'ग' में 8.11 और समूह 'घ' में 15.5 प्रतिशत हरिजनों का कोटा नौकरियों में रहा, लेकिन इस वर्ष जनवरी, 82 में समूह 'क' में 4.4, समूह 'ख' में 6.4, समूह 'ग' में 11.8 और समूह 'घ' में 17.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग नौकरियों में थे। इस तरह से पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हमारी सरकार ने हरिजनों का कोटा पूरा किया। लेकिन जितना संविधान में है, उसके अनुसार जैसा राधाकृष्णन् समिति ने सन् 64 में प्रस्ताव रखा था 45 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में और 25 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में कोटा पूरा किया जाए। विभाग से यह किताब निकली थी, इस पुस्तक में अनुसूचित जाति का कोटा कौन कहे, रेवेन्यु विभाग ने सवर्ण तहसीलदारों की संख्या तक नहीं दी है। तो हरिजन तहसीलदारों की संख्या और कोटा के बारे में कौन बताये। दूसरी चीज यह है कि राज्यपाल महोदय के सचिवालय में कुल 36 कर्मचारी हैं, जिसमें एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का समूह 'ग' में नौकरी करता है। अतः मैं हरिजन कल्याण मन्त्री जी से चाहूँगा कि वह इस हरिजन जाति के कोटा को पूरा करने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठायें और प्रदेश स्तर पर एक ऐसे आयोग का गठन करें, जिससे अनुसूचित जातियों का कोटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की जगहों पर प्रत्येक राजकीय सेवाओं में और सार्वजनिक उद्यमों और निगमों की नौकरियों में पूरा हो सके।

दूसरा निवेदन मैं मान्यवर माननीय मंत्री जी से कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने बताया कि कम्पोनेंट योजना हमारे प्रदेश में लगभग सभी, जिलों में कुछ ही ब्लाकों को छोड़कर, सभी जिलों में चल रही हैं और हरिजनों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। यह बात सत्य है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन श्रीमन्, जो कन्पोनेंट प्लान में हमको 6 हजार, 10 हजार रुपया देने का प्राविधान है और उसमें 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है, उसमें यह हटा लिया जाय कि हम अगर भैंस लेना चाहते हैं, या कुटीर उद्योग खोलना चाहें, वह अमुक दुकान जो बता दिया जाता है, वह समाप्त किया जाय और उस डाक्टर द्वारा वह प्रतिबन्ध हटा लिया जाय, वह इन्जक्शन लगाये बगैर हमको नहीं देता है। तो पहले हम डाक्टर को घूस दें, अन्यथा हमें वह भैंस नहीं मिल पायेगी। लिहाजा माननीय मंत्री जी अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा वह कोई ऐसा प्रमाण पत्र दें जिससे कि जो भी गाय, भैंस पालना चाहें, वह पाल सकें।

दूसरा हमारा माननीय मंत्री जी से निवेदन यह है कि जो आवासीय भवन आबंटित किये गये हैं, उसमें मुकदमें चला दिये जाते हैं हरिजनों के ऊपर और हमारी सरकार ने यह पिछले वर्ष ही प्राविधान किया था कि कानूनी मुफ्त सलाह दी जायगी और यह लागू

[श्री माधव प्रसाद—]

भी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह कड़ाई से लागू किया जाय। अगर कोई आवासीय जमीन आवंटित है, मुकदमा चल रहा है, तो उसका खर्च सरकार स्वयं वहन करे। तीसरा निवेदन यह है कि जो छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि नवीं और दसवीं कक्षा में छात्रवृत्ति कम्पल्सरी कर दिया है, वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं, किन्तु माननीय मंत्री जी से मैं यह भी चाहूंगा कि जो 5,6,7,8, दर्जे में हैं, 8 वें तक वे बच्चे कैसे जायेंगे ? तो मैं चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो माननीय मंत्री जो ने छात्रवृत्ति का अधिक प्राविधान किया है, तो यह स्नातक कक्षाओं में से कटौती करके कक्षा 6 से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देने का प्राविधान करेंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी को सबसे बड़ी बधाई यह दूंगा कि जो स्वैच्छिक संस्थायें थीं, उनकी इन्होंने अपने विजीलेंस द्वारा जांच करायी और 30-35 लाख रुपया रिकवरी भी कराई और हरिजनों को उसमें कम्पल्सरी मेम्बरशिप की। एक आपका अनुसूचित, वित्त और विकास निगम है, मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले वर्ष अनुसूचित वि० निगम द्वारा उनकी ट्रैक्टर और जीप लेने का प्राविधान था कि उन्हें कर्ज पर, 4 परसेंट ब्याज पर दे दिया जायगा, लेकिन इस समय श्रीमन् 20 हजार रुपया कुल प्राविधान किया गया है कि 20 हजार रुपया कर्जा दिया जायगा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि ऐसे हरिजनों के लिए जो ट्रैक्टर, ट्राली खरीद सकें, उनको 4 परसेंट ब्याज पर ऋण देने का प्राविधान जो है, उसे कड़ाई से लागू करें। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् जब माननीय मन्त्री जी उधर बैठा करते थे और जनता पार्टी तथा लोकदल की सरकारों ने यह ग्रांट्स मूव की थी तो कटौती का प्रस्ताव वह पेश किया करते थे और हरिजनों के पक्ष में बातें किया करते थे। मगर बहुत जल्दी माननीय मन्त्री जी भूल गये और इस बात को भूल गये कि क्या यह ग्रांट केवल आपके हरिजनों के लिये है। हरिजनों के साथ में समाज कल्याण भी जुड़ा है। जितने भी समाज के गिरे हुये वर्ग हैं, जो गरीब हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, हरिजन न हों, उनका भी कल्याण करने की जिम्मेदारी आपके विभाग की है। लेकिन देखने में श्रीमन् यह आ रहा है कि देश में जो 14 प्रतिशत हरिजन हैं तो समाज कल्याण का मतलब सिर्फ यह लगाया जाता है कि हरिजन कल्याण। आप हरिजन कल्याण करें किसी को उसमें विरोध की बात नहीं है। लेकिन इस बात को आप भूल जाते हैं, 24 परसेंट के उत्थान के लिये उस हद तक पहुंच जाते हैं कि बाकी 76 परसेंट के अन्दर इसका रियेक्शन होने लगता है। सारे देश के अंदर, आज कोई हिम्मत के साथ कहे या न कहे, सारे देश के अन्दर वह रियेक्शन इस वक्त व्याप्त है। 24 परसेंट को आप पाजिटिव लाइन के ऊपर जितना भी दें, उससे आप बढ़कर दे दें उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी आदमी को कोई एतराज नहीं है लेकिन खेद का विषय वहां हो जाता है कि जब किसी चोज की अन-नेसेसिटी हो जाती है। अगर यह चीजें समाज के 76 परसेंट तक नहीं पहुंचती हैं तो उनके अन्दर रियेक्शन पैदा हो जाता है। चाहे वह किसी कास्ट के या किसी कौम के हों। इससे दूसरी स्थिति पैदा हो जाती है और एक नफरत की भावना सिर्फ इस कारण से पैदा हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने जनता पार्टी का नाम ले लिया और कहा कि कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने 2 साल के अन्दर 47 गाँवों के अन्दर पानी पीने का प्रबन्ध किया था। आप सर्वे करवा लें कि किनके गांव में पानी का प्रबन्ध किया गया। अधिकांश वहीं गांव हैं जहां पर हरिजन और सेडयूल कास्ट के लोग हैं, जहां 2,3,4 मील तक पानी का प्रबन्ध नहीं था वहां के लिये जनता पार्टी की सरकार ने पानी की व्यवस्था की। जनता पार्टी ने अन्त्योदय की बात कही। कौन थे वह लोग जिनके लिये यह कार्यक्रम चला ? किस जाति या बिरादरी के लोग थे ? आप सर्वे करवा लें कि अन्त्योदय के अन्दर कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे ज्यादा तादाद में फायदा पहुंचा ? उसमें से अधिकतर तादाद हरिजनों की थी।

श्री गुलाब सेहरा—

आपने लंगड़ा घोड़ा अन्त्योदय में दे दिया।

श्री रियासत हुसैन—

आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान शुरू किया। आपने छांटने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। जनता पार्टी की सरकार ने यह नहीं किया था। आपने आज, जो गरीब हैं, गांव के अन्दर, जो मजदूरी नहीं कर सकते, अपाहिज हैं, लूले हैं, चाहे वह किसी जाति के हों, क्या आपने उन सबके लिये प्रबन्ध किया है कि वह भूखे न मरें। जनता पार्टी ने तो लूले, अपाहिज, जो मजदूरी नहीं कर सकते थे, औरतें थीं या आदमी थे, उनको 20 किलो गेहूं हर महीने इसलिये दिया था कि वह भूखे न मरें। यह लोग आज समाज कल्याण विभाग से लाभांवित नहीं हो रहे हैं। आई० आर० डी० में ज्यादा तफसील से जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप सर्वे करायें, ईमानदारी के साथ सर्वे करायें, आई० आर० डी० और स्पेशल कम्पोनेंट के अन्तर्गत कितना रुपया उस हरिजन तक पहुंचा है। आज भी नहीं पहुंचता है। सेलेक्शन में एक माध्यम बन गया है। आपके सारे अधिकारी, विलेज लेविल के हों या ब्लाक लेविल के हैं, उन सबको मिलाकर किसी न किसी हरिजन को फांस लेते हैं और फांस कर अनुदान दिलवाते हैं, चाहें इंजिन हो या भैंस हो, उसको खरीदवाकर चार दिन के बाद उसको बिकवा देते हैं हरिजन बैठा रहता है।

आप बैंक से सर्वे करें, जितना रुपया आपने इंजन, भैंस के लिये दिया है, आप बैंक से पूछें कि यह रिकवरी कैसे होगी। इंजिन, भैंस तो बिक गयी, अब रिकवरी कैसे होगी, कहां से होगी ? यह बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो गया है। आप सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हरिजनों में सबसे ज्यादा कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है। 10,12,13 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। आपने क्या जानकारी किया कि माइनर एज में लड़कियों की यह जो शादी हो जाती है यह बीमारी कैसे निकालें ? सबसे ज्यादा, मैं मिसाल देकर कहना चाहता हूं कि आपके यहां सबसे ज्यादा शराब उसी[× × ×]

श्री गुलाब सेहरा—

एक पूरे [× ×] समाज पर इस प्रकार आरोप रियासत भाई जी आप लगा रहे हैं, वह गलत है। आर मेरे मित्र हैं। लेकिन आपका यह कहना[× × × × ×] यह

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गुलाब सेहरा—]

आरोप मिथ्या है। मैं आँकड़े प्रस्तुत करूंगा।[× × ×] तो बदनाम हैं मद्य निषेध में, मद्य में, और जिनके धर्म में लिखा है कि हराम है, वे पी रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी हो। आप सर्वे करा लें।

श्री गुलाब सेहरा—

आपने यह कहा है कि [× ×] सबसे ज्यादा शराब पीते हैं यह पूरे समाज पर, मान्यवर यह अत्यन्त आपत्तिजनक है, मैं आपत्ति करता हूं। एक पूरे वर्ग को रियासत भाई ने चेलेंज किया है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, आप सर्वे करा लें।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मुसलमान ने भी हरिजन का उत्पीड़न किया.....

श्री रियासत हुसैन—

आप सर्वे करा लें। मैं सदन के सामने यह बात कह रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आरोप प्रत्यारोप का माहौल न बनायें।

श्री रियासत हुसैन—

[× × ×]

श्री गुलाब सेहरा—

मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूँगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि जो उन्होंने आक्षेप किया है, उस आक्षेप को वापस ले लें, पूरे वर्ग पर इन्होंने आक्षेप किया है।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी भी माननीय सदस्य को या मंत्री को, बीच में वक्ता से कुछ पूछने का और स्पष्टीकरण करने का अधिकार है, लेकिन वक्ता अगर बैठ जाय, तब वे कह सकते हैं। माननीय मंत्री जी को नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे नियमों का ज्ञान है। वे बैठ गये थे, तब ही मैंने कहा।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय मंत्री जी, मैं इसकी आपको अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् मुझे आप सुन लें। जो आपत्तिजनक शब्द कहे गये हैं, उनको कार्यवाही से निकलवा दें

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं, तो कहिये।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रियासत भाई ने सीधे इस वर्ग पर, इस तरह का लांछन, इस तरह का आरोप, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसके कोई आंकड़े नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, जो आक्षेप इन्होंने किया है, उससे पूरे देश के हरिजनों पर, उनकी भावना को ठेस पहुँची है। मान्यवर, मेरा आपसे कहना है कि यह शब्द कार्यवाही से निकलवा दिये जायें। [× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

मैं कार्यवाही को देखूंगा और कार्यवाही देखने के बाद, यदि यहां कोई आक्षेप किसी वर्ग विशेष पर किया गया है, तो जो व्यवस्थित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा मतलब आक्षेप से नहीं। मैं अपने भाषण में यह कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि जो समाज के अन्दर बुराइयां हैं, उनको दूर करें। इस जिम्मेदारी को आपको ओन करना चाहिए। इस सदन में आज हरिजनों की ग्रांट पर विचार हो रहा है इसलिए यह बात कह रहा हूँ, जब इस सदन में माननीय पंडित लोगों की कोई ग्रांट आयेगी, तो उस समय मैं पंडित लोगों के बारे में बात करूँगा। आज ग्रांट डिस्कस हो रही है हरिजन एण्ड समाज कल्याण विभाग की। मैंने आपसे यह कहा कि हमारे मुरादाबाद में हर पन्द्रहवें दिन हड़तल्ला और सोनकपुर ग्राम के ढाठू जनजाति के लोगों को शराब तोड़ने के जुर्म में, दाँगे के दाँगे को, पुलिस वाले कोतवाली में बंद कर देते हैं। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, चाहे उनमें तालीम न होना हो, चाहे गरीबी, चाहे बेरोजगारी या समाज में उनको इज्जत न मिलने का कारण हो, लेकिन इन सबके बाद इसको देखने की जिम्मेदारी आपकी है। इनको दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिये, इसका रास्ता तलाशने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं उन बुराईयों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। यह जिम्मेदारी आपकी है।

रही उत्थान की बात। जो आपके आश्रम पद्धति के स्कूल हैं उनको आप क्या देते हैं? प्रत्येक बच्चे के ऊपर कितना खर्च करते हैं आप। बजट बढ़ाने का अधिकार आपको है आपने बढ़ा लिया लेकिन इसको भी आपको सोचना होगा। अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर साढ़े 4 सौ रुपया खर्च होता है तो आप कम से कम सवा दो सौ रुपया ही खर्च

नोट : [× × ×] अंश को अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कीजिये । आप नारी निकेतन के अन्दर उन सब पर कितना खर्च करते हैं ? जब आप पूरी तरह से वहाँ पर खर्च नहीं करते तो वहाँ पर सारी बुराईयां क्यों न पैदा हों । मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि आपको इसकी ओर ध्यान देना होगा । यही कारण है कि आज भीमराव अम्बेदकर, मिली चन्द्र बम्वसफ जैसी संस्थायें जन्म ले रही हैं । एस फार शैडियूलकास्ट, एस फार सिडियूल ट्राइब्स, एस फार सेक्रेटरी, एस फार सोसाइटी जैसी चीजें हो रही हैं । आज तमाम मुल्क और हिन्दुस्तान में हरिजन का उत्थान हो ठीक है लेकिन जो इस प्रकार की संस्थायें जन्म ले रही हैं, उनको देखना और रोकना आपका काम है । यह आपकी जिम्मेदारी है । आज जो उनमें असुरक्षा और अविश्वास की भावना व्याप्त है, इसको भी आपको देखना चाहिये और दूसरी तरफ 76 प्रतिशत में जो नफरत पैदा हो रही है, इसको भी देखने की जिम्मेदारी आपकी है । अगर कहीं पर कोई नफरत पैदा होती है तो समाज कल्याण विभाग का यह काम है कि वह उसको दूर करके सबको मिलजुलकर प्रेम से एक साथ आगे बढ़ाये और सब का कल्याण करें । अगर समाज में कोई गरीब है चाहे किसी भी जाति का हो, उसके कल्याण के लिये आपको काम करना है । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री हरिप्रसाद कुरील—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हरिजन समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ । सबसे पहले मैं हरिजन समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूँ । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज का बजट जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह हमारे भारत के सदियों से सताये हुये, दबे, पिछड़े लोगों की दशा सुधारने और उत्थान के सम्बन्ध में है । अभी थोड़ी देर पहले सदन में एक हंगामा आया और ऐसी प्रतिक्रिया सामने दिखायी पड़ी जिससे आभास हुआ कि वास्तव में हरिजन समाज में कुछ सुधार हुआ है । वास्तविकता यही है कि हरिजन समाज में अब जागृति आयी है । वह जागरूक हो रहा है और यह समझता है कि उसके उत्थान का क्या तरीका हो सकता है, कैसे वे तरक्की कर सकता है इस बजट में बहुत ही क्रान्तिकारी योजनायें बनायी गयी हैं । जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते थे, डाक्टर से नहीं मिल सकते थे, उनके लिए अनुदान के रूप में एकसे 5 हजार की व्यवस्था की गयी है ।

सबसे पहले हमारे समाज में शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, रोजी-रोटी का धन्धा होना चाहिए और समाज में रहने के लिए उचित व्यवस्था, यानी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए । जो सदियों से पिछड़े रहे हैं । इन तीन समस्याओं में वे पिछड़े हुए थे आज भी हैं । जो योजनायें इस शासन द्वारा बनायी गयी हैं, उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ । एकीकृत ग्राम विकास योजना चल रही है जिसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश, प्रदेश, समाज की तरक्की के लिए तमाम योजनायें बनती हैं लेकिन वे अलग-अलग होने के कारण उनका एकीकरण नहीं हो पाता है । और आखों से दिखायी नहीं पड़तीं । एकीकृत योजना इसीलिये बनायी गयीं कि सभी न्याय पंचायत स्तर पर योजनायें लायी जा सकें और कोई भी इसे देख सके कि हमारे उत्थान के लिए क्या हो रहा है ।

जिस प्रकार से भूमि के संबंध में मंत्री जी ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे उन्नाव जनपद में केवल 5 लोगों को जमीन खरीदने की बात कही गयी । एक जनपद में केवल 5 लोगों को जमीन दे देने से पूरे जनपद का उत्थान नहीं हो जाता । अगर पूरे प्रदेश में जमीन लोगों को देनी है तो पहले एक जनपद चुनिये, जिन लोगों को जमीन देनी हैं उन्हें कम से कम इतनी जमीन दें ताकि वह कुछ कर सकें । सूअर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन की बात करते हैं, पैसा देते हैं लेकिन क्या वह पैसा वास्तव में उनको मिल पाता है ? आज यह प्रगति का जमाना है । आगे दौड़ना चाहता है, वही फायदा उठा

पाता है । बकरी पालन, भेंड़ पालन, सूअर पालन आदि के लिए किसी भी गांव में ब्लाक स्तर पर कर्जा दें, 5 ही लोगों को दें लेकिन इतना दे दें ताकि वह अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके, अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके । उन्नाव जनपद में पिछली फरवरी में हरिजन समाज कल्याण विभाग की ओर से मीटिंग हुई थी जिसमें गरीब आदमियों को लोन देने की बात थी··· मान्यवर, केवल 42 हजार रुपये पूरे जनपद में दिया गया । वह भी केवल जनजाति के लोगों को, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप जाति में जाति का भेद क्यों पैदा करते हैं ? एक ओर तो हरिजन समाज कल्याण की बात करते हैं दूसरे हरिजनों में एक अलग जनजाति बना रखी है । बकरी पालन क्या हरिजन नहीं करना चाहते । इसका लाभ सामूहिक रूप से सबको मिलना चाहिये । लाल बत्ती जलने पर) अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा टाइम और लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता —

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिप्रसाद कुरील—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत आपने जो दुकानें बनाई हैं । उनकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । हजारों लाखों रुपया इन दुकानों को बनवाने में लगा है । दुकानें हरिजनों को मुफ्त में तो दी नहीं जा रही हैं भले ही 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है परन्तु 50 प्रतिशत कर्जा तो उन्हें अदा ही करना पड़ता है । मान्यवर, अधिकारियों को इस बात को देखना चाहिये कि वह दुकानें ऐसी जगहों पर बना दी जाती हैं जहाँ कोई खरीदने वाला ही नहीं होता है और न ही दुकान लगाने का मौका आता है । जंगलों में बना दी जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया । कृपया अपना आसन-ग्रहण करें ।

श्री हरिप्रसाद कुरील—

धन्यवाद ! आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

[समय 2 बजकर 57 मिनट]

***श्री कन्हैया लाल—**

अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग—इसमें कल्याण शब्द जो आया है, यह बहुत ही वायड है । हमारे मंत्री जी अगर कल्याण करना चाहते हैं तो वह ऐसा केवल अपने विभाग से कर पायें. यह तो असंभव दिखाई पड़ता है । हरिजनों के कल्याण के लिये बहुत सी बातें कही गयीं और अपने सुझाव भी दिये । हरिजन कल्याण के लिये सिंचाई की बात होती है, बिजली की बात होती है, आवास की बात होती है, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात होती है, राजस्व की बात आती है । आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इन विभागों में क्या मंत्री जी का दखल है ? क्या वह वाकई विकास कर सकते हैं अकेले बैठकर ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह—

अम्मार साहब समानान्तर सदन चला रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आशा करता हूँ कि एक ही सदन चलेगा ।

श्री कन्हैया लाल—

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब भी हरिजन समाज कल्याण का बजट हो तो कम से कम जिन विभागों का मैंने नाम लिया है उनके मंत्री यहाँ उपस्थित रहें । जिससे यदि उनके विभाग की बात कही जाये तो उसका निराकरण हो सके ।

(व्यवधान)

बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने अपनी वाक-चातुर्य से कई बातें सिद्ध किया । मान्यवर, आप देखें । 81-82 में बजट था– 58 करोड़, 82-83 में 68 करोड़, 83-84 में 69 करोड़ हो गया जिसमें पहाड़ी क्षेत्र का बजट भी शामिल है । मंत्री जी से संबंधित विभाग के बारे में कुछ बातें कहूँगा । यह वजीफा बांटते हैं, अनुदान देते हैं । वजीफा जो बांटते हैं वह संबंधित व्यक्ति तक कभी नहीं पहुँचता । प्राइमरी स्कूलों में जो वजीफा बांटते हैं वह कहीं और बँटता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी ग्रान्ट प्राइमरी पाठशालाओं के लिये जाती है, एक पैसा भी वहां के लड़कों को नहीं बंटता, सब लोग खा जाते हैं । आपने योजना बनाई, लड़कियों को वजीफा मिलेगा उनके अभिभावकों को मिलेगा । मान्यवर, अभिभावकों को जो पैसा मिलना चाहिये, वह दूसरों की जेब में जा रहा है । अभी स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का जिक्र किया । इसके अन्तर्गत आपने दुकानें बांटी । बड़ा भारी उसका वृहत चित्र बनाकर मंत्री जी ने प्रस्तुत किया यहाँ पर । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में हरिजनों की करीब 3 करोड़ की आबादी है और उसमें से आप अगर 900 परिवारों को जमीन खरीद कर देते हैं तो यह तो उसी प्रकार से होगी कि जैसे किसी कुत्ते के आगे रोटी का टुकड़ा फेंक दिया हो । उनके लिये वह उस टुकड़े के ही बराबर है ।

श्री रामजी राम—

जो कुत्ते का उदाहरण दिया है, यह गलत है, उनको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वे बंधे हुये शेर हैं ।

श्री कन्हैया लाल—

शेर कभी भीख नहीं मांगता । मैंने उदाहरण दिया है···· (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने किसी जाति विशेष के लिये नहीं कहा है ।

श्री कन्हैया लाल—

श्री रियासत हुसेन ने जो 24 प्रतिशत का उदाहरण दिया वह ठीक ही है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

स्पेशल काम्पोनेंट की बात कही गयी। जो दूकानें आप बनवा रहे हैं वे ऐसी जगह पर बन रही हैं, जंगलों में बन रही हैं, उनको वहां पर कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं अपने यहाँ मथुरा की बात जानता हूँ। जो 10 हजार रुपया दूकानों के लिये दिया गया है, उसमें केवल 4000 खर्च हुआ, शेष लोग खा गये। कई दूकान तो गिर तक गयी हैं। मैं खुद अपने यहाँ आफिसरों के साथ लोगों को लेकर गया, पर कोई दुकान लेने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि वह जंगल में बनी हुई थीं।

जो आप सब्सीडी देते हैं उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। जो दलाल लोग हैं वे ही सारा पैसा खा जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता —

आप अब समाप्त करें। एक मिनट और ले लें।

श्री कन्हैया लाल—

मान्यवर, एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। प्राइमरी पाठशालायें जो शिक्षा विभाग चलाता है उसके टीचर को 400-450 रुपये मिलते हैं, पर जो हरिजनों के लिये पाठशालायें हैं, उनके टीचर को 100-150 रुपये ही मिलते हैं। इसे बढ़ाया जाये। अगर किसी विद्यालय के कागजात वगैरह सही हैं और इन्तजाम सही है तो आप उसकी ग्रान्ट बढ़ाइये, उसको रेकरिंग ग्रान्ट दीजिये। मान्यवर, एक बात और कहनी है छात्रावास के बारे में। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने छात्रावास बनाये हैं, लगता है आपने वे देखे नहीं हैं। हरिजन छात्रावासों को बनवाने से आप अलगीकरण की भावना पैदा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठें।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेश हुआ है तथा हमारे आदरणीय सदन में उसके प्रति जो एमेंडमेंट मूव किया है, उसे मैं मंजूर करता हूँ। और इस पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, इधर से और उधर से दोनों तरफ से जो भाषण हुए उससे यह पता चलता है कि इसमें दो मुख्य कारण थे, जिससे इनका जितना उत्थान होना चाहिए उतना न हो सका। एक तो यह कि उनके प्रधान मंत्री नहीं बन सके अगर वे बन गये होते तो उनका उत्थान और हो गया होता। और दूसरा हरिजन जन-कल्याण, इनके अलावा दो अन्य जातियाँ इनका उत्थान नहीं होना चाहिये। ये दो कारण मुझे मालूम हुए। तीसरी, एक बात यहाँ सामने आयी वह है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की। उसके बारे में एक सज्जन ने कहा। इसका ऋण लेने वाले कलाकार 5-7 और कलाकारों को खड़ा कर देते हैं और उनसे उनके नाम पर हजार-हजार, पाँच-पाँच सौ रुपए ले लेते हैं, आधा रुपया जो माफ होता है उसे वह ले लेते हैं और वही रुपया बैंकों में जमाकर देते हैं और आधे पैसे को आपस में बाँटकर खा लेते हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, यह सब लोक दल ने दिया है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर- कोआपरेटिव बैंक के लोग जब वसूल करते थे तो लोग हो-हुला करते थे कि हमने कर्जा कहां लिया है, जो आप लोग हमसे वसूली कर रहे हो। लेकिन यह सब काम कलाकार लोग करते हैं। मान्यवर, आधा रुपया जो कम्पोनेन्ट प्लान का माफ होता है उसको तो वे जमाकर देते हैं और आधे रुपये से वे अपना काम चलाते हैं। यह दूसरा पहलू है ;

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आखिर इतना रुपया खर्च किया जाता है तो फिर उत्थान क्यों नहीं होता है 24 परसेन्ट पर, हमारे आदरणीय सदस्य ने कहा था कि 76 परसेन्ट के अलावा 24 परसेन्ट जो रुपया खर्च किया जाता है उससे प्रगति क्यों नहीं होती है आखिर उसके कारण क्या हैं ? जब सारे लोग उस पर लगे हैं तो उसकी तरक्की क्यों नहीं होती है ? वह तो मैंने कहा। आपको जमीन और मकान तब दी जायेगी, इस वक्त मिलने वाली नहीं है। इस समय कागज पर मिल जायेगी परन्तु असलियत में नहीं मिलेगी। आप कहने ही नहीं देते हैं तो मैं क्या कहूँ।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर गरीब लोग और तबकों में भी तो हैं, हरिजनों से ज्यादा गरीब हैं तो उनकी उन्नति के लिये क्या आपने कोई प्राविधान किया है ? किसी भी विभाग में, हरिजन और समाज कल्याण विभाग को छोड़ दीजिये, दूसरे विभागों में भी क्या कोई प्रोवीजन है, जिससे उन गरीबों का भी कोई उत्थान सौ, दो सौ, हजार वर्ष में हो सके, ऐसी कोई स्कीम आपकी है ? वह भी हिन्दुस्तान के वाशिंदे हैं कि नहीं ? आखिर उनका भी कोई हक है कि नहीं रहने, दवा, पढ़ने, खाने-पीने, मकान का उनका भी कोई हक है कि नहीं ? इसलिये मैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बजट पर भाषण समाप्त करते वक्त इस पर भी विचार करें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। श्रीमन्, बीच ही में मैंने मा० समाज कल्याण मन्त्री से टोककर पूछा था कि जो हरिजनों के लिये आवास की व्यवस्था देहातों के अन्दर या शहरों के अन्दर की जा रही है, उसके लिये जो रुपया स्वीकार किया गया है, वह 20 वर्ष पुराना है 2 हजार रु०, नतीजा यह है कि मंहगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच गयी कि एक भी आवास की योजना सफल नहीं हो रही है, उसके लिये 2 हजार रु० बहुत कम है। गाँव देवराई वाराणसी में 10 घर मुसहरों के स्वीकृत हैं, नींव खोद दी गयी, लेकिन एक भी मकान बना नहीं। मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि 2 हजार रु० में कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिये कई बार सरकार से आग्रह किया था कि 2 हजार रु० की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 3-4 हजार रु० कर दिया जाय तब जाकर आवास की सुविधा दी जा सकती है।

दूसरा, मा० मन्त्री जी ने कहा कि इनके विभाग को कई संस्थायें चल रही हैं। इनकी जो विकलांगों के लिये, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये जो स्कूल चल रहे हैं—आगरा, फर्रूखाबाद, लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, सहारनपुर, गोंडा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर इस तरह से निराश्रितों के लिये, अपंगों के लिये, आप पिक्चर्स देख लीजिये, हर साल जितनी क्षमता है, उस क्षमता के मुताबिक किसी भी स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं और स्टाफ बच्चों से दुगना है और लाखों रुपया खर्च हो रहा है। इस तरफ सरकार की निगाह जाती ही नहीं।

इनके भिक्षुक गृह खुले हैं, जो कि संख्या में 8 हैं। उनकी भी जरा दशा देख लें, क्या हालत है। एक भिक्षुक ग्रह है शिवकुटी, इलाहाबाद में उसमें एक न्यायाधीश ने निरीक्षण किया, उसने लिखा है कि इस राजकीय संस्था की दशा अत्यन्त दयनीय है। मैंने निश्चय किया था कि आकस्मिक निरीक्षण करूं। 15-5-82 को 4.45 पर मैंने इसका निरीक्षण किया। आखिर में.....

श्री अधिष्ठाता—

यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री ऊदल—

जजमेंट का अंश पढ़ रहा हूँ। आपको भी दे सकता हूँ जो एक न्यायाधीश ने किया है, इनकी एक संस्था के बारे में।

श्री अधिष्ठाता—

कमेण्ट कहां किया है ? क्या यह कोई रिपोर्टेड केस है ? या रूलिंग है, जिसे आप पढ़ रहे हैं ? उसका संदर्भ भी दे दीजिए।

श्री ऊदल—

मान्यवर यह रिपोर्टेड केस का जजमेंट है, आगे उसका कहना अपने आपको इस नारकीय पाप में भागीदार समझने लगा है वस्तु स्थिति को देखकर मैं अत्यधिक दुखी हुआ तथा मैं समझता हूँ कि इससे अधिक अमानवीय व्यवहार तथा परिस्थितियाँ किसी भी स्थान की नहीं हो सकती है और इस प्रकार का व्यवहार जनतन्त्र एवं न्याय तन्त्र का खुला मजाक है। यह इलाहाबाद के न्यायाधीश का एक जजमेंट है। इस भिक्षुक गृह के लोगों को अदालत से छोड़ दिया जाता है, और उनका नाम बदलकर भिक्षुक गृह में रखा जाता है लेकिन वह वास्तव में छोड़े नहीं जाते हैं और उनको रखकर परेशान किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ऊदल—

एक मिनट का समय और आप यदि दे दें तो मैं आपका आभारी हूँगा। मान्यवर अब मैं छोटे-2 बच्चों के स्कालर शिप की बात कहता हूँ जो प्राइमरी में पढ़ते हैं। उनमें ठीक ढंग से नहीं बाँटा जा रहा है। इस ओर ध्यान देने की आज जरूरत है। बहुत से हरिजन बच्चों एवं जनजाति के बच्चों को स्कालर फार्म ही नहीं दिये जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उन्हें छात्र-वृत्ति नहीं मिल पाती है। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ कि आज भी हरिजनों को जो जमीन आबंटित की जाती है, सरकार ने कभी इस ओर भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि उनको उन जमीनों पर कब्जा भी मिल रहा है या नहीं बल्कि वह लोग उजाड़े जा रहे हैं। जौनपुर तहसील किराकत में गाँव कुसरना में मुसहरों की जो जाति रहती है उनके घर फूँक दिये गये हैं। मुसहर जाति सभी जातियों से आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक रूप से पीछे है। उनको हरिजन जाति की लिस्ट में रख दिया गया है, जिसकी वजह से उनके बच्चे न तो पढ़ रहे और न लिख पा रहे हैं। इसलिए मा० मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि मुसहरों को अनुसूचित जाति से निकाल कर जनजाति में रक्खें, जिससे उनकी शैक्षिक एवं आवासीय तथा अन्य सुविधाएँ के बारे में उन्हें सरंक्षण प्राप्त हो और पूर्वी जिलों का एक सर्वेक्षण मुसहरों का करा लें।

श्री राम जी राम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के मांग के समर्थन पर तथा विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विरोध पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बेहद खुशी की बात है कि आज हम लोग एक बहुत ही विषम एवं महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आज समाज में आवश्यकता महसूस हो रही है, जो सदियों से दबा एवं पिछड़ा इन्सान है, वह अछूत के नाम से आज जाना जाता है। आजादी से पहले भी इसकी समस्याएं जहाँ धार्मिक रूप में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप में थीं, वहीं पर आज भी केवल राजनीतिक समस्याएं छोड़कर शेष सामाजिक धार्मिक, एवं आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, जिसे कोई सुलझाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं इशारा कर रहा था और यह जो माननीय मन्त्री जी ने बजट पेश किया है और क्रान्तिकारी कदम उठाया है इसकी मैं सराहना करता हूँ। समाज कल्याण विभाग जागरूक है परन्तु इसे और भी जागरुक बनाया जाना चाहिये और बजट के हिस्से में से कार्यालय खर्चे की कटौती किया जाना चाहिये। बजट का आधा पैसा विभाग के कर्मचारियों के काम में लाया जाता है और आधा पैसा पालिसी के कार्यान्वयन के लिये रखा जाता है। यह जो अब क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है, इसके पालन करने में दिक्कत क्या है ?

शेर है,

"चाहे तो अभी जानिबे मंजिल पलट चलू,
गुमराह इसलिये हैं कि रहबर खफा न हों"

उन्होंने कहा कि कुत्ते को हड्डी दी जाती है। आप हरिजनों के लिये ऐसी बात कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें आरक्षण नहीं चाहिये, यह तो ऐसा मजबूरी के कारण हो रहा है परन्तु यह हमारा समाज पर प्रदत्त अधिकार है जिसे हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें दिया है, हमारे नेता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराम अम्बेदकर ने हमें समाज में ऊंचा उठाने के लिये अधिकार दिया है। हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी का संकल्प है कि जो पददलित वर्ग है ऊंचा उठाने के लिये उसे ही यह धन दिया जाय।

"टूटे हुए पैमाने बेकार सही लेकिन मयखाने से ऐ साकी बाहर न निकाला कर"

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खोल कर कहना चाहता हूँ जिन्होंने समाज में भूख, उत्पीड़न पैदा की है और यहाँ बैठकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर से सब के सब नंगे हैं। यह साफ तौर से राजनैतिक पहलू नहीं है, यह एक सामाजिक पहलू है। मैं कहता हूँ कि चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, सारे के सारे जिम्मेदार लोग इससे कतराते हैं और कोशिश करते हैं कतराने की। सरकार ने जो सहायता दी है, सरकार ने जो बजट दिया है, सरकार ने जो हरिजन उत्थान के लिये संकल्प लिया है मगर हमारे ये साथी यह चाहते हैं कि समाज में ये लोग अगुआ न बनें और जैसे कि सदियों से वे पिछड़े व दबे चले आये हैं, उसी प्रकार से वे रहें और उनके लिये कोई भलाई का काम न हो सके।

मान्यवर, आज शिक्षा विभाग में जो भी गड़बड़ी है, मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त कालेज हैं और वहां पर जो अध्यापकों को रखने का सवाल है वहाँ नहीं रखते। आप लखनऊ यूनीवर्सिटी में ही देख लीजिये कि डाक्टर अंगने राम जैसा अध्यापक गोल्ड मेडलिस्ट दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। मेरा दावा है कि एक अच्छा मास्टर, एक योग्यता प्राप्त मास्टर आप नहीं रख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो ऐसे नेता हैं उनकी इजारेदारी आप समाप्त कीजिये। यह समस्या बड़ी चुटीली की समस्या है।

1947 में हमें आजादी मिली है और आप चाहते हैं कि इतनी जल्दी सारी समस्याएँ हल हो जांय। आप अपना दिल और दिमाग साफ कीजिये, जो भी पालिसी है उसमें सब लोग मजबूती और जिम्मेदारी के साथ लग जांय और मजबूती के साथ कदम उठा कर देखें, तभी कुछ हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि दो चीजें होती हैं एक पालिसी के तहत। पहली क्वान्टिटी और दूसरी क्वालिटी। जितने हरिजन हैं वे क्वालिटी सम्पूर्ण विकास की पालिसी से लाभ नहीं पाते बल्कि क्वान्टिटी (संख्या गिनाकर) विकास का आंकड़ा दिया जाता है। हमारे माननीय मन्त्री जी जो कि बड़े जागरुक हैं और क्रान्तिकारी भी हैं और उनकी सहानुभूति से प्रेरित हैं। मान्यवर इस दो मुखी पालसी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारी सरकार कहती है कि हम हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं, परन्तु कहीं पर हरिजनों का उत्थान नजर नहीं आता है। रोजाना सरकार यह कहती है कि इतने हरिजन गरीबी रेखा के ऊपर हो गये हैं, परन्तु कहीं पर कोई ऐसा हरिजन दिखायी नहीं देता है जिसकी हालत सुधरी हुई दिखाई देती हो इसलिये कार्यवाही सख्त की जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिए। आप का समय समाप्त हो गया।

श्री राम जी राम—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ।

***श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में अपने विचार रखने का समय दिया, लेकिन आभारी होने के साथ ही साथ मेरा हृदय भारी है। मन भारी है। समाज के दुखितों और दलितों का जो प्रारूप इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसको देखकर मन भारी है। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ—

हर आँख यहाँ यों तो बहुत रोती है।
हर बूंद मगर अश्क तो नहीं होती है।
जो देखकर रो देता है जमाने का गम,
उस आंख से आंसू जो गिरे मोती है।

मान्यवर, समाज के चौराहे पर खड़े होकर प्रतिदिन हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में लम्बे लम्बे वादे किए जाते हैं। गृह प्रवेश करने के लिये उनको आवासीय व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हम दोनों पक्ष के माननीय सदस्य उन लोगों को जो दुखित और दलित हैं उनको जीवन देने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम यहाँ से बाहर जाये तो हम देखेंगे कि छोटे-2 मासूम बच्चे नंगे घूमा करते हैं रोटी के लिए तडपा करते हैं। अगर आप बड़े-2 शहरों में चले जायें तो नालियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में वह निवास करते हैं। देहात में बेचारे पेड़ के नीचे अपनी गुजर बसर करते हैं, वे मजबूर हैं, उनके पास साधन नहीं है और हमारी यह सरकार उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है। आपको यही व्यवस्था है, आंकड़ों को आप देखतें हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

कहाँ से बोल रहे हो ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, शराब का विज्ञापन, प्रचार और प्रसार अविवेक पूर्ण ढंग से किया जाता है। पोस्टर छाप कर किया जाता है, शराब जहर है। हाथ में सुन्दर बोतल है। मान्यवर, मैं एक आँखों देखा हाल बताता हूँ। मासूम बच्चा हाथ में बोतल पानी में रंग मिलाकर धूम रहा था। अगर मद्य निषेध करना है तो सरकारी तंत्र के प्रचार को रोका जाये और इसके लिये जो तमाम रुपया बहाया जा रहा है, उसको किसी अच्छे ढंग से प्रचार करने में प्रयोग किया जाय। मान्यवर, आजकल सुधार गृह की बहुत बात की जाती है, और इनके नाम पर बहुत सी संस्थायें चल रही हैं। बाल सुधार या महिला सुधार संस्थायें चल रही हैं। मान्यवर, सुधार के नाम पर समाचार पत्रों में हमें रोज पढ़ने को मिलता है। इन अक्षम और आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित लोगों को, महिलाओं को सुधार-गृहों में रखा जाता है, उनकी परिस्थितियां उन्हें वहां ले जाती हैं. उनकी इज्जत और आबरू के साथ वहां के अधिकारी राजपत्रित हों या अराजपत्रित, अधीक्षक, अधीक्षिका जो होती हैं, माननीय सेहरा जी यदि इसको आक्षेप न मानें तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। आज मानवता कराह रही है। मैं दोनों पक्षों में बैठे हुए लोगों को चुनौती देता हूं कि यदि समय रहते इन चीजों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो जायगी। आज देश के सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि किस तरह से इस समस्या का निदान किया जाय।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में कहना चाहता हूँ। यह एक स्पेशल इम्पोनेन्ट स्कीम हो गयी है जिसका मतलब होता है खाओ, पियो और जियो। जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके हितों की रक्षा के नाम पर लोग झूला झूल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद की समाज कल्याण अधिकारी, श्रीमती चम्पी देवी ने अपने अधिकार का अतिक्रमण करके 4 लाख रुपया दे दिया। मैंने इस सम्बन्ध में लिखित शिकायत भी आपको की थी किन्तु कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य बन्द हुए, निलम्बित हुए लेकिन श्रीमती चम्पी देवी, हरिजन कल्याण अधिकारी, जिनको वह धन देने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं थी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि उनकी प्रोन्नति हो गयी। इसी तरह जलधारी देवी, संस्कृत महाविद्यालय, नूनखार, देवरिया को एक लाख 40 हजार रुपया हरिजन छात्रवृत्ति के नाम पर हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया ने दिया है। जहाँ पर भवन नहीं हैं, छात्र नहीं हैं। केवल 10 छात्र ही वहां पर हैं वहाँ पर 1 लाख 40 हजार रुपया मिलकर बांट लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों और समाज का कल्याण हो तो इन सब चीजों की आप जाँच करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बिहारीलाल —

पहाड़ से भी आप किसी को बुलवायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपको मौका मिलेगा, कृपया बैठें।

***श्री भूप सिंह केन—**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हरिजन कल्याण का जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है; मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के अन्दर बहुत से विभाग होते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि हरिजन एवं समाज कल्याण का जो विभाग है वह अपनी कुछ विशेषता रखता है। जहाँ तक इस विभाग का सम्बन्ध है हमारे साथियों ने हरिजन के नाम से सम्बोधित करते हुए उनके बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं समझता हूँ कि वह एक अच्छी बातें नहीं थीं, कमजोर बातें थीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाज के अन्दर जी पिछड़ा समाज होता है उसकी पहली विशेषता देखी जाती है, प्राथमिकता के आधार पर उसके कल्याणार्थ उसको उठाने के लिये सोचा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि यहां पर जब भी हरिजनों के उत्थान के बारे में या उनके आरक्षण के बारे में यहां पर बात आयी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई हुई थी....और हमारे देश के बड़े-बड़े नेता लोग लड़ रहे थे, उस समय एक समझौता हुआ वह समझौता पूज्य बापू के बीच हुआ। महात्मा गांधी ने सोचा था कि देश का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका कल्याण नहीं होगा। देश आगे बढ़ा हुआ तभी माना जायेगा जब हरिजनों के बारे में कुछ सोचेंगे तो उसके लिये एक समझौता हमारे देश के अन्दर हुआ। आज जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा कि आरक्षण उनके लिये नहीं होना चाहिए, उसे समाज में से निकाल देना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या एक जाति के लिए आरक्षण किया गया था। मैं साफ शब्दों में बतलाना चाहता हूँ कि उस समय जब समझौता हुआ था केवल एक आधार था कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो सदियों से पीछे हैं उसको सब लोग नफरत की नजर से देखते आए हैं, जिसे अछूत कहकर बोलते हैं, उसके नाम से लोग नफरत करने लगते हैं, उनको आगे लाना है। उस कलंक को दूर करने के लिए समझौता हुआ था। हमारे साथियों ने यह भी कहा है कि दूसरे समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है ? मैं बताना चाहता हूँ कि केवल गरीबी उसका आधार नहीं है। मैं मानता हूँ कि और भी लोग गरीब हैं लेकिन जो अन्य जाति के गरीब साथी हैं, उनको समाज में उठने बैठने की स्वतन्त्रता तो थी जिनको आज भी है और सदियों पहले भी रही है लेकिन इस पिछड़े समाज के लोगों को कभी समाज में बराबरी में उठने बैठने नहीं दिया जाता था। इन्हीं सब बातों को नजर में रखते हुए आरक्षण की बात कही गयी थी।

मैं यह मानता हूँ कि विरोध पक्ष का जो काम होता है उसमें विरोध करना उसका काम है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर विरोध पक्ष मजबूत है तो वह सरकार से अच्छे काम झट करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल विरोध करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मैंने हाउस के अन्दर साथियों की बातों को सुना उससे मुझे शर्म आती है, मेरी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि इस समाज के लोग शराब पीते हैं, शराब में लिप्त रहते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने नशीली चीजों की तरफ देखा नहीं, उनसे मैं नफरत करता हूँ। यह विधि की विडम्बना है कि इस देश के अन्दर जो लोग बड़े-बड़े आलीशान होटलों में बैठकर नशा करते हैं और चीजें खाते हैं, अश्लील काम करते हैं, उसे ऐशो आराम समझते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता लेकिन एक गरीब तबका जब वह करता है तो उससे नफरत करते हैं और हिकारत की नजर से देखा जाता है और इस सदन में कहा जाता है कि वे शराब में लिप्त रहते हैं। कमजोरी हर समाज में होती है लेकिन उनका नाम लेकर हाउस में कहना कहाँ की मानवता है और इस हाउस में वह कहां तक गरिमा की बात है। अगर इस तरह से किसी पर व्यक्तिगत लांच्छन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भूप सिंह केन—]

लगता है तो वह हमें पसंद नहीं है। मैं बहुत दिनों से हाउस में देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ इस तरह की नफरत की बातें यहाँ पर होती हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ।

इस समाज के उत्थान के लिये बहुत सी बातें मैं कहना चाहता था लेकिन समय इसमें ही खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि हर पहलू से ऊँच नीच को हमें देखना होगा। यह बात ठीक है कि विरोध पक्ष को विरोध करना होता है लेकिन खाली विरोध करना उचित नहीं है। जिस जनता से चुनकर हम आते हैं जिसमें कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी हमको वोट देता है, उस कमजोर वर्ग की कमजोरी की दूर करने की हम नहीं सोचते हैं। चूँकि समय नहीं है, बहुत सी बातें मुझे कहनी थी लेकिन इस तरह के लांछन यहाँ पर हुए मैं समझता हूँ कि इस हाउस की गरिमा के अनुकूल वह नहीं हैं, मैं इसको पसन्द नहीं करता हूँ। कम समय होने के कारण मैं अपनी बात खतम करता हूँ और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।

[समय 3 बजकर 40 मिनट]

*श्री सत्यपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं हरिजन समाज कल्याण मन्त्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बोगस संस्थाओं को पकड़ा और उनको दिया जाने वाला अनुदान बंद किया। जो आज जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा था उस पर आपने रोक लगायी इसके लिये मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो कागजी क्रांतिकारी कार्यक्रम रखा है, इसके विषय में मैं विस्तार से कहने का मुझे समय नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगले वर्ष तक मंत्री जी रहे और मैं सदस्य की हैसियत से रहूँगा तो मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इस कागजी कार्यक्रम को वास्तविक रूप में धरातल में लाकर गरीबों को राहत पहुंचाई है।

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने जो कहा था उससे मैं भी सहमत हूँ कि यह सही है कि समाज का यह उत्पीड़ित और शोषित गरीब वर्ग जो है, जिसके उत्थान के लिये आपने घोषणा किया, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और विरादरी का हो, यदि वह बीमार और गरीब है, जो भूख से मर रहा हो चाहे सवर्ण जाति का ही क्यों न हो, तो उसके लिये आपको प्राविधान करना चाहिये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने हरिजन कल्याण विभाग की दिग्दर्शक पुस्तिका 1983-84 वितरित करायी है जिसके विषय सूची नं० 11 है। पर पिछड़े हुये वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा के संबंध में, मैंने पूरी पुस्तक को देखा और अपने साथियों से भी पूछा कि इस हैडिंग के विषय में आइटम नं० 11 पर कुछ है, तो मुझे एक शब्द भी नहीं मिला और मन्त्री जी का पूरा भाषण सुना है, तो उन्होंने केवल कुछ मैन्टेंस कहे इस प्रदेश और देश के पिछड़े वर्ग के लिये कहा कि--हमने पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति की सुविधा दे दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लिये जिस समय हमारे प्रदेश के अन्दर जनता पार्टी की सरकार थी, तो जिन पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति मिली थी उसके मुकाबले आप नहीं दे पा रहे हैं। आप बतायें कि जो प्रदेश में 70 फीसदी पिछड़ा वर्ग है, उसके विषय में कौन अनुदान होगा जिस पर चर्चा हम करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजन समाज कल्याण के अनुदान के संबंध में कहीं भी पिछड़े वर्ग के विषय में कुछ नहीं कहा है जबकि 1951 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग के लिये अलग से मंत्रालय होना चाहिये जबकि वह उच्च वर्ग के थे। पिछड़े वर्ग के अर्थ हैं कि ग्रामीण अंचल में 2399 पिछड़े वर्ग में जातियां आती हैं और उनकी आबादी 70 फीसदी है। उन्होंने आगे और कहा है कि वास्तविक सामाजिक समानता भारत में तभी आयेगी जबकि जाति बिरादरी एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये। कोई जाति प्रथा समाप्त हो सकती है जबकि जाति पांति के आधार पर आरक्षण न बनाया जाये। उन्होंने कहा कि हमारे इस समाज में जो आज गरीबी और पिछड़ापन है वह कांटे के समान है, जिसको निकालने के लिये फूल से काम नहीं चलेगा। इसको निकालने के लिये कांटा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यदि आपके पैर में कांटा लगा हुआ है। आज हमारे इस पिछड़े हुए वर्ग, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि उस वर्ग के लिये भी सोचा जाये, जो सर्वण हैं—जगजीवनराम आज प्रधान मंत्री नहीं हो पाये, जिससे आज उनमें अफसोस है, के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उनके लिये किया भी जाना चाहिए। आज हमारे मंत्री जी अपने मन्त्रिपद से कुछ नहीं कर पाये हैं, वह तब तक कुछ नहीं कर पायेंगे, जब तक वह डा० अम्बेदकर से कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं और उनकी तरह कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाते हैं। और जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा है, आपको उस पिछड़े हुए समाज के लिये कुछ करना पड़ेगा। पंडित जी ने जो कहा है, वह जिस वर्ग के लिये मांग रहे हैं, उनकी आज जरा नौकरियों में स्थिति को देख लिया जाए, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह उसका कितना बड़ा भाग पहले से ही हथियाये बैठे हैं।

हमारे प्रदेश में आज राज्यपालों की संख्या 27 है, जिसमें से 13 केवल एक जाति विशेष के राज्यपाल हैं, जिनका प्रतिशत 50 हो जाता है। उसी तरह से राज्यपालों और उप राज्यपालों के जो सचिव हैं, उनकी संख्या 24 है और उनमें से 13 एक ही जाति के लोग हैं, जिनका प्रतिशत 54 बैठता है। केन्द्र में कैबिनट के जो मन्त्री हैं, उनकी कुल संख्या 19 है और उसमें 10 यानी 53 प्रतिशत मन्त्री एक ही जाति के मंत्री हैं। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 16 है, जिनमें 9 यानी 56 प्रतिशत न्यायाधीश एक विशेष जाति के लोग हैं।

अन्त में मैं आपसे केवल एक मांग करता हूँ पिछड़ी जातियों के लिये मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसके सम्बन्ध में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई बात नहीं की है। आज 70 प्रतिशत जनसंख्या की आप पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, जिनके नाम पर आप वोटों के समय सारी सुविधायें उनको देने की बात करते हैं और उनके नाम पर ही यहां पर जीतकर आते हैं। सन् 52 के इलैक्शन के पहले 51 में स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में आर्टिकिल 16 में 16 (4) को इस आशय से शामिल किया था कि 52 में होने वाले ऐलेक्शन में उनको अपने पक्ष में किया जा सके। इसमें पिछड़े वर्गों को सुविधा दी गई थी। सन् 76 में नारायणदत्त तिवारी ने जब कांग्रेस सरकार एलेक्शन में जा रही थी, पिछड़ी जातियों को 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया था। जबकि आज यह सब सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस हरिजन बजट पर इस 70 प्रतिशत संख्या वाले पिछड़े वर्गों पर भी विचार करें और इसके लिये सोचें कि विशेष रूप से उनको कौन-कौन सी सहूलियतें प्रदान की जा सकती हैं।

श्री वंशीधर राज—

मान्यवर, आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद देता

[श्री बंशीधर राज—]

हूँ । मान्यवर, मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट ऐसे लोगों के लिये है जो सदियों से शोषित और पीड़ित रहे हैं, उनके कल्याण के लिये जो उन्होंने बजट रखा है और इतनी सूझबूझ के साथ रखा है, और इसमें उनके अधिकारियों ने उनको जो सहयोग दिया है, उसके लिये मैं मन्त्री जी को और उन सबको धन्यवाद देता हूँ तथा इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ । जो लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही शोषित और समाज में पीछे रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिये यह बजट है । भूपसिंह केन कह रहे थे हमारा अधिकार है कि जिस उद्देश्य के लिये इसकी समाज में स्थापना की गई थी, आज भी मैं समझता हूँ कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है । आज भी यह बात आप देखें कि वह लोग कितने पीछे हैं, कितने शोषित हैं । आज भी समाज में अगर उनको ऊपर नहीं उठाया तो सदैव अशान्ति ही व्याप्त होती रहेगी और देश में समतारूपी समाज की कमी स्थापित नहीं हो सकेगी ।

इसके साथ मैं कुछ शासकीय योजनाओं के बारे में भी कहना चाहता हूँ, जो मन्त्री जी ने बनाई है । एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण योजना है और हरिजन वर्ग को वास्तव में उससे बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाते हुये मैं अनुरोध करूंगा कि उनको दूर करने की चेष्टा की जाए । पहली बात मान्यवर, बकरी सूअर, भेड़ आदि जो कमेटी परचेज करके देती है, उसमें बड़ा घपला होता है । जो पैसा उन गरीब लोगों के लिये जाना चाहिए, वह उन लोगों को नहीं मिलता है । इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कैश के रूप में देने की योजना बना दी जाय और उनको नकद रुपया दिया जाय ताकि वह अपने मन से वह सामग्री खरीद लें और वह योजना सही रूप में कार्यान्वित हो सके । दूसरी एक और दिक्कत इसमें आ रही है । चूंकि बैंकों से इसमें ऋण देना होता है जिनके मकानों पर छप्पर में फूस भी नहीं है, मैं समझता हूँ उनको ऋण नहीं देते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं । इन्होंने 1975 में एक अनुसूचित जाति, वित्त निगम की स्थापना की थी, उस निगम ने अनन्य कल्याणकारी योजनायें चलाई हैं, उसमें मेरा सुझाव है कि क्यों नहीं ऐसी योजना बनाई जाती तथा निगम द्वारा व्यवस्था की जाती है, जिससे यह मिनी बैंक की तरह हो, और ऋण देने का काम करे तभी कम्पोनेंट प्लान, हम समझते हैं कि पूरी तरह से सफल हो सकेगा ।

इसी के साथ-साथ जो उद्योग धंधे चलाये जाते हैं, उनमें 6 हजार से लेकर 12 हजार और 20 हजार तक की योजना पर ऋण देने की व्यवस्था है । आज आप देखें कि मंहगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है कि 20 हजार में कौन सा उद्योग लगेगा, जिससे वह अपने परिवार को चला सकेंगे और उन्नति कर सकेंगे ? मेरा इसमें आपसे एक निवेदन है, चाहे वह निगम के द्वारा स्थापित करायें, चाहे सहकारिता के माध्यम से स्थापित करायें, हर जिले में एक ऐसी यूनिट स्थापित करें, जिससे लोग देखें और आदर्श रूप में उसे कार्यान्वित करें और उस योजना को चलावें । जब एक योजना इस प्रकार की चलेगी, तो उसको लोग देखकर अनुकरण करेंगे । तत्पश्चात् इस योजना को ब्लाक स्तर तक पहुंचाने की कृपा करें ।

दूसरा मेरा एक और सुझाव यह है कि ये जो दूकानें बनाई जा रही हैं, इन दूकानों के द्वारा बहुत ही लाभ हो सकता है । अगर ये दूकानें बन जाती हैं और उन दूकानों में अच्छी तरह से व्यवस्था करा कर उन दूकानों को चलाया गया, तो निश्चित ही वह व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे । और उनको सामाजिक न्याय मिल सकेगा । अभी मान्यवर, हमारे भाई रियासत साहब ने एक ऐसा आरोप लगा दिया, जिससे मैं समझता हूँ कि सारे हरिजन और अनुसूचित जाति के लोगों का दिल दहल गया है । उनका आरोप इस प्रकार का था जैसे कि हरिजन वर्ग ही शराब पीता है और जितनी कुरीतियां हैं वह हरिजन वर्ग

में ही हैं। वास्तव में अगर देखा जाय कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो कोठियों में बैठे शराब पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, वहाँ पर शराब पीते हैं उन्हें कोई नहीं कहता और वह भले आदमी हैं जिनके पास तन पर कपड़ा नहीं है और खाने को रोटी नहीं है वह कहां से पियेंगे ? मान्यवर, ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि जिनके मजहब में, मैं यह कह सकता हूँ कि यह बहुत गंदी चीज मानी जाती है, उनका धर्म नहीं कहता है कि वे पियें, लेकिन वे लोग भी पीते हैं। उन्हें क्यों नहीं कहते ?

मान्यवर, अनुसूचित जाति, वित्त निगम द्वारा एक योजना चलाई गई थी, उस योजना के तहत बड़े उद्योग भी लगाये जाते थे, उनको साढ़े 12 हजार रुपया अनुदान तथा 4 परसेंट ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था थी। यह योजना 1980 में समाप्त कर दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बहुत जागरूक हैं, मैं समझता हूँ कि वह हरिजनों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह योजना पुनः लागू करने की कृपा करें ताकि हरिजनों की भलाई हो सके। और उन्हें उद्योग लगाने में प्रोत्साहन मिले इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूँ।

***श्री फखरे आलम**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ मगर मेरी मंशा सिर्फ कटौती के प्रस्ताव के समर्थन करने की ही नहीं है बल्कि मैं कुछ बातें भी कहना चाहता हूँ। मैं वह बातें कहना चाहता हूँ, मैं वह चीजें सामने लाना चाहता हूँ जो एक दुखते हुये दिल की बात है और उन लोगों के वास्ते कहना चाहता हूँ जिनकी तकलीफों को मैं जानता हूँ, जिनकी परेशानियों को मैं जानता हूँ, जिनकी परेशानियों का हाल मुझे मालूम है, जिनके हालात से मैं वाकिफ हूँ, जिनसे मैं मिलता रहता हूँ और जिनके बारे में जानकारी हासिल करता रहता हूँ। मैं यह समझ रहा था कि इस हरिजन विरोधी सरकार की तरफ से जो बजट रखा गया है और एक ऐसे मन्त्री द्वारा रखा गया है जो एक हरिजन परिवार में जरूर पैदा हुआ मगर पूँजीपति है और उनको पूँजीपति से मुहब्बत है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मालुम होता है कि उनको हरिजन से कोई मुहब्बत है या वह उनकी भलाई करना चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात का चैलेंज करता हूँ, मैं जानता हूँ, वह यह देखें कि मैं हरिजनों का ज्यादा हमदर्द हूँ या माननीय मन्त्री जी हरिजनों के ज्यादा हमदर्द हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

आप अपनी पूँजी में से हमें दे दें तो हम भी पूँजीपति हो जायें।

श्री फखरे आलम—

हमारी पूँजी तो अंग्रेजों ने 1857 में लूट ली।

दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से,
इस घर को आग लग गयी घर के चिराग से।

आज यह बजट जो हरिजन विरोधी बजट है, वह माननीय गुलाब सेहरा जी ने पेश किया है। आपने इस बजट को पेश करके अपने सर पर सेहरा जरूर बाँध लिया है लेकिन इससे किसी गरीब हरिजन के सर पर सेहरा नहीं बंध सकता। यह सेहरा आपकी सरकार आपके सर पर बाँधती रहे लेकिन मैं कह सकता हूँ कि गुलाब सेहरा या कोई भी हरिजन उत्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखरे आलम—]

प्रदेश का मुख्य मंत्री या हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जब बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके तो कोई भी हरिजन हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री कभी नहीं बन सकता है। आप इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिये। यह तभी हो सकता जब यह जो 15 प्रतिशत, 85 प्रतिशत के ऊपर हकूमत कर रहा है उसको ऊपर उठाने का इंतजाम करें और पिछड़े हुये जो वर्ग हैं, वह सब एक हो जायें। मान्यवर, मैं दो, तीन बातें और कहना चाहता हूँ जिससे पता लगेगा कि हरिजनों के साथ क्या होना चाहिये और क्या नहीं किया गया है। आपने कागज के ऊपर पट्टे लिखकर दे दिये। लेकिन हरिजन भटक रहा है। जिन जमीनों पर हरिजनों के कब्जे हो गये हैं और उन्होंने जो फसल बोयी है, वह उनको काटने को नहीं मिल रही है। बोयी फसल गरीब हरिजन ने और काटें लाला जी। जो मकानात हरिजनों को दिये गये हैं, वह मकानात ऐसे हैं कि एक हवा का झोंका चले तो वह मकानात हवा में उड़कर पहुँच जायें, मन्त्री जी के घर पहुँचे या किसके घर पहुँचे।

यही हालत दूकानों की भी है। माननीय मन्त्री जी ने हरिजन भाइयों को जो विधायक भी हैं, अपनी तारीफ में खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वह मुझे बतायें वह अपने सीने पर हाथ रखकर बतायें कि हरिजन के साथ क्या किया जा रहा है, क्या डेवलपमेंट किया गया है, उनकी उन्नति का क्या इंतजाम किया गया है, यह सब बिल्कुल जबानी, फर्जी बातें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हरिजनों के लिये हरिजन स्टेटस बनाइये, सेड्यूल कास्टस के लिये स्टेटस बनायें और उसमें इस तरह की कोशिश करें कि वह डेवलप करके सेल्फ सफी-सेंट हो जायं और हरिजन उनको चला सकें। लेकिन कभी आपने इस पर विचार नहीं किया। आपने हरिजनों के लिये जो स्टेटस बनायीं वह एबांडन पड़ी हुयी हैं। हरिजनों के बजाय उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े-बड़े कारोबार कर रहे हैं वह उनको दे दी गयीं हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे जिले बदायूँ में नबाबाखेड़ा में हरिजन स्टेटस बनायी गयी लेकिन उसमें कोई चीज हरिजनों के लिये नहीं की गयी है। वह स्टेट्स एक बड़े पूँजीपति को वह बिल्डिंग दे दी गयी जिसमें वह बड़ा कारोबार कर रहा है और फायदा उठा रहा है।

मान्यवर, समाज कल्याण में भी जो काम हो रहा है, उससे समाज के उस वर्ग को कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है, जिसके लिए वह काम किया गया था और हाल क्या है कि लोग इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं और उनका कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। सब इस बात को जानते हैं कि तीन करोड़ की हरिजन की आबादी में मुश्किल से 25 लाख हरिजन ऐसे हैं, जो अच्छा खा सकते हैं, 80 प्रतिशत से ज्यादा पार्वटी लाइन के नीचे हैं। पार्वटी लाइन के नीचे, जो सन् 47 में आजादी के बाद थी, वही पोजिशन उनकी आज है। तो आपने उनके लिए क्या कर दिया। उनका हाल तो यह है कि ....

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री फखरे आलम—

अभी थोड़ा ही समय हुआ बोलते हुए।

आरजू की सब्र तलब और तमन्ना बेताब
दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक

यह हाल हरिजनों का है और हमारे मंत्री गुलाब सेहरा साहब इस पर हंस रहे हैं। हरिजनों के बारे में जो बात कही जा रही है, जो सही बातें, जो आँकड़े उनके सामने लाये जा रहे हैं, उन पर विचार करें, उनको देखें और इस बात की कोशिश करें कि अगर आप वाकई हरिजनों के नुमाइंदे हैं, अगर आप हरिजन को सहायता पहुँचाना चाहते हैं तो इस बजट को हटाकर दूसरा बजट लाइये, ताकि उस बजट में आप यह दिखा सकें कि आप हरिजन की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं।

मैं इन अलफाज के साथ इस बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[समय 4 बजकर 2 मिनट]

श्री विशन लाल—

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित जो बजट यहाँ माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। हरिजनों की भी चाहें होती हैं, और लोगों की भी चाहें होती हैं। झगड़े हैं 2-3 बातों, जर, जोरू, जमीन-तो इनमें हरिजनों के पास एक चीज तो है, लेकिन दो चीज नहीं हैं। जमीन नहीं है, जर नहीं है, बाकी सब है।

एक सदस्य—

जोरू तो है।

श्री विशन लाल—

हाँ वह तो है, लेकिन कभी-कभी उसमें भी घपला हो जाता है। मेरा तो यकीन यह है कि हम वर्गविहीन और जाति विहीन समाज की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा कॉस्टीट्यूशन और हमारे कॉस्टीट्यूशन के अन्दर प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाज की बात कही गयी है, समाजवादी समाज, धर्म निरपेक्षता और गणराज्य, ये सब चीजें हमको उसमें दी हैं, और बराबरी के दर्जे पर उन जातियों को लाने की, जो पिछड़ी हुई हैं, कोई रियायत है नहीं इसमें, इसमें हिन्दू, मुसलमान या हरिजन का सवाल भी नहीं है, हरिजन पिछड़ा समझा गया है इसलिए कि वह सबसे नीचे दर्जे का है। मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े नेताओं माननीय प० जवाहर लाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री जी द्वारा और श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा हमको तरक्की मिली है। लेकिन एक जमाना था जब मैं पढ़ने जाता था, तो मुझे अलग पट्टी पर बिठाया जाता था, और सिखाया जाता था, छूता मुझे कोई नहीं था, मैं मास्टर भी एक दफा हो गया, लेक्चरार भी रहा, मैं अपने बर्तन अपने हाथ से साफ करता था, तो वह जमाना गया।

इस बजट के छोटे-छोटे धन के जरिये से, सरकार की योजनाओं के जरिये से हरिजनों का उत्थान हुआ है, वह हो रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, और इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी आज बहुत सारी कमियां बाकी हैं। आप देख रहे हैं कि समाज के अन्दर भ्रष्टाचरी लोगों का, यह जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो कलाकार कहे गये हैं, उनका बोलबाला है। आपने सीलिंग लगायी। आपके पास जो सिंचित भूमि है वह 18 एकड़ है और जो असिंचित जमीन है वह 27 एकड़ रहनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूँ कि जो यह बड़े-बड़े फार्म जो मीलों लम्बे चले जा रहे हैं, वह क्यों हैं ?

[श्री विशन लाल—]

किस वजह से है ? आज जमीन की जो भूख हरिजनों की है, आप जो एक-एक बिस्वा भूमि ग्राम समाज की बाँट रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और आप सही माने में हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं तो सीलिंग लगा दीजिये जो बड़े बड़े फार्म कुत्ते, बिल्लियों और जानवरों तथा ऐसे लोगों के नाम हैं जो कभी पैदा नहीं हुये, उसको आप बांट दीजिये। जो हरिजनों की आग है उन तक यह जमीन पहुंचाकर बुझा दीजिये। मैंने राजस्व मंत्री जी से कई बार कहा कि आप एक काम कर दीजिये आपने जोतबही दिया है, उस पर एक फोटो चश्पा करवा दीजिये। एक डिपार्टमेंट हो जो इसकी स्क्रूटनी करें कि जिन आदमियों के नाम वह जमीन दर्ज है, वह पैदा हुये थे या नहीं।

दूसरा सवाल मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजनों के लिये छोटे छोटे वजीफे और अनुदान दिये जाते हैं। आवास गृह बनाये जाते हैं वह ठीक है लेकिन वह इतने नहीं है जितने की जरूरत है। आप हरिजनों को आवास दे रहे हैं लेकिन अगर उनके यहां बारात आ जाय और पानी बरसने लगे तो उसके ठहरने की जगह नहीं है। पंचायत घर में ठहराते थे लेकिन वह आज दूसरों के कब्जे में है। अतः प्रत्येक गांव में हरिजन मिलन केन्द्र बनवा दिये जांय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विशन लाल—

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मैं आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं। शोर तो बहुत किया जाता है लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में 7-8 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो पाया है। प्रोमोशन की भी वही हालत है। प्रोमोशन के बारे में एक फाइल मैं चला रहा हूं एक साल हो गया कभी वह कार्मिक, कभी राष्ट्रीय एकीकरण और कभी न्याय विभाग को जाती है। यह सहकारिता विभाग का है। उसका निर्णय नहीं हो सका। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हरिजन और समाज कल्याण के विभाग पर बहस चल रही है। हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से के कल्याण का यह बजट है। इस समाज के कल्याण के लिये बहुत सी बातें कही गईं। हरिजन समाज की जो पुस्तिका मिली है, हम समझते हैं कि जितने विभागों का कार्य विवरण मिला है सबसे मोटा है। हमारे शासक पक्ष के लोग और मंत्री लोग सदन में और सदन के बाहर कोई भी भाषण देंगे तो उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा हरिजनों के उत्थान और उनकी प्रगति पर होगा। हमको उनकी नीयत पर शंका नहीं है। लेकिन मान्यवर रेडियो, टेलीविजन और सूचना विभाग द्वारा जितना प्रचार पिछड़े वर्ग और हरिजन उत्थान का किया जाता है, हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में एक जगह नहीं, कई जगह हरिजनों की बात कही गयी है। मैं एक सवाल सेहरा जी से और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितना प्रचार भाषणों के जरिये से है, जितना प्रचार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से है, क्या उसका 50 फीसदी भी धरातल पर उतरा है या नहीं और अगर नहीं उतरा है तो इस प्रचार से जो गलत प्रभाव समाज में पैदा हो रहा है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। समाज का गैर हरिजन वर्ग है, आज वह कहता है कि हर कार्यक्रम, इन्दिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम सब हरिजनों के लिये है। आज सब कुछ हरिजनों

के लिये है, हमारे लिये कुछ नहीं है। नौकरी में, रोजगार में, सब उनके लिये है। आज यह विद्वेष भावना हरिजनों, गैर हरिजनों के समाज में पैदा होती जा रही है। अमल में उनको इतना लाभ मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिये। अगर उतना मिले तो मैं विद्वेष को भी बरदाश्त करने को तैयार हूँ लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। इसीलिये जो पढ़े-लिखे हरिजन लड़के हैं जब उनका समाज में अपमान होता है तो वह अपमान बरदाश्त नहीं कर पाते हैं और जब ऐसा होता है तो, सेहरा जी, आपको मालूम होगा कि इन नव-युवकों में दलित पैंथर जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, नक्सलाइट जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। वे घर नहीं लूटना चाहते, डकैती नहीं डालना चाहते, चोरी नहीं करना चाहते लेकिन जो विद्वेष की भावना पैदा हो रही है, उसी की वजह से यह सब होता है। एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ और उसे कहकर मैं हरिजन नवयुवकों विद्यार्थियों का कोपभाजन बन सकता हूँ लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कुछ दिन पूर्व एक पुस्तक बंटी थी कि विभिन्न विभागों में हरिजनों का आरक्षण कितने प्रतिशत पूरा है। चतुर्थ श्रेणी में करीब-करीब पूरा है और किसी श्रेणी में पूरा नहीं है। अगर कोई प्रश्न यहाँ असेम्बली में पूछा जाता है कि आरक्षण पूरा क्यों नहीं है तो जवाब मिलता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले इसलिये पूरा नहीं हुआ। इसके लिये मैं कहना चाहता कि हरिजनों की पढ़ाई पर जो करोड़ों रुपया व्यय किया गया, वह बेकार हो गया हरिजन विद्यार्थी मेरे पास अक्सर मार्कशीट को अटैस्ट कराने आते हैं, तो मैं जब उसको पलट कर देखता हूँ तो—हाई स्कूल थर्ड ड़िवीजन, इन्टर थर्ड डिवीजन, बी. ए. थर्ड डिवीजन—और बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर। करोड़ों रुपया हमने उनके लिये खर्च कर दिया लेकिन हमने कितने योग्य विद्यार्थी पैदा किये। अगर अच्छे योग्य विद्यार्थी पैदा नहीं कर पाये तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसके लिये सेहरा साहब, जो स्कालर शिप देते हैं, सबको बिना किसी भेद भाव को देते हैं, एक रेट से देते हैं। क्या यह सोचने के लिये तैयार हैं कि उनमें भी ग्रेड कर दिया जाये। यानी फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले को अधिक. सेकेण्ड डिवीजन पास करने वाले को उससे कम तथा थर्ड डिवीजन पाने वाले को उससे कम। इससे क्या होगा, जो थर्ड डिवीजन पास करके आता है, वह भी कोशिश करेगा कि वह भी सेकेण्ड पास हो, फर्स्ट पास हो और उसे स्कालरशिप ज्यादा मिले।

आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान का स्ट्रक्चर है जिसमें 121 करोड़ 6 लाख रुपया मंजूर किया गया है और उसमें से दिसम्बर के अन्त तक 42 करोड़ 62 लाख रुपया खर्च हुआ है और 3 महीने में 79 लाख रुपया खर्च होना है। यानी 9 महीने में 42 करोड़ और 3 महीने में 79 करोड़, तो क्या आप समझते हैं कि यह सही ढंग से और सुचारु रूप से खर्च होगा? जहाँ वित्तीय कठिनाइयां हों, विभागीय कठिनाइयां हों, उनको भी देखें ताकि सही ढंग से और समय से पैसा बटे। मकानों के लिए जो पैसा मिलता है, उसमें होता क्या है हरिजनों से कहा जाता है कि इतना रुपया दो, तभी हम रुपया देंगे। यदि कोई माल खरीदने के लिये अनुदान दिया जाता है उसके लिये भी दुकानें मुकर्रर हैं कि इन्हीं से चीजें खरीदनी पड़ेंगी और उसमें अधिकारियों का कमीशन बंधा है। इसलिए तो छूट मिलती है, उनको उसे सब कमीशन के रूप में अधिकारी खा जाते हैं जो बाकी रह जाता है वह कर्ज के रूप में वसूल किया जाता है। कर्ज तो वह अदा कर नहीं पायेंगे। जितनी सहायता नहीं, उससे ज्यादा क्षति हो जाती है। अनुदान जो हरिजनों को मिलता है, वह सही जगह पर पहुंचाया जाये जिससे लोग यह कहना न शुरू करें कि:

हुकम है मेहरा का, यही कि

मारो, लूटो, खाओ....

अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ऐसे अहम····

श्री विद्यासागर नौटियाल—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मान्यवर, यह जो समय की कटौती हो रही है, इसका भी आप ख्याल रखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हरिजन और समाज कल्याण के विषय में चर्चा चल रही है तो जो शासक दल में बैठे हुये हरिजन विधायक हैं क्या उनके लिये आरक्षण नहीं होगा ?

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मान्यवर, समाज कल्याण जैसे अहम् विभाग का बजट जो गुलाब सेहरा जी ने पेश किया है, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं । मैं मा० मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । बड़ा दर्द है फखरे आलम साहब को । उनको इस दर्द के लिये शुक्रिया अदा करता हूं । उनको इस बात का सदमा है कि बाबू जगजीवनराम को दल में रहने के बावजूद भी वह प्रधानमंत्री नहीं बना सके । अगर उन्हें दुर्भाग्य से दुबारा मौका मिला तो वह इस बात को संशोधित करने की जरूर कोशिश करेंगे । मैं उनके इस दर्द के लिये शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिसे इन्सान से बदतर जीवन, जानवर से भी पीछे के स्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है । जिस समाज के अन्दर एक ऐसा वर्ग हो जिसमें सेल्फ रेसपैक्ट की, भावना न हो, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद को रखकर कोई देश कैसे आगे जा सकता है । यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है । उस समुदाय या वर्ग में स्वाभिमान इस कारण नहीं है कि समाज ने उनका तिरस्कार किया । अपने तथाकथित कानून द्वारा समाज ने अछूत की संज्ञा देकर अपने ही एक वर्ग को जानवरों से पीछे खड़ा कर दिया है, यह बड़े ही कलंक की बात है । गुलाब सेहरा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और श्रीमती गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम में उस वर्ग के उत्थान के लिये बातें रखी हैं, उनको देखने के बाद भी अगर कोई कहता है कि उनकी सन् 47 के पहले जो स्थिति थी, आज वही है तो मैं समझता हूं कि उसने हिन्दुस्तान को समझा ही नहीं । सन् 47 के पहले धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर जो हरिजनों का था वह आज नहीं रहा । हरिजनों का उत्थान ही कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, डाक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य था । माननीय गुलाब सेहरा जी ने, जिन्हें मैं इस चमन का गुलाब समझता हूं, जो बजट पेश किया है वह नया चिराग है । उस बड़ी तादाद के लोगों के लिये जहां उन्होंने अनेक बातें रखी हैं, वहीं मैं कुछ सुझाव भी उनके सामने रखना चाहता हूं । इस पक्ष ने उस पक्ष ने, अर्थात दोनों पक्षों ने यह कहा कि हरिजनों को आप जो गृह निर्माण अनुदान का पैसा दे रहे हैं, वह नाकाफी है । मान्यवर, गरीबों के मकानों में लगने वाली जो फ्युलवुड है, सस्ती वाली लकड़ी है, वह भी बाजार में नहीं मिल रही है । उसकी कीमत आसमान में चली गयी है इस ओर भी ध्यान देना होगा ।

यह भी शिकायत है कि जो मकान बने हैं वे अच्छे नहीं हैं। उनमें सामान ठीक नहीं लगता है और बहुत से तो बनने के पहले गिर जाते हैं। जो अधिकारी दोषी हैं उनको दण्डित नहीं किया जाता है माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, विभिन्न प्रतिष्ठानों, निगमों में हरिजनों की सेवाओं के बारे में पुस्तिका इसी बजट में बँटी है। उसको देखने पर पता चलता है कि उन निगमों, उद्यमों में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है। 2 प्रतिशत भी उनमें यह लोग नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि एक हरिजन सेवा मंडल की स्थापना प्रदेश में की जाये और सभी विभागों में जो हरिजनों के लिये कोटा फिक्स हो उनको यह आदेश दिये जायें कि वे अपने यहां इन लोगों की भर्ती के लिये अभ्यर्थी इसी हरिजन सेवा मंडल से लें। इससे विभागों को यह कहने का अवसर नहीं होगा कि वांछित योग्यता के अभ्यर्थी नहीं मिले।

एक और सुझाव है। इन हरिजनों के विकास के लिये जो सुविधायें हैं, वे उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये कि उनको मिलने वाली सुविधायें उन तक पहुंच सकें। वह उन्हें मिलें और उनका लाभ कोई दूसरा वर्ग न उठा सके।

एक बात मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ही एक मात्र ऐसी सरकार है जो हरिजनों एवं निर्बल लोगों का उत्थान कर सकती है और उसके लिये कटिबद्ध भी है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, विशेष कर हरिजन सेवा मंडल की स्थापना के बारे में, उस पर माननीय मंत्री जी अवश्य विचार करने का कष्ट करें।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो सुविधायें आप दे रहे हैं, जैसे इक्के, तांगे, रिक्शा आदि के नाम पर, मेरा सुझाव यह है कि आप गांव में छोटे छोटे काम्पलेक्स बनायें, वहां कुटीर उद्योगों की यूनिट लगवायें जिसमें इन गरीबों को लगाया जाय। उनके द्वारा जो सामान वहां तैयार हो उसकी खरीदारी सरकार अपनी एजेन्सी द्वारा स्वयं करे ताकि उन लोगों को उचित नफा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गुलाब सेहरा जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मेरे सुझाव पर वे अवश्य ध्यान देंगे।

श्री रामसागर—

मान्नवर, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे इस हरिजन विभाग की अनुदान पर बोलने के लिये अवसर दिया। आजादी के बाद, इस लम्बे अर्से के बाद भी, आज समाज में हरिजन की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, वह कितना पिछड़ा हुआ है, राजनैतिक रूप से भी और आर्थिक,सामाजिक रूप से भी, यह आप स्वयं जानते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण देते समय हरिजनों की सुरक्षा के मामले में एक शब्द भी नहीं कहा है। मान्यवर, आज हरिजन कितना

[श्री रामसागर—]

सुरक्षित है यह तो आप स्वयं जानते हैं। उनके कार्यकाल में हरिजनों का थोक-के-थोक में सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ और उनके जो अपराधी थे, उनको किस तरीके से पकड़ा गया किस तरह से अपराधियों को पकड़ने का नाटक किया गया था। मान्यवर, उन अपराधियों का अतिथि की तरह से सत्कार किया गया था, यह तो आप जानते ही हैं कि इसकी सुरक्षा कैसी है। आज एक तो समाज की तरफ से हरिजनों का नरसंहार हो रहा है और दूसरी तरफ मान्यवर, इनकाउन्टर के नाम पर, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय श्री सेहरा जी से कि उनके पीरियड में सबसे ज्यादा हरिजनों का संहार हुआ। मान्यवर, इस तरह से आज जो हरिजनों की सुरक्षा का मामला है वह बहुत ही खराब है। आज एक तरीके से हरिजनों में इस समय भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। उनके सुरक्षा हेतु व्यापक कदम उठाये जायें।

मान्यवर, जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने हरिजनों के लिये दुकानों की बात कही थी कि हम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत दुकानें बना रहे हैं। मान्यवर, यह सही है कि यह एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम है और उन्हें गरीब हरिजनों को उद्योग धन्धे हेतु देते हैं लेकिन मान्यवर, वे शहर से और कस्बों से बहुत दूर होते हैं या बनाये जा रहे हैं जहाँ कोई सौदा खरीदने वाला भी नहीं है। वहाँ सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है। इस तरह से हरिजनों के लिये दुकानें बनाई जा रही हैं इससे हरिजन कतई लाभान्वित नहीं होंगे।

मान्यवर, हरिजनों को आवासीय सुविधा देने के लिये जो धन का प्राविधान किया गया है वह बहुत ही कम है। सबसे विडम्बना की बात यह है कि हरिजनों के नाम पर, हमारे जनपद में बसीपुर में, हरिजनों के नाम पर सवर्णों ने मकान बना दिये हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो इस तरीके से धन का दुरुपयोग करेगा उससे वसूल करेंगे। मान्यवर, यह सही है कि जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की थी उनको आपने सजा दी और उनको आपने निलम्बित किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस धन का दुरुपयोग हरिजनों के नाम पर किया गया है, उनका जो विभाग है, इनको जो देख रहा है, उनसे यह वसूला जाय और जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनको जेल भेजा जाय।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की व्यवस्था हरिजनों के बारे में की गई है? बैंक सहयोग नहीं दे रहे हैं जब किसी भी बैंक से किसी हरिजन को पैसा लेना होता है तब 10 परसेन्ट मैनेजर ले लेता है। मान्यवर, जानवर खरीदने के मामले में डाक्टर पैसा लेता है और दूसरा कर्मचारी भी पैसा लेते हैं। आपके कदम तभी सफल होंगे जब वाकई आप इस योजना को धरती पर उतारेंगे और हरिजनों का उत्थान हो।

मान्यवर, हरिजनों के उत्पीड़न के मामले में जो कानूनी सहायता है, उसमें मैं चाहूँगा कि हरिजन विभाग के साथ यह कानूनी सहायता देने के लिये जो वकील की व्यवस्था है, उसे हरिजन समाज कल्याण विभाग के दफ्तर से जोड़ दें ताकि हरिजनों को पता चल सके कि हमें कानूनी सहायता के लिये वकील कहाँ से मिलेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण के

बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सरकार की ओर से हरिजन समाज के कमजोर वर्ग के लिये इस बजट में जो सुविधा की व्यवस्था की गई है, उसे पूरे प्रदेश के हर हरिजन समाज के दुर्बल वर्ग तक पहुँचना चाहिये ताकि हर एक व्यक्ति को सुविधा का फायदा पहुंच सके। जो भी सुविधायें सरकार ने हरिजन और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये दी हैं, उसका क्रियान्वयन तेजी से होना अनिवार्य है। इसके लिये मैं चाहूँगा कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी जो हर जिले में नियुक्त किये गये हैं, पैसे के लाभ में उसका क्रियान्वयन करने में देरी करते हैं, जिससे ये सुविधायें गरीबों तक हरिजन तक नहीं पहूँच पाती हैं और बजट का पैसा वापस कर दिया जाता है। इसलिये गरीब जातियां, जिनके उत्थान के लिये सरकार ने संकल्प लिया है, वह उस सुविधा से वंचित रह जाती हैं। मैं विरोधी दल के मा० सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि फर्जी संस्तुति कराकर या प्रधानाचार्य के रूप में वह कौन सा समाज है जो हरिजनों के पैसे का शोषण करता है, या वह जो हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं को फर्जी ढंग से अपने फायदे में ले लेता है ? इससे बड़ा विरोधी और दुश्मन कौन है ? वह हैं आपके भाई आपके समाज के लोग जो हरिजनों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि उनका शोषण करते हैं।

भाई रियासत हुसैन साहब ने कहा है जो हरिजनों के बारे में। वह गरीब समाज का प्राणी है, जिन्होंने समाज में अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिये अपनी बहन बेटियों की शादी समय से बराबर किया है, जब कि आपने अपनी इज्ज़त आबरू को बचाने के लिये परदे की व्यवस्था किया है, जिससे नाना प्रकार के रोग जैसे टी०बी तपेदिक बढ़े हैं। इसके लिये हमारी सरकार के मा० मन्त्री जी ने व्यवस्था की है कि गरीब हरिजन अगर अपनी बेटी की शादी के लिये सक्षम न हो तो उसकी लड़की की शादी के लिये 5 हजार रु० तक की व्यवस्था की है साथ-2 जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो दवा इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिये सरकार ने सुविधायें दी हैं। इसके साथ-साथ हरिजन एक इन्साफ पसन्द मेहनती इन्सान है। वह समाज में किसी का शोषण नहीं चाहता है और न बुराई करना चाहता है। एक कहावत मेरे सामने आ गयी है क्योंकि आज जब मंत्री जी हरिजनों के बारे में कह रहे थे, तब कुछ विरोधी मा० सदस्यों ने हंसना शुरु कर दिया था, वह इस प्रकार है—

चढ़ै अषाढ़ घटा घनघोर,
ऐ दादा हर जोते मोर,
बोवाइल कार्तिक परलां भोर,
काम बिगरलै सासुर मोर।

आपके लोगों ने इससे फायदा बराबर लिया है, इनको जरूरत पर बाप भी बनाया है। वह जब दिन भर मेहनत करता है, या सामंतियों का काम करता है, और जब रात को खाना खाने की बारी आती है, तो उसे भी वह सामंती कुत्ते बनकर खा जाते हैं, तो गरीब समाज का उत्थान कैसे हो ? मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मा० जगजीवन राम जी का नाम लिया। श्री जगजीवन राम जी को आप द्वारा इतना प्रलोभन दिया गया कि आपको प्रधान मंत्री बना दिया जायेगा। अपने स्वार्थ के लिए हरिजन उत्थान एवं समाजवाद का नारा लगाया और इससे राजनीतिक फायदा उठाया, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया और इतने बड़े हरिजन नेता की आपने चरित्र-हत्या की अपने शासन में। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो सुविधाएं हमारे इस देश और प्रदेश के किसानों, गरीबों एवं हरिजनों को दी गयी हैं, उसे और बढ़ाया जाए ताकि उन्हें सुचारु रूप से भोजन मिल सके, छात्र वृति मिल सके उन्हें कपड़ा, किताबें मिलना चाहिए एवं आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए, तभी समाज-वाद के सपने साकार हो सकते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपको इजाजत नहीं देता बोलने की आपका समय हो गया। (व्यवधान) अब आप जो भी बोलेंगे, उसे लिखा नहीं जायेगा।

***श्री खैरुल बशर**—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मा० मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह आधारित है तीन चीजों पर। एक तो शिक्षा के कार्यक्रमों पर दूसरे आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों पर तथा तीसरे है आवास कार्यक्रम पर। शिक्षा के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि अगर आप समस्त हरिजनों के लिए एवं देश के लिए इतने ही यदि उत्साही हैं और जबकि अपने कांस्टिट्यूशन में यह व्यवस्था कर रखी है जनतन्त्र एवं धर्मनिर्पेक्ष और अनेकता में एकता की, तब तो पूरी दुनिया के अर्थात् हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी चाहिए, यह आपका मौलिक कर्त्तव्य बनता है और साथ ही अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा दे, इस ओर आपके कटिबद्ध कार्यक्रम होने चाहिए, तब समझा जाये कि वाकई आप शिक्षा में समाजवाद लाना चाहते हैं।

शिक्षा की तरफ आपने उत्साह दिखाया है और वैसे कार्यक्रम बनाये हैं। लेकिन अपने आजादी के इन 35-36 सालों में देश के गरीबों, किसानों और हरिजनों के साथ मखौल उड़ाया है। न अब तक इस ओर कुछ भी कर सके हैं और न आगे कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ आर्थिक उत्थान की आप बात करते हैं। आज आप गाँवों में रहने वाले किसानों, मजदूरों एवं हरिजनों की हालत तो देखिए, खेती करने वालों की हालत को देखिए, खेती से संबंधित सभी कार्यगुजारी करने के बाद भी उनके पास क्या बचता है, न वहाँ खाने को टीक से है, न पहनने को और न ही रहने को। क्योंकि उसके पास न रहने की और न खेती करने के लिए जमीन है और जब तक आप इस हरिजन को जमीन नहीं देंगे तब तक आप उसे बराबरी के स्तर पर नहीं ला सकते हैं, समाजवादी कार्यक्रम आपका पूरा नहीं हो सकता है, आज हरिजन यह क्यों मारा पीटा जा रहा है, हर जगह इसलिए, अब वह आपका बेगार नहीं करता है, इसलिए इस वर्ग में अब आक्रोश और निराशा पैदा हो गयी है। आप थोथा समाजवाद का नारा एवं इस प्रकार के कार्यक्रमों का धोखा सामने रखकर इस वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो जिनके नाम फर्जी तौर पर जमीनें दर्ज हैं, रहते कलकत्ते में हैं और उनके नाम में दर्ज हैं, ऐसी जमीनें लेकर उन्हें दिलवाएं, ताकि वह गरीब माँ-बाप अपने बच्चों का जो आज पेट भरने पर मजबूर हैं, भर सकें। इसलिये मान्यवर, यह भी आपका खोखला नारा है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक शेर है:—

"बता क्या तू मेरा साकी नहीं है ?
तेरे कूचे में मय बाकी नहीं है ?
समुन्दर से मिले प्यासे को शबनम
बखीली है यह रज्जा की नहीं है।"

तो आप हरिजनों को अपना समन्दर देना चाहते हैं। हरिजनों को आप दान और खैरात दे कर आर्थिक विषमता पैदा करते हैं। आज दान और खैरात से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है और न होगा। यह सरकार हरिजनों का मखौल उड़ाना चाहती है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्रीमती कमला साहनी—**

मान्यवर, आपने मुझे हरिजन कल्याण के बजट पर बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, आज जिस बजट पर हम लोग विचार-विमर्ष कर रहे हैं उसके बारे में महात्मा गाँधी ने बहुत पहले ही कहा था और बहुत कुछ लिखा भी है। उन्होंने आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान का सपना तभी पूरा होगा जब हिन्दुस्तान का दलित वर्ग, गिरे हुए लोग जमीन से उठ कर ऊंचाई तक आयेंगे। और सबके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे उनके साथ जो कि समाज में ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं।

महात्मा गाँधी के उस स्वप्न को साकार करने के लिये, उनको उत्थान के रास्ते पर लाने के लिये, हमारी सरकार ने, काँग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ किया है, आज उसी का परिणाम है कि आज ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे पदों पर हरिजन वर्ग के लोग विद्यमान हैं। वही हरिजन जो कि किसी के घर चला जाये और उसकी थाली छू ले तो फिर उस घर के लोग उस थाली में खाना नहीं खा सकते थे चाहे थाली को कुत्ता चाट कर साफ कर जाय। हरिजनों को महात्मा गाँधी ने ऊंचा उठाया है। आज हरिजन धरातल की निचाई से उठ कर गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आ रहे हैं। गत 35 सालों से उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आयी और इन लोगों को, हरिजनों को उठाने का मौका मिला तो इन्होंने उसको ऊंचा उठाने के बजाय उसके बजट में कटौती करके केवल उस वर्ष 25 करोड़ का ही बजट लिया, हमारी सरकार ने उसके उत्थान के लिए करोड़ों का बजट रखा है जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको उससे सुविधा मिल सके। बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके और बड़ों को रोजगार मिल सके। यहाँ जो लोग बैठ कर हरिजनों के नाम पर घड़ियाली आँसू बहाते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि हरिजनों का उत्थान हो।

हमारी मौजूदा सरकार ने इस बजट में विशेष संशोधन किया है उसके लिये सत्ता पक्ष के सभी लोग मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने हाईस्कूल से लेकर प्राईमरी स्कूल तक के बच्चों के लिये स्पेशल स्कालरशिप की व्यवस्था की है, उनके लिये छात्रावास की व्यवस्था की है, हरिजनों के लिये आवास की व्यवस्था की है। इस सब बातों के लिये मंत्री जी वधाई के पात्र हैं।

इसके अलावा मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हरिजनों की जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसका पूरा फायदा अभी हरिजनों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरह से नहीं उनको पहुँच रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ी जरूर होती है। इसके लिये विभाग ने एक पूरी विजिलेन्स सैल की व्यवस्था की है जो कि ठीक तरह से देखेगा कि हरिजनों को पूरा लाभ मिल सके।

एक विशेष वर्ग की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ यह गोण्ड जाति है। यह बहुत ही पिछड़ी और दलित जाति है, उसको जन जाति की सुविधा प्रदान की जाय। कागजों पर तो वह जन जाति घोषित की गयी है परन्तु जब उनके बच्चे सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि गोण्ड जाति के बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाने की व्यवस्था प्रदान करायें जिससे कि वे समाज में आगे बढ़ सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कमला साहनी—]

आज सबसे बड़ी समस्या हरिजन आवास की है। हरिजनों को जो जमीनें आबंटित हुई हैं, उनके बारे में मुकदमे चल रहे हैं। हालाँकि मुकदमों का विस्तार न्यायालय से होगा लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरिजनों के ऊपर चलने वाले मुकदमों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र हो सके ताकि उनको उसका अधिकार मिल सके, वे आगे आ सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूँ।

*श्री रामधनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों अथवा उधर के बैठने वाले सदस्य हों, दोनों पक्षों से डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट में उन्होंने इसका समर्थन किया है। मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे अवसर मिला है मैंने चार-चार बार कटौती का प्रस्ताव रखा है। सही कहे हैं। मैंने भी पढ़ा और देखा भी है। उनके हर बार के कटौती के प्रस्ताव में मैंने कोई ऐसी नीति नहीं देखी, कोई ऐसी दिशा नहीं देखी, केवल एक ही बात कहे हैं कि हरिजनों को उजाड़ा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको फूंका जा रहा है, उनको तापा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सेहरा जी शासन में हैं, सत्ता में हैं, मंत्री हैं, हरिजनों की दुहाई दे रहे हैं, हरिजनों की बात कर रहे हैं कि वे आसमान पर चढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में मुझे एक कहावत याद आ गई वही हालत माननीय सेहरा जी की है। जैसे एक राजा के यहां एक साधारण आदमी रोज चिल्लाता था कि बड़ा जुल्म हो गया है, अत्याचार हो रहा है, बड़ी भुखमरी फैली हुई है, तबाही हो रही है, परेशानी है। उसके बाद उसके व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, सत्ता दे दी गई। वही व्यक्ति उसके बाद कहने लगा कि पूरा देश खुशहाल है, कोई तबाही नहीं हो रही है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई मंहगाई नहीं है। ठीक वही हालत सेंहरा जी की है। ये उस सफेद हाथी की तरह बात कर रहे हैं जो हाथियों को फंसाने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आरक्षण की बात है, मैंने काका कालेलकर की रिपोर्ट देखी है, मंगलदेव विशारद और छेदीलाल साथी की बात सुनी और पढ़ी है, बी०बी० मंडल की बात सुनी है और पढ़ी है। लेकिन माननीय मंत्री जी हरिजनों के लिये जो आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करते हैं, उसमें तबदीली की बात नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इन आयोगों के माध्यम से यह बात रखी गई कि पिछड़े वर्ग के लिये कम से कम 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। इस बजट में, इन बड़े-बड़े पुथल्लों में मैंने यह बात नहीं देखी जिसमें यह जिक्र, किया गया हो कि आरक्षण बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण उत्तर प्रदेश में हरिजनों की संख्या को देखते हुये 22 प्रतिशत होना चाहिये। इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने एक बार भी इस बात की चर्चा नहीं की कि बढ़ती हुई हरिजनों की आबादी को देखते हुये हरिजनों का कोटा बढ़ेगा या नहीं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कोटा तो पूरा होना ही चाहिए लेकिन आरक्षण 22 प्रतिशत रखें। हरिजनों का जो कोटा है, वह भी पूरा नहीं हुआ है। इस हाउस के अन्दर एक बार प्रश्न भी उठाया गया कि अनुसूचित जाति में दो तीन और जातियाँ आ रही हैं उदाहरण स्वरूप जैसे गौण हैं जो लोग मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वे अनुसूचित जाति में आते हैं और उन्हीं के आधार पर पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया या गोरखपुर आदि में जो कहार जाति के बच्चे स्कूल जाते हैं वे भी गौण जाति लिखवाते हैं और आरक्षण ले रहे हैं। इस पर एसेम्बली क्वेश्चन हुआ था जिस पर विशारद जी का आश्वासन हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। आप चाहेंगे तो मैं उसे भिजवा दूँगा। अगर उनको हरिजन में लिया जाता है तो उसके हिसाब से आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष —

अब आप समाप्त करें।

श्री रामधनी—

दो मिनट में समाप्त करता हूँ। यह जो आपका हरिजन सेल बना है उसमें वही व्यक्ति आते हैं जो सिविल पुलिस के होते हैं, जिनकी वही घिसीपिटी परम्परा होती है जिनकी आदत खराब हुई रहती है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं इसलिए इसमें डायरेक्ट नियुक्ति हो तभी हरिजनों का उद्धार हो सकता है, वर्ना नहीं।

एक और बात जो माननीय मंत्री जी से संबंधित है, वह मैं बताना चाहता हूँ। उसको पढ़ने का समय नहीं है लेकिन बता देना चाहता हूँ कि यह खबर है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल में एक नये अंतुले का उदय हो गया है जो हरिजन समाज कल्याण विभाग के हैं वह विधायी करिश्मा दिखाते हैं नियुक्ति के आदेश देते हैं चाहे वह आगरा में हो या दूसरी जगह हो। बहुत सारी नियुक्तियां काऊंसिल हाउस से होती हैं वे व्यक्तिगत आधार पर प्रभाव डालते हैं। आप चाहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामधनी—

हमारे कुछ माननीय सदस्यों को इस बात की शायद जानकारी नहीं है क्योंकि वे सिर्फ इन्दिरा गांधी का नाम लेते हैं और उन्हें हरिजनों का मसीहा कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वहारा और दलित जाति के एकमात्र सहारा और उनके नेता डा० भीम राव अम्बेदकर थे। उनके अलावा कोई नहीं है जिनकी वजह से हम आज यहां पर आये हैं और आप मंत्री बन कर बैठे हैं।

एक और बात बताना चाहता हूँ जनता पार्टी के बारे में यहाँ पर बात हुई, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ माननीय चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। जिन्होंने गाजीपुर से जनरल सीट पर एक हरिजन को चुनाव लड़ाया और एक यादव के मुकाबले हरिजन को जिताया, ऐसा दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह देवरिया में हुआ। हरिजनों से प्रेम करने वाला चौधरी चरण सिंह के अलावा कोई नहीं है। इन्दिरा गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री रामधनी—

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

[समय 4 बजकर 55 मिनट]

***श्री गुलाब सेहरा—**

श्रीमन्. मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये और उनमें कुछ मंत्रालय की अनभिज्ञता पर सुझाव दिये जिनके संबंध में मैं संशोधन एक-एक लाईन में करना चाहता हूँ। मान्यवर, एक सवाल उठाया गया और कुछ मा० सदस्यों ने कहा कि अपने विभाग में आरक्षण पूरा कर लिया है कि नही ? तो मैं सूचना के तौर पर बता दूं कि हमारे विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 22 और 30 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण पूरा है, और पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टों के अगेन्स्ट 14 प्रतिशत है। श्रीमन्, कुछ मा० सदस्यों ने उत्पीड़न की बात उठायी, तो इस संबंध में शासन ने गंभीरता से इसको लिया है और कई बार शासन ने निर्णय लिया है कि जो परिवार उत्पीड़ित होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन लेगा और उसके नाबालिक बच्चों को 50 रुपया पेंशन देगा, यदि संपत्ति को नुकसान होगा तो मार्केट मूल्य से मुआवजा दिया जायेगा। मृत्यु जिसकी हुई है उसके परिवार को 5 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपया दिया जायेगा और जो करेगा उस पर टेक्स लगेगा। मा० रियासत हुसैन ने 7 6 प्रतिशत की बात कही तो मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे पूंछना चाहता हूँ कि जिस परिवार में 4 बच्चे हैं और उनमें एक विकलांग हो तो बाप सबसे ज्यादा विकलांग की परवाह करता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाये जिसके लिये उसको बाप सम्पत्ति भी देता है, इसलिये यदि उसको 24 प्रतिशत दिया जा रहा है तो ज्यादा बुरा मानने की बात नही है।

श्री रियासत हुसैन—

उस विकलांग का सपोर्ट इतना किया जायेगा कि बाकी बच्चों को वह मार डाले ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, आरक्षण इस समय 50 प्रतिशत है, 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये, 15 प्रतिशत बैक वर्ड जाति के लिये है। विकलांग के लिये आरक्षण अलग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये अलग है, जनजातियों के लिये अलग है और जो डिस्एबिल्ड सैनिक हैं, उनके लिये अलग है। कुल 50 प्रतिशत आरक्षण है। लेकिन 18 प्रतिशत आरक्षण में कुछ मा० सदस्यों ने कहा कि जहाँ दुकानें बनायी गयी हैं, उनका चयन ठीक नहीं हुआ तो उसको मैं भी मानता हूँ कि 20 प्रतिशत दुकानों का चयन ठीक नही हुआ। जैसा कि श्री कन्हैया लाल, मथुरा जिले के मा० सदस्य ने कहा कि चयन ठीक नहीं हुआ तो उसमें शासनादेश लागू किया कि वहाँ के विशेष रूप से विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क करके जनसंख्या के आधार पर और बिक्री के आधार पर मार्केटिंग सेन्टर खोले जाने चाहिये। यह शासनादेश चला गया है।

मान्यवर, श्री ऊदल ने राजकीय संस्थाओं के संबंध में कहा कि उनका सर्वेक्षण और सरप्राइज चेकिंग तेजी से हो रही है, तो इसमें यदि कहीं गड़बड़ी पायी जाती है तो उसको मै छोड़ता नही हूँ और मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूँ कि पहली बार 3 गजटेड आफिसरों सोशल देलफेयर आफिसरों को जेल भेजा गया और 24 सोशल बेलफेयर आफिसरों को निलम्बित किया गया है। मान्यवर, समय से आफिस आयें इस-लिये हमने निदेशालय में छापा मारा तो समय से न आने के संबंध में 9 को निलम्बित किया और 32 कर्मचारियों का दो दिन का वेतन कटा और 45 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हरिजनों के लिये जो दुकानें बन रही हैं उनमें सवर्ण लोग कब्जा न करें इसलिये इसमें इतने कड़े नियम बना दिये हैं कि जिस हरिजन को दुकान दी जायेगी वह 10 वर्ष के पहले उसका हस्तानान्तरण नही कर सकता है, यदि करेगा तो हरिजन को करेगा अन्यथा सरप्राइज चेकिंग में यदि दुकान पर अन्य जाति का व्यक्ति मिला तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा । एक बात माननीय सदस्यों ने और कही कि बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं होता । तो मैंने विशेष रूप से अपने मंत्रालय में प्रत्येक जनपद के अधिकारी को बुलाकर यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह बजट 31 मार्च, 85 तक हर हालत में खर्च होना है । यह साफ बता दिया है उन्हें कि यह भी बता दूं कि हमारे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ने पूरे देश में सबसे पहला नम्बर पाया है । और इसीलिए उसे 3 करोड़ रुपया केन्द्र से इसके लिए अलग से मिला है । बहुत सी समस्याएं उठाई गई, मैं कुछ नई योजनाओं को शासन की ओर से घोषणा करना चाहता हूँ । सबसे पहला काम हमने यह किया है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो रुपया बंट रहा है, अब उस रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करने का तरीका हमने निकाल लिया है । ब्लाक स्तर पर तीन आदमियों की कमेटी बनेगी, जिसमें विधायक रहेगा, और वह रुपया अब से विधायक के करकमलों द्वारा बाँटा जाएगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

भंडारी जी जरा सुन लो ।

श्री गुलाब सेहरा—

समस्त विधायकों को उस कमेटी में रखा जाएगा । वह अपने क्षेत्र के लोगों के नाम जानेंगे, उसे कन्फर्म करेंगे और देखेंगे कि यह वितरण, यह कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं । विधायक की मर्जी से तारीख तय करके नेतृत्व में हर महीने में वितरण होगा । (व्यवधान)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, आप सदन का कुछ समय बढ़ा दें ?

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट का तो उसे अध्यक्ष को अधिकार है, वह समय बढ़ा सकता है । ... (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जिले के अधिकारी के आदेश से जो सूची बनाई जाती है, बैंक वाले उस सूची के आधार पर पैसा नहीं देते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री रामऔतार दीक्षित—

मान्यवर, आप इनको एक नियमावली बंटवा दीजिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि वह बैठ नहीं रहे हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है, जिसमें मैं माननीय विधायकों का सहयोग और योग-दान चाहता हूँ। जो हमारी सलाहकार समिति है उसमें अभी 9 नान-आफिशियल मेम्बर्स हैं, शासन ने निर्णय लिया है कि समस्त एम०एल०एज० को उसका सदस्य बनाया जाए और उसका चेयरमैन भी रोटेशन से विधायक ही रहे। एक नई घोषणा में छात्रावासों के निर्माण के सम्बन्ध में भी कर रहा हूँ। विभाग कालेजों, स्कूलों को अनुदान देता है, हमने निर्णय लिया है कि हरिजनों के जो छोटे-छोटे विद्यालय हैं, जिनकी बिल्डिंग्स नहीं बन पाई हैं, उनके लिए हम सहायतार्थ अनुदान देंगे।

श्री कुबेर भण्डारी —

मैं मन्त्री जी से एक बात की सफाई चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब तक वह नहीं बैठेंगे मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा (व्यवधान) कोई चीज नहीं लिखी जाएगी।

श्री कुबेर भण्डारी—

(व्यवधान)[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मेरा कहना है कि पहले जो आई० टी० आई० के छात्र पढ़ रहे थे, उनको वजीफा का प्रबन्ध नहीं था, इस साल हमने उनको छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध किया है। स्नातक स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों के लिए जैसे एम०एस० कोर्स, एम०डी० कोर्स, मेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमैंट ट्रेनिंग, कैटरिंग काउण्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग और सी.ए. (चार्टर्ड एकाउण्टेंट ट्रेनिंग कम्पनी सेक्रेटरी में जो ट्रेनिंग पा रहे हैं, उन्हें भी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा वजीफा देने का प्राविधान इस साल कर दिया है। श्रीमन्, एक नया काम किया है, जो मोची बाजारों में फुट-पाथ पर बैठे रहते थे, श्रीमन्, उन मोचियों के लिए एक नई योजना दिया है, यह योजना हम सबसे पहले कबाल टाउन्स में शुरू कर रहे हैं कि जो फुट-पाथ पर बैठकर कार्य करते हैं, वह नगरपालिका को तहबाजारी भी देते हैं, तीन हजार को खोका (शो-केश) उनको हम दे रहे हैं। यह कार्यक्रम हमने इस साल से शुरू कर दिया है। श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण घोषणा की, बहुत से मन्त्री, सब लोग, माननीय सदस्य कह रहे थे कि भेड़, बकरी, भैंस के लिए अनुदान हरिजन को देकर उत्थान नहीं हो सकता। मैं भी उनकी बात मानता हूं कि इन छोटे-छोटे कामों से वे गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सकते। उनके उत्थान हेतु ट्रकों, बसों, टैक्सियों के क्रय के लिए रियायती ब्याज पर उ.प्र. अनुसूचित जाति, वित्त विकास निगम के जरिये ऋण देंगे और 4 परसेंट ब्याज का रियायत उनको हम देंगे।

हमारे जो हरिजन, विशेष रूप से इन्जीनियर हो जाते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उसको कार्य का अनुभव न होने के कारण उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, जिससे वे

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

परेशान ही रहते हैं, उनके प्रेक्टिकल अनुभव के लिए उ.प्र. निर्बल आवास निगम की ओर से यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे लोगों को निगम द्वारा नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायगा, जिससे उन्हें अन्यत्र नौकरी मिलने में अनुभव न होने के कारण वंचित न रहना पड़े। श्रीमन्, इस साल आदिवासियों की 4 योजनाएँ हम चला रहे हैं। जिला मिर्जापुर के लिए एक परियोजना, जिला मिर्जापुर की कैमर क्षेत्र के लिये, एक परियोजना, जिला बांदा के पाठा क्षेत्र के लिए, एक परियोजना, जिला इलाहाबाद के कोलों के विकास के लिए, एक परियोजना है। यह परियोजना सर्वांगीण विकास के लिए है, जिसमें आदिवासियों के लिए, चाहे वह शिक्षा का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसमें यह योजना शुरू की है, वह शासन के विचाराधीन है। यह श्रीमन्, विशेष योजनाएं इस साल से शासन की ओर से शुरू की गयी हैं। अब मेरा बड़ा नम्र आग्रह है कि विरोधी पक्ष अपने को ऐसा प्रतिनिधित्व न करें कि जैसे शान घर में अंधे रखे जाते हैं, वह चक्की खींचते हैं, वह नहीं जानते हैं कि कैंची पर धार रखी जा रही है या चाकू पर धरी जा रही है। इतनी घोषणायें मैंने कर दी हैं, अब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसी सदन में इधर से और उधर से कहा गया कि कहार जाति पिछड़ी जाति में आती है, वह अपने को गौंड लिखकर सुविधायें लेते हैं। मन्त्री जी ने जी.ओ. कराया है। जिसकी संख्या है···

श्री अध्यक्ष—

संख्या बताने की जरूरत नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

तो सारी सुविधायें जो हरिजनों को हैं, वह कहार गौंड़ लिखकर ले रहे हैं। प्राइमरी विद्यालयों में कहार जाति गौड़ लिखा रहे हैं सरजू कुंड गौड़ गोरखपुर के मुंडेरवा बाजार क्षेत्र में 1980 में विधान सभा का चुनाव लड़े हैं, उन्होंने तहसीलदार या डी.एम. से फर्जी सर्टीफिकेट लिया। इसमें लिखा है कि आख्या जिलाधिकारी से मंगायी जा रही है जो पांचवें कालम पर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ ?

(मन्त्री जी के उत्तर देने के लिये खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने सुन लिया है। आप बैठें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामधनी जी, क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री रामधनी—

नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65, 69, 98, 100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मोहन सिंह की है, यही सूचना नियम 56 में माननीय मोतीलाल देहलवी ने दी थी और उसको अस्वीकार करते हुये मैंने कहा था कि नियम 51 में विचार किया जायगा । यह सूचना आगरा से लखनऊ आ रही 14 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन के लूटे जाने के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की--जिला कारागार, बाँदा में अवैध सामग्री बरामद होने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री मित्रसेन तथा श्री राम आसरे वर्मा की-प्रखण्ड कार्यालय के समक्ष बोल्डर सप्लाई का टेंडर लेने के प्रयास में गोली चलने से दो व्यक्तियों के मरने के संबंध में है । माननीय भोखालाल की सूचना-मिट्टी के तेल के वितरण में दोहरी नीति से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है । श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना-बस्ती के थाना सोहरतगढ़ के ग्राम पिपरी के प्रधान की अराजक तत्वों द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है । आखिरी सूचना श्री बलवीर सिंह तथा श्री नंद राम की-रामपुर जनपद को गेहूँ, आटा चावल न भेजे जाने के संबंध में है ।

मैंने इनको सबको देखा है जहां तक भीखा लाल जी की सूचना का संबंध है, इस पर पहले ही शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है । माननीय श्री बलवीर सिंह और श्री नंदराम जी की सूचना स्वीकार हुयी है नियम 301 में । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द, श्री मोहन सिंह, और श्री मोती लाल देहलवी की जो सूचना-आगरा से लखनऊ आ रही 14 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन के लूटे जाने के संबंध में है, उसको मैं नियम 51 में स्वीकार करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसकी कोई तारीख देंगे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, 9 तक लगे हुये हैं, 10-11 हो सकती है ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था की सभा/प्रबन्ध बोर्ड/प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन संबंधी पूर्व में की गयी कार्यवाही को निरस्त करने तथा नया निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था की सभा/प्रबन्ध बोर्ड/प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन संबंधी पूर्व में की गयी कार्यवाही को निरस्त करने तथा नया निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय, संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था की सभा/प्रबंधक बोर्ड/प्रशासकीय बोर्ड के लिये इस सदन के अपेक्षित संख्या में सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अब तक की सभी कार्यवाही को निरस्त करते हुये यह सदन निश्चय करता है कि माननीय अध्यक्ष उक्त निर्वाचन को कराने के लिये नये सिरे से कार्यक्रम निर्धारित करें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उससे सहमति प्रकट करता हूँ ।

श्री भोखा लाल—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे मुझे विरोध नहीं है, वे अपनी पार्टी के आपसी झगड़ों के कारण जल्दी चुनाव नहीं करा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे इस सत्र में चुनाव जरूर करादें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था की सभा/प्रबन्धक बोर्ड/प्रशासकीय बोर्ड के लिए इस सदन के अपेक्षित संख्या में सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित अब तक की सभी कार्यवाही को निरस्त करते हुए यह सदन निश्चय करता है कि माननीय अध्यक्ष उक्त निर्वाचन को कराने के लिए नये सिरे से कार्यक्रम निर्धारित करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचना देनी है कि 6 निकायों आदि के निर्वाचन के सम्बन्ध में अभी सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार नये सिरे से निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाता है :—

(1) नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	10 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक
(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	11 मार्च, 1983 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	14 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक
(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	17 मार्च, 1983 को अपराह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

3—इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम निर्देशन पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।

लखनऊ में प्राथमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[समय 5 बजकर 17 मिनट]

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

दिनाँक 24-2-83 को प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद लखनऊ ने अपनी कतिपय माँगों के सम्बन्ध में अध्यापकों की एक बैठक जी० पी० ओ० पार्क में की । बैठक के उपरान्त लगभग साढ़े तीन बजे अपराह्न यह कहते हुये कि वे विधान भवन में मुख्य मंत्री जी से मिलने जायेंगे, सरकार विरोधी नारे लगाते हुये विधान भवन की ओर बढ़े । वहाँ पर उन्हें ए० सी० एम०(1) व प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज द्वारा रोका गया । इन अधिकारियों ने अध्यापकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अध्यापकों ने उनकी बात नहीं मानी और विधान भवन गेट नं० 1 के पास पहुँच कर उत्तेजनापूर्ण नारे लगाते हुये गेट के अन्दर घुसने का प्रयास करने लगे । वहाँ पर धारा 144 लगे होने के कारण तथा शान्ति भंग होने की आशंका को देखते हुये ए० सी० एम०(1) द्वारा धारा 151/107/116 सी-आर० पी० सी० के अन्तर्गत इन अध्यापकों को उनके नेता श्री छोटकऊ सिंह सहित गिरफ्तार करके पुलिस की ट्रक से आलमबाग थाने में पहुँचाया गया । आलमबाग थाने में ये अध्यापक उस रात्रि में रहे । इनकी संख्या 797 थी न कि 1500 जिसका उल्लेख माननीय विधायक की सूचना में किया गया है । प्रातः लगभग 9 बजे शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी, लखनऊ तथा अन्य अधिकारी थाने पर पहुँचे तथा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की । प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करके अध्यापकों की माँगों के सुलझाने के संबंध में बनायी जाने वाली व्यवस्था पर विचार-विमर्श हुआ । अध्यापकों के प्रतिनिधि बातचीत से संतुष्ट हुये और उनसे अपील की गई कि वे अपना संघर्षात्मक आन्दोलन वापस ले लें । सभी अध्यापकों ने अपने नेता श्री छोटकऊ सिंह के नेतृत्व में अपील की दृष्टि में आन्दोलन वापस ले लिया । अतः ए० सी० एम०(1) द्वारा सभी अध्यापक रिहा कर दिये गये । इस समय स्थिति सामान्य है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अध्यापक अपनी माँगों के संबंध में मीटिंग कर रहे थे और प्रदर्शन करना चाहते थे । उनको जेल में बन्द कर दिया गया । उसके बाद जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके विचार विमर्श करने के बाद क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वह सब वहाँ से वापस चले गये और दिनाँक 25-2-83 को शिक्षा निदेशक महोदय के कक्ष में संघ के पदाधिकारियों के मध्य विचार विमर्श हुआ और उनकी जो माँगें थीं, उनके बारे में जो कार्यवाही हुई, उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ । उनकी पहली माँग थी पे-रोल सेविंग का धन लापता है । इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया पे-रोल सेविंग स्कीम के अन्तर्गत की गई कटौती की धनराशि का लेखा जोखा उप शिक्षा निदेशक षष्ट मण्डल, लखनऊ जाँच करें तथा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को उक्त लेखे का संतोषजनक हिसाब उपलब्ध करायें ।

दूसरा, सेवा में मृत अध्यापकों का परिवार दर-दर का भिखारी बन जाता है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के आश्रितों की सूची प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कितनी मांग हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

27 हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूची माननीय सदस्य को भेज दीजियेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मुझे हर्ष हो रहा है सदन को सूचित करते हुये कि अध्यापकों की जो माँगें थीं, माँगों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। तीसरी मांग, 1972 के नये वेतनमान का अवशेष धन लापता है। इसमें उप शिक्षा निदेशक, षष्ट मंडल, लखनऊ इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करायेंगे। सेवानिवृत्त अध्यापक जीवन के अन्तिम समय को सड़क पर हाथ फैलाकर व्यतीत करते हैं। ऐसे अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की सूची शिक्षक संघ जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। प्रकरण प्राप्त होने के अन्दर उन्हें पेंशन भुगतान की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्ण करायेंगे। प्राविडेन्ट फण्ड के प्रकरणों को भी शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित कराया जायेगा। समय से कन्टिजेंसी धन का न मिलना। कन्टिजेंसी की धनराशि के भुगतान की त्रैमासिक व्यवस्था जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ करें तथा वर्ष 79-80 के भुगतान के सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही करें। वर्ष 82-83 की कन्टिजेंसी धनराशि का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ करायें। ....न्यायालय में जो मामले डिस्कस हो जाते हैं और वेतन भुगतान के आदेश हो जाते हैं तो ऐसे शिक्षकों की जो सूची है, उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान किया जायेगा। सम्पूर्ण अवशेष का नकद भुगतान, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ बिल बनाकर 10 मार्च, 1983 तक तैयार कर विधि परामर्शी को उपलब्ध करा दें और जांच के बाद दो दिन के अन्दर भुगतान करा दिया जायेगा।

पदोन्नति और नियुक्तियों के संबंध में आर्डर दे दिये गये हैं कि जीघ्र ही जहाँ अध्यापकों की आवश्यकता हो, नियुक्ति करें और पदोन्नति भी की जाय। बिना भवन के जो विद्यालय हैं, 50 प्रतिशत हैं, इसमें मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 80 से पहले किसी ने नहीं सोचा कि उन विद्यालयों की क्या हालत है जिनके पास भवन नहीं हैं या जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। उस कमी को भी मुझे ही पूरा करना है। 1980 में हमने पहली बार बजट में यह प्राविजन किया है और जो नये स्कूल खुलेंगे, भवन सहित उनकी व्यवस्था करेंगे, नम्बर टू जो स्कूल भवन रहित हैं उनके लिए भवन की व्यवस्था बजट में करेंगे और जो भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनके लिए भी हम बजट में व्यवस्था करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

किस बजट में, यह बता दें ? 6ठी में या 7वीं पंचवर्षीय योजना में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

1980-81 में एक करोड़ की है और 81-82 में की है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति की वजह से जो बाढ़ में नष्ट-भ्रष्ट हो गये थे स्कूल, उन को भी एक या दो करोड़ की स्वीकृति दी है। इससे कई स्कूलों में अथवा हर जिले में, एम० एल० एज़० सब अच्छी तरह जानते हैं, जिला नियोजन समिति है, उसमें हमने इस बात का निर्णय लिया है कि उनके सामने यह मामला पेश होगा और सलाहकार समितियां हैं, उनमें हर जिले में एम० एल० एज़० और एम० पीज़० उसमें मेम्बर हैं, किस स्कूल का भवन बनाना है, जीर्णोद्धार करना है, इसके संबंध में आप लोग ही निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों की जानकारी में बहुत सी बातें आ गयी हैं इसलिए····

श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी—

(बैठे-बैठे) मान्यवर, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मा० मंत्री जी ने पूरा शिक्षा का बजट प्रस्तुत कर दिया और दो करोड़ बच्चों को संतुष्ट कर दिया फिर भी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को संतुष्ट नहीं कर पायी। आपने जो 97 अध्यापकों को आलमबाग थाने में रखा, रात भर तो क्या कोई कंसेन्ट्रेशन कैंप घोषित किया गया था। या इस प्रकार के आदेश आलमबाग थाने को दिये गये थे कि उन्हें जेल न भेजा जाये। यदि नहीं, तो किसके आदेश से वे थाने में ही रुके रहे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वह तो उन्होंने वापस ले लिया, उन्हें छोड़ दिया गया।

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, मेरा बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है कि उन्हें रात भर थाने में ही क्यों रखा गया? 144 को तोड़ना रोजाना होगा, आगे भी होता रहेगा। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि कि आलमबाग थाने को कन्सेन्ट्रेशन कैंप घोषित किया गया था या नहीं? यदि नहीं किया गया था, तो उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जेल क्यों नहीं भेजा गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, उनको जेल भेजने का कोई परपज नहीं था। उनको इसलिये अरेस्ट किया गया था कि शान्ति भंग न हो। जब शान्ति भंग का डर हट गया तो उन्हें छोड़ दिया गया। एक बात और कहूँगी जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है·····

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं देता। कोई चीज लिखी नहीं जायेगी।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, कि शिक्षक संघ की सभा जी०पी०ओ० पार्क में होने वाली थी, और मुख्य मंत्री जी उसे संबोधित करने वाले थे। जब मुख्य मंत्री जी नहीं आये तो सारे शिक्षकों ने उत्तेजना पूर्ण रूप ले लिया। मान्यवर, शिक्षकों को थाने में ही रोके रखा गया। उन्हें जेल भेजने की व्यवस्था क्या आपने किया ? अगर नहीं किया तो क्यों ? मेरा खुला आरोप है कि मुख्य मंत्री जी की लापरवाही के कारण यह हुआ। तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

श्री रेवतीरमण सिंह—

अभी मा० मंत्री जी ने कहा कि 80,81,82 में रुपया खर्च किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने स्कूल बनवाये गये 1980,81,82 में ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 5 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 मार्च, 1983।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे 185 पृष्ठ पर)

शिक्षकों की मांगे	अद्यतन स्थिति
1–उच्च शिक्षा माध्यमिक पूर्व माध्यमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों एवं उससे सम्बद्ध शिक्षकों की भांति अशासकीय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन वितरण का भार शासन वहन करे ।	1–सभी अशासकीय असहायिक प्राइमरी विद्यालयों के प्रान्तीयकरण करने अथवा उनको वेतन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत लेने के सम्बन्ध में व्यय भार के आंकड़े शिक्षा निदेशक उ० प्र० से मांगे गये हैं । सम्प्रति इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं प्रतीत होता है ।
2–सेवा सुरक्षा के अस्पष्ट कठोर और प्रभावी आदेश निर्गत किये जायें ।	2–शिक्षा निदेशक उ० प्र० को समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।
3–अशासकीय प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये और 15-रुपये तक मासिक शुल्क लिये जाने के आदेश वापस लिये जायें ।	3–मांग को अस्वीकार किया जा चुका है ।
4–बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य शिक्षा समितियों में सभी स्तरों पर उ० प्र० बेसिक शिक्षक संघ को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय ।	4–मांग अस्वीकार की जा चुकी है ।
5–व्यापारिक दृष्टिकोण से संचालित शिक्षा संस्थाओं को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की जाय ।	5–मांग अस्वीकार की जा चुकी है ।
6–माध्यमिक विद्यालयों की भांति इन शिक्षकों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय जब तक संविधान में संशोधन न हो जाय तब तक संघ के एक सदस्य को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने हेतु मनोनीत किया जाय ।	6–विचाराधीन है ।
7–माध्यमिक विद्यालयों की भाँति प्राइमरी अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उसी विद्यालय के अर्न्तगत योग्यता के आधार पर प्रोन्नतियों में प्रतिशत निश्चित किया जाय ।	7–विचाराधीन है ।

8–शिक्षा में एकरूपता लाने हेतु सभी-मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शिक्षा पा रहे छात्रों एवं छात्राओं के लिए कक्षा-5 की बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य की जाय ।

8–इस मांग को अस्वीकार किया जा चुका है ।

9–शिक्षा संहिता का कठोरता से पालन कराने के आदेश निर्गत किये जायें ।

9–इस सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

10–मई 1975 की नियमावली के बाद से निकाले गये शिक्षकों को पुनः सेवा में लिया जाय ।

10–मांग अस्वीकार की गयी ।

विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)

वर्ष 1982-83 में निर्मित होने वाली विचाराधीन सड़कें

विकास खण्ड	सा० नि० वि०	सामु० विकास	गन्ना विभाग	योग
1	2	3	4	5
मथुरा	3	5	×	8
राया	×	1	×	1
नोहझील	3	2	×	5
मांट	1	4	×	5
छाता	1	3	3	7
नन्दगाँव	1	1	×	2
सादाबाद	2	×	×	2
बल्देव	3	×	×	3
योग	14	16	3	33

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 233 पर)

अधूरे पड़े कार्यों का वर्षवार विवरण

नाम ब्लाक	वर्ष जब से अधूरे पड़े हुये हैं	क्रमांक	स्कूल भवन का नाम
1	2	3	4
दुद्धी	1977-78	1	प्रा. पा. मझौली
	,,	2	प्रा. पा. छत्तरपुर
	,,	3	प्रा. पा. मुरता
	,,	4	प्रा. पा. पतरिहा
	1978-79	5	प्रा. पा. कोलिनडूवा
	,,	6	जू. हा. स्कूल महुली
	,,	7	जू. हा. स्कूल भरो
म्योरपुर	1977-78	8	प्रा. पा. जामपानी
	1978-79	9	प्रा. पा. चांगा
	,,	10	प्रा. पा. लीलादेवी
	,,	11	प्रा. पा. सिधवाडाड
	,,	12	प्रा. पा. कन्या किरविल
	,,	13	प्रा. पा. कोहरौल
	1979-80	14	प्रा. पा. चतनवाजरहा
	1980-81	15	प्रा. पा. लोबन्द
	,,	16	प्रा. पा. बेरपान
	1979-80	17	जू. हा. स्कूल लिलासी
बभनी	1977-78	18	प्रा. पा. भंवर
	,,	19	प्रा. पा. अरझट
	,,	20	प्रा. पा. शीशटोला
	1978-79	21	प्रा. पा. मुनगाडीह
	,,	22	प्रा. पा. रनदह

"नत्थी घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 225 पर)

जिला शिक्षा सलाहकार समिति, शाहजहाँपुर की बैठक दिनांक 23-10-1982 को कार्यवाही

माननीय श्री नाज़िर अली, विधायक महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा सलाहकार समिति, शाहजहाँपुर की बैठक दिनांक 23-10-82 को अपरान्ह 3-0 बजे कलक्ट्रेट मीटिंग्स में सम्पन्न हुई। इस बैठक में माननीय विधायक सर्वश्री जगदीशसिंह, श्री राम दिनकर, कुंवर उदयवीर सिंह, सत्यपाल सिंह ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभागीय अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए—

1—समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि परिषदीय विद्यालयों ने स्थानान्तरण के विषय में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की और यह स्थानान्तरण नहीं हो सके। अतः जि० बे० शि० अ० के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय। यह प्रकरण वर्ष 1980 से लम्बित है। प्रस्ताव 1980 में पारित हुआ था। 29-8-81 को मीटिंग में पुनः निर्णय लिया गया था। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने किसी वाहक को इलाहाबाद भेजने की तिथि बताने से असमर्थता प्रकट की।

2—पिछली बैठक दिनांक 3-4-82 में निर्णय लिया गया था कि विकास क्षेत्र जलालाबाद से 10,000/- रु० नगरपालिका जलालाबाद को दिया गया था। इस धन के उपभोग के सम्बन्ध में जि० बे० शि० अ० ने बताया कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक इसकी जाँच करें और प्रति० उ० वि० नि० ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। श्री सत्यपाल सिंह विधायक महोदय ने जब इस रिपोर्ट को मांगा तो जि० बे० शि० अ० ने अपनी असमर्थता प्रकट की।

3—पिछली बैठक में ग्राम फगुनाई (बाडा) में जू० हा० स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। माननीय विधायक श्री सत्यपाल जी ने ज्ञात किया कि जू० हा० स्कूल फुगुनाई कब से आरम्भ हुआ है। जि० बे० शि० अ० ने फगुनाई जू. हा. स्कूल खुलने अथवा नहीं बताने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। श्री रूप राम दिनकर जी ने फगुनाई जू. हा. स्कूल के विषय में ग्राम भावी में स्थानान्तरण करने हेतु समिति से अनुरोध किया।

4—जि. वि. नि. ने बताया कि अप्रैल में स्कूलों के भवन निर्माण हेतु निर्णय लिया गया था। अभी किसी विद्यालय में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में समिति ने देर होने के कारण खेद व्यक्त किया, निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय।

5—प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण की प्रगति के विषय में भी समिति ने खेद व्यक्त किया एवं इस सम्बन्ध में भी भवन निर्माण प्रगति की ओर प्रभावी कार्यवाही की जाय एवं अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत की जाय।

6—हाई स्कूल खोलने की प्रगति के सम्बन्ध में जो प्रगति हो वह माननीय सदस्यों को अवगत करायी जाय।

7—माननीय सदस्य श्री रूपराम दिनकर जी ने प्रस्ताव रखा कि भवन निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में वर्ष 77-78 से आज तक जो धन दिया गया है उसकी प्रगति के

विषय में सदस्यों को जानकारी करायी जाये। प्रगति आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

8—8-2-82 को सलाहकार समिति की बैठक में विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु जो पैसा दिया गया था उसकी सूची जि० बे० शि० अ० ने संशोधित अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को भेजी जबकि यह उसी मास, फरवरी, 82 में ही भेज देनी चाहिये थी। जि० बे० शि० अ० का कथन है कि अप्रैल में भेजी। इस देरी के लिये भी समिति ने खेद व्यक्त किया। किसी स्कूल की मरम्मत हो पायी या नहीं इसकी जानकारी भी देने से जि० बे० शि० अ० ने इन्कार किया। इस शिथिलता और उदासीनता के लिये समिति ने तय किया कि शासन को लिखा जाये कि शिक्षा विभाग की इस दशा को सुधारा जाय।

9—आज की यह बैठक तय करती है कि पिछली बैठक तथा अन्य बैठकों में जो निर्णय लिये गये थे उनकी आख्या नितान्त निराशाजनक रही। पिछली मीटिंग के निर्णयों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अतः पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि न करके दिनांक 23-10-82 का एजेन्डा अगली बैठक हेतु स्थगित किया जाता है और यह समिति शासन से माँग करती है कि शिक्षा सलाहकार समिति को सार्थक बनाने के लिये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चुस्त किया जाय तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय।

10—अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से तय किया गया और जि०वि०नि० एवं जि०बे०शि०अ० के अनुरोध पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं समायोजन का कार्य 4-12-82 तक पूर्ण कर कर लिया जाय। अगली बैठक 4-12-82 को मीटिंग रूम में 11-0 बजे की जाय और 4-12-82 को उक्त कार्य की प्रगति रखी जाय।

ह०/—नाजिर अली
विधायक (अध्यक्ष)
जि० शिक्षा सलाहकार समिति
शाहजहाँपुर

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 233 पर)

1 अप्रैल, 1982 से 31 अक्टूबर, 1982 तक एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये ऋण का बैंक वार विवरण, जनपद, सीतापुर।

(धनराशि लाख रुपये)

क्रमांक	बैंक का नाम	लाभान्वित परिवार	ऋण की धनराशि
1	भागीरथ ग्रामीण बैंक	565	13-06
2	जिला सहकारी बैंक	82	2-68
3	इलाहाबाद बैंक	16	0-61
4	भूमि विकास बैंक	4	0-23
5	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	37	1-49
5	बैंक आफ इण्डिया	11	0-19
7	पंजाब नेशनल बैंक	2	0-10
8	भारतीय स्टेट बैंक	10	0-25
9	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	9	0-27
		736	18-88

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 255 पर)

दिनांक 9-2-83 को सम्पन्न हुआ समझौता

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्व में किए गए समझौते के क्रियान्वयन न किये जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय (High Power Committee) की नियुक्ति की जायेगी जो लम्बित विवादों जैसे विसंगतियों, वेतनमानों के संविलयन के निराकरण किये जाने हेतु नियमित बैठक करके अपनी संस्तुति देगी ।

2—कर्मचारियों के जीवन-निर्वाह लागत (Cost of living) में वृद्धि को शत-प्रतिशत तटस्थ (Neturalize) करने की मांग को प्रभावित न करते हुए परिषद् अन्तरिम रूप में 1-4-82 से जीवन-निर्वाह लागत सूची में बढ़े हुए प्रति अंक पर रु० 1·42 प्रति अंक की दर से भुगतान करेगा ।

भारत सरकार ने परिवर्तनीय मंहगाई-भत्ते की दरों के निर्धारण हेतु न्यूट्लाइजेशन फार्मूले के प्रश्न के परीक्षण हेतु एक समिति की नियुक्ति की है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को 1-4-82 से सदाशयता पूर्वक लागू करेगा ।

3—वेतनमानों का पुनरीक्षण 1-7-79 से लागू किया गया था । आज यह सहमति है कि पुनरीक्षण दिनाँक 1-4-79 से प्रभावित होगा । निश्चित विशेष-भत्तों वाले दस वेतनमानों में से वेतनमान संख्या 2 को जो कि रु० 376-462 का है । वेतनमान संख्या 3 जो कि रु० 381-486 का है, में संविलीन किया जायेगा । उपरोक्त पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप दिनांक 1-7-79 से पुनरीक्षित विभिन्न–9 वेतनमानों के सभी वेतन स्तरों पर (Stages) तथा प्रारम्भिक वेतन में वेतन रु० 9 की वृद्धि होगी, प्रथम वेतनमान के निश्चित (Fixed) विशेष-भत्ता को रु० 29/- से बढ़ाकर 37/- उसके बाद के 5 वेतनमान; संख्या 3 से 7 में रु० 42/- एवं शेष तीन वेतनमानों में रु० 57/- निश्चित विशेष-भत्ता होगा ।

उपरोक्त विशेष-भत्तों को गणना पेन्शन, ग्रेच्युटी एक्स-ग्रेसिया तथा विशेष भत्ते वाले वेतनमान से विशेष-भत्ते से रहित वेतनमान के पद पर वेतन-निर्धारण हेतु की जायेगी ।

4—परिषदाज्ञा संख्या 62-डब्ल्यू० बी० 18/83-9-बेजसेल-79, दिनांक 11 जनवरी, 1983 के अन्तर्गत की जा रही वसूली नहीं की जायेगी ।

5—उपरोक्त प्रस्तर 1 में गठित की जा रही समिति द्वारा परीक्षण किये जाने तक मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के मकान भत्ते से वसूली स्थगित कर दी जायेगी ।

6—कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके सेवा-नियमों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

7—परिषद् आदेश संख्या 557 कार्मिक—1×(1ए) एस०ई०बी०—, दिनांक 8-2-83 को वापस ले लिया जायेगा ।

उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए तथा उपरोक्त प्रस्तर 1 में दिये गये समझौते के लागू करने के आश्वासन तथा माननीय मुख्य मंत्री जी श्री श्रीपति मिश्र की अपील का

समादर करते हुए पांच यूनियनों के नेतागण अपनी हड़ताल को नोटिस को वापस ले लेते हैं एवं परिषद् के कार्यकुशल क्रिया-कलापों सम्बन्धी अपने आश्वासन की पुनरावृत्ति करते हैं।

ह०/ हरीश तिवारी,
प्रेसीडेन्ट
उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ
9-2-83

ह०/ आर० के० सान्याल
चेयरमैन
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्
9-2-83

ह० एम० ए० खान,
प्रेसीडेन्ट
विद्युत मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश,
इन्टक 9-2-83

ह०/जी० के० पाण्डेय,
महामन्त्री
हाइड्रो इलेट्रिक इम्पलाइज यूनियन, उ० प्र०,
हिन्दू मजदूर सभा

ह०/ सी० पी० अवस्थी,
प्रेसीडेन्ट,
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन,

ह० राजा राम मिश्र,
प्रेसीडेन्ट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज, यूनियन, उ० प्र०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी० —वि० सभा— 5-1-84—835—प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, अलीगढ़।